खण्ड-327, अंक-8
बुधवार, 6 आश्विन, शक संवत् 1899
(28 सितम्बर, 1977 ई0)

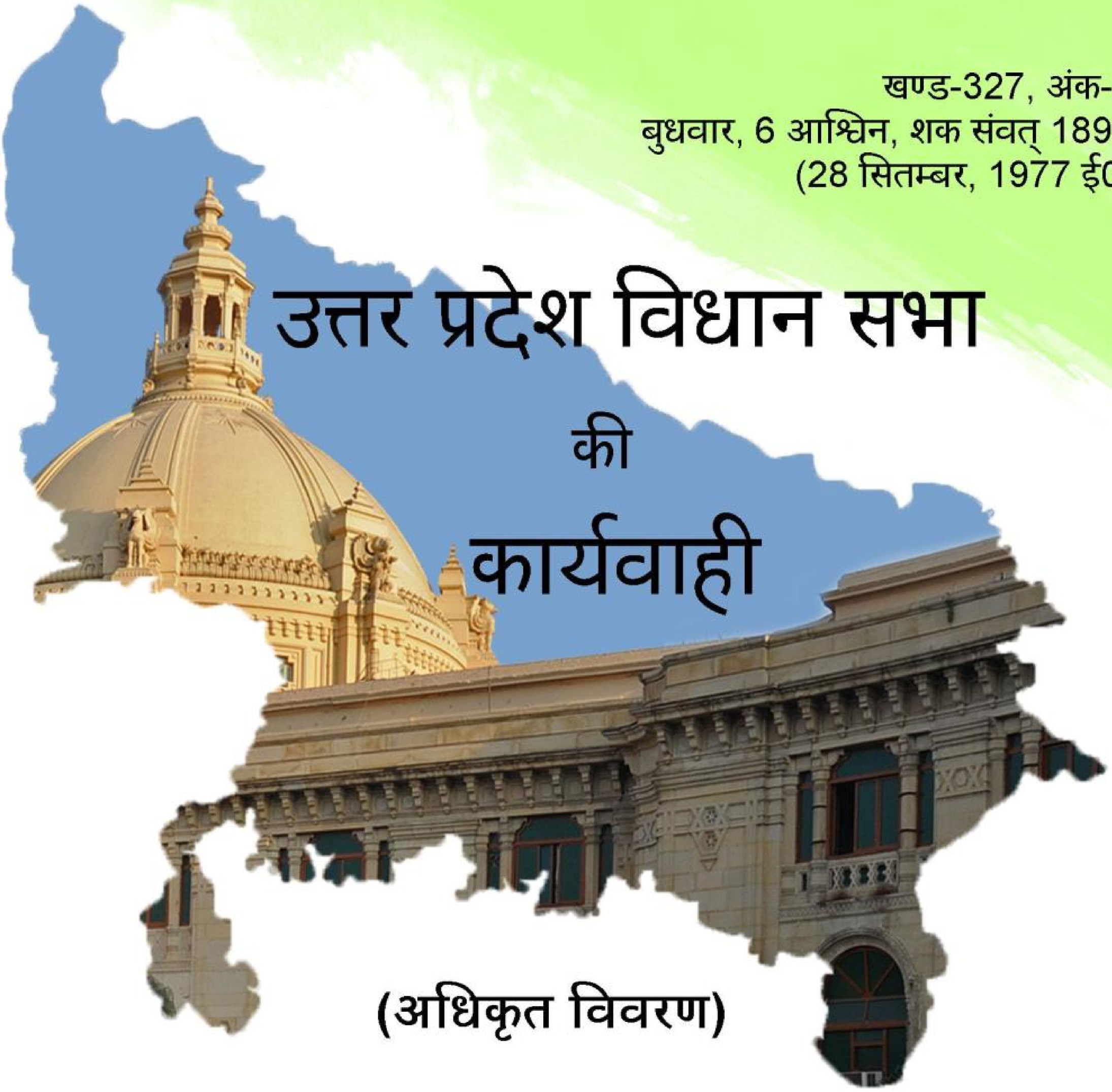

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 28 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 355

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम,श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुनार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री

खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसीदास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा, श्री 'अरविन्द'
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धूराम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री

मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री

अनुपूरक प्रश्न सूची

लक्ष्मण सिंह, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्य वीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव, गन्ना विकास मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश संसदीय

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 28 सितम्बर, 1977

ताराँकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त ताराँकित प्रश्न।]

बांदा जिले की पयस्वनी नहर परियोजना पर निर्माण कार्य

*1—श्री राम सजीवन (जिला बाँदा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश के विवाद के कारण बांदा जिले की पयस्वनी नहर परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 के बजट में क्रमशः पचास लाख और बयासी लाख रुपए स्वीकृत किए थे? यदि हाँ, तो उस विवाद को हल करने तथा निर्माण कार्य शुरू करने और परियोजना पर केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग एवं भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

इस परियोजना के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार में समझौता हो गया है और अब कोई विवाद नहीं है। इस कार्य के लिए 1975–76 के बजट में धन का प्राविधान नहीं किया गया था। 1976–77 के बजट में 39.10 लाख रुपए का प्राविधान किया गया था लेकिन यह धन व्यय नहीं किया गया। परियोजना का प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा गया था और उन्होंने कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है।

श्री राम सजीवन—

केन्द्रीय जल आयोग ने जो आपत्तियाँ उठाई हैं, उनका निराकरण करने में विलम्ब क्यों हो रहा है और उनका निराकरण कब तक हो जायेगा?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

केन्द्रीय जल आयोग ने 4 आपत्तियाँ उठाई थीं। एक पानी की मात्रा की उपलब्धि के सम्बन्ध में है। इसमें केन्द्रीय जल आयोग के लोगों के मेजरमेन्ट का जो तरीका है, उसके अनुसार वह बताते हैं कि पानी की उपलिब्ध उतनी नहीं है, जितनी हम कह रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में हमारे विभाग के इंजीनियरों ने जिस आधार पर उपलब्धि की मात्रा को आँका है उसके आधार पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। दूसरी आपत्ति बैराज आदि के डिजाइन के बारे में है, इस सम्बन्ध में वह किया जा रहा है। तीसरी चीज यह है कि कार्य की दर पर उनकी आपत्ति है कि रेट इसके क्या हों पत्थर आदि के। चौथी आपत्ति यह है सिंचाई की पद्धति पर। जो हमने यह विवरण दिया है इसकी रबी में सिंचाई करेंगे उस पर भी उनकी आपत्ति है, चूंकि उसमें कृषि विभाग के भी लोग होते हैं। उनका मत है कि यह फसल यहाँ नहीं होती है या होती है

इसका तो निराकरण दिनाँक 23 अगस्त, 1977 को कर दिया है और जो चीज टेक्निकल हैं उनका हम जल्दी निराकरण करने जा रहे हैं। जो अलग-अलग उनसे सम्बन्धित डायरेक्ट्रेट से चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनका भी हम निराकरण करते जा रहे हैं।

श्री राम सजीवन—

आप यह योजना बराबर, बार-बार केन्द्रीय जल आयोग के पास भेजते हैं और वह बार-बार एक न एक आपत्ति लगाकर आपको वापस भेज देते हैं, तो क्या आप इंजीनियर्स का कोई दल दिल्ली भेजेंगे, जो सीधे उनसे परामर्श करके और सभी डायरेक्ट्रेट से बात करके निश्चित समय में उनका निराकरण कर सके, जिससे योजना की शीघ्र स्वीकृति मिल सके ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

हम अपनी तरफ से हर तरह से आपत्तियाँ दूर कर रहे हैं लेकिन केन्द्रीय जल आयोग के जो लोग हैं उनको हम पूरी तरह से कनविन्स करने की कोशिश करते हैं और तुरन्त कर रहे हैं, लेकिन जो वह आपत्तियाँ उठाते हैं उससे हम उन्हें मना तो नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो जाए और जल्दी से जल्दी सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाए, कार्य शुरू हो जाय ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य कब समझौता हुआ था और यह केन्द्रीय जल आयोग के सामने कब से मामला विचाराधीन है किन तारीखों से ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, 13 जनवरी, 1977 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समझौता हो चुका है। 1975 से ही केन्द्रीय आयोग के सामने योजना रखी हुई है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए कि बुन्देलखण्ड में सिंचाई की बहुत आवश्यकता है, इस योजना का बहुत महत्व है, अभी राम सजीवन जी ने पत्र लिखा था, केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री को, उन्होंने यह बात लिखी है कि हर पहलू पर अपनी टिप्पणियाँ उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी हैं, तो माननीय सिंचाई मन्त्री स्वयं, इतनी बड़ी योजना बुन्देलखण्ड की है, केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से इसके बारे में बात करेंगे ताकि इसकी जल्दी से जल्दी स्वीकृति हो सके ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हमारे प्रदेश की काफी योजनाएं सेन्टर में उलझी पड़ी हैं। पिछले तीन महीने में जो कदम उठाया गया है उसके बारे में बाद में विस्तार से बताऊंगा। उस पर बड़ा काम हुआ है। जहाँ तक इस योजना का सम्बन्ध है, जैसे दूसरी योजनाएं गयी हैं, हम दिल्ली जाते रहे हैं, हमारे अधिकारी बराबर दिल्ली जाते रहे हैं और कोशिश करते रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसी तरह से उनको सुलझा सकें। 13 जनवरी, 1977 को चीफ मिनिस्टर्स की दोनों प्रदेशों की कानफेरेंस हुई और आफिशियली निर्णय किया क्योंकि थोड़ा परिवर्तन किया गया, पहले अगस्त, 1975 की जो बात कही है, उससे इसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया और नए परिवर्तन के अधीन नयी योजना यहाँ से बना कर भेजनी पड़ी। इतना परिवर्तन हुआ कि पहले मध्य प्रदेश की 7 हजार 3 सौ घन

फुट देना था पहली योजना के हिसाब से, और 21 हजार 9 सौ 50 हमको रखना था। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स की कानफरेंस हुई 13 जनवरी, 1977 को। उसमें इस पानी के बंटवारे के बारे में नयी बात मान ली गयी। वह फैसला यह हुआ कि 14 हजार 620 मध्य प्रदेश को और 14 हजार 630 यू0 पी0 को दिया जायगा। इस वजह से देर हुई है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चैन नहीं लेगे, मैं स्वयं जाकर इस मामले में बात करूंगा और मिनिस्टर लेविल पर हम इसका फैसला करायेंगे।

हंडिया प्रतापपुर क्षेत्र, इलाहाबाद में नलकूप चालक के स्थायी पद

*2—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद में हंडिया प्रतापपुर क्षेत्र में 12 नलकूप चालक जो पहले से काम कर रहे थे उनको स्थायी नहीं किया और 30 अक्तूबर, 1976 को उसी स्थान पर 17 नलकूप चालक नए रखे गए और उनको तुरन्त स्थायी भी कर दिया? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

प्रश्नगत क्षेत्र में 30 अक्तूबर, 1976 को या उसके पश्चात् नियमित अधिष्ठान में नलकूप चालक के पदों पर किसी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है। परन्तु नलकूप चालक के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए नवम्बर, 1976 में किए गए चुनाव के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है और इस मामले में शासन द्वारा जाँच के लिए आदेश दिए गए हैं।

श्री हर प्रताप सिंह—

मान्यवर, आप एक तरफ यह बता रहे हैं कि कोई स्थायी नहीं किया गया। फिर आपका यह कहना है कि उसके लिए जाँच की जा रही है तो दो बातें हैं। उसमें से कौन बात सही है?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, यह प्रश्न में निहित है, जैसे कुछ रनर रखे गए हैं, ट्यूबवेल आपरेटर्स की बात कही जाती है, कुछ वर्क-चार्ज में रखे गए हैं। पहली बात कही गयी है, नियमित रूप से, अपनी जगह पर सही है। दूसरी चीज जो कही जा रही है जो इनके चुनाव के सम्बन्ध में बात है उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। इसको मंगा कर देखना है। हम महसूस करते हैं कि कुछ अनियमितता बरती गयी है उसकी छानबीन के लिए हमें दो सप्ताह का समय चाहिए।

श्री हर प्रताप सिंह—

यह अनियमितता जो बरती गयी है वह भ्रष्टाचार के अन्तर्गत है और इस प्रकार जो पहले के 12 कर्मचारी थे, उनको न लेकर उनकी नयी नियुक्ति कर दी गयी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभियन्ता ने मिलकर किया, तो क्या मन्त्री महोदय इसकी भी जाँच करायेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, इस केस में ऐसा हुआ है कि 30 अक्तूबर, 1976 और 30 नवम्बर, 1976 को 17 व्यक्ति रनर के लिए रख लिए गये थे, उसके बाद 4/5-11-76 को आपरेटर के लिए जो चयन समिति के जरिए से लोग चुने गए, लेकिन इसमें अनियमितता यह हुई कि जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से न लेकर रनर्स से नियुक्त कर दिया गया। यह अनियमितता हुई है। जो ट्यूबवेल आपरेटर्स को रखना था उसमें नहीं नियुक्त किया गया। यह अनियमितता उठती है और यह शंका पैदा होती है कि कहीं न कहीं घुटाला है। मेरे पास समय नहीं था कि इसकी जानकारी करता। इसकी पूरी छानबीन की जायगी और देखा जायगा कि कौन दोषी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जावेगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

यह जो रनर लिए गए हैं उनमें से कितने अनुसूचित जाति के लिए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रनर्स थे उनमें से कितने लिए गए हैं वह सब चयन समिति द्वारा नियुक्त हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनको स्वयं सन्तोष नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि ट्यूबवेल आपरेटर्स न लेकर रनर्स को रख दिया। वह जानकारी करके सारी कार्यवाही करेंगे।

श्री हर प्रताप सिंह—

एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—

आप दो प्रश्न कर चुके हैं।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

रनर्स और आपरेटर्स यह दो डिफरेन्ट ग्रेड्स के कर्मचारी हैं या समान ग्रेड के हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

यह दोनों अलग-अलग पद हैं।

[दिनाँक 28 सितम्बर, 1977 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बी० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्तियां

*1—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त प्रदेश में बी० टी० सी० ट्रेण्ड अध्यापकों की संख्या 30 हजार के करीब है और उनकी नियुक्तियाँ सन् 1970 से बन्द हैं ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या बड़े पैमाने पर बेसिक प्राइमरी स्कूल खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

इस वक्त प्रदेश में बी0 टी0 सी0 ट्रेण्ड अध्यापकों की संख्या लगभग 60 हजार है। शासन द्वारा उनकी नियुक्तियों पर अप्रैल, 1974 से रोक लगा दी गयी थी। शासन द्वारा 4 अगस्त, 1977 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत हुई 10,900 अध्यापकों की रिक्तियों को भरने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 1977–78 में 3,162 नए प्राइमरी स्कूल तथा 612 जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत लगभग 6,200 व्यक्तियों को और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, इस बात को देखते हुए कि अभी जो शासन ने आदेश दिए हैं कि 10,900 और 1977–78 के लिए जो आदेश हो रहे हैं उसके लिए 6,200 यानी कुल लगभग 17,000 के जो ट्रेण्ड अध्यापक हैं, उनको रखे जाने की कोई योजना है? क्या सरकार पूरे प्रदेश का सर्वे कराकर कोई योजना बनावेगी और पिछड़े इलाकों में जहाँ पर बेसिक प्राइमरी स्कूल नहीं है वहाँ पर विशेष प्लान बनाकर स्कूल खोले जायं कि जिससे ट्रेण्ड अध्यापकों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो सके?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन के सम्मुख कोई ऐसी स्कीम है जिसके अन्तर्गत ट्रेण्ड अध्यापकों को और जो ट्रेण्ड होकर आने वाले हैं या आ रहे हैं, उनको कितने सालों में रोजगार से लगाया जा सकेगा?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, इसके लिए इस समय तो कोई विचार नहीं है लेकिन जितने भी ट्रेण्ड अध्यापक हैं और ट्रेण्ड हो कर आ रहे हैं, उनकी खपत हो और वे बेरोजगार न रहें, इसके लिए भी सरकार के पास विचार है। जो ट्रेनिंग के स्कूल इस समय चल रहे हैं, उनको भी कम कर दिया गया है और इनकी भी संख्या कम कर दी गयी है।

श्री श्याम धर मिश्र—

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इन साठ हजार अध्यापकों में से जो ट्रेण्ड हैं, उनकी नियुक्ति में किस प्रकार प्राथमिकता निर्धारित की जायगी? क्या इसके लिए कोई कमेटी बनाई जायगी जो नियुक्ति करेगी अथवा जो लोग पहले पास हुए हैं, उनको प्रायरिटी दी जायगी? क्या इसके लिए कोई नियम बनाया गया है?

श्रीमती मालती शर्मा—

पिछली सरकार ने बहुत अनियमिततायें की हैं। उनका सुधार करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है कि सन् 1970 से जितने ट्रेण्ड बी0टी0सी0 लोग हैं उनकी एक सूची तैयार की जाय और उनकी मैरिट के आधार पर वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती करें।

(मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, स्वयं वे भी और वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार द्वारा की गयी अनियमितताओं की देन हैं।

(हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, 43,000 तो अभी बाकी हैं और कुछ निकल रहे हैं तो क्या माननीया शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि प्रतिवर्ष कितने ट्रेण्ड अध्यापक निकलते हैं ?

श्रीमती मालती शर्मा--

प्रति वर्ष छः हजार ट्रेन्ड अध्यापक निकलते हैं।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो अध्यापक लिए जाने हैं तो जब ये इन्टरव्यू के लिए काल किए जायेंगे तो उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय होगा ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, कोई भी इन्टरव्यू नहीं लिया जायगा अतः उसके लिए कोई भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने जैसा कि निवेदन किया। बी0 टी0 सी0 के जितने विद्यालय हैं, उनसे वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ट्रेण्ड अध्यापकों की लिस्ट मांग लेंगे और उसी में से मेरिट के अनुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मान्यवर, पिछली सरकार की अनियमितताओं को देखते हुए क्या माननीया शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जितने भी इस प्रकार के ट्रेण्ड टीचर्स हैं, उनको किसी प्रकार का कोई ट्रेण्ड टीचर्स निर्वाह भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि मेरिट के आधार पर रखने से काफी झंझट हो जायगा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग पहले पास हुए हैं, उस आधार पर नियुक्ति करने में सरकार को कौन सी आपत्ति है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो लोग सन् 1970 से पास हुए हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जायेगी और मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जायगी और जो लोग उससे भी पहले पास हुए हैं, उनकी पहले नियुक्ति की जायगी।

श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)--

हरिजनों का जो नियुक्तियों में 18 प्रतिशत कोटा था, क्या वर्तमान सरकार उसको पूरा करेगी ?

श्रीमती मालती शर्मा—

यदि ट्रेण्ड अभ्यर्थी होंगे तो अवश्य उनका कोटा पूरा किया जायगा ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या माननीया मन्त्री जी प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम एक प्राइमरी पाठशाला खुलवाने की कृपा करेंगी और जो भवन जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं उनकी मरम्मत कराने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बिल्कुल अलग है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जिस प्रकार से बी०टी०सी० के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात आप सोच रही हैं उसी प्रकार से जितने बी०एड० एवं एल०टी० लोग हैं और सन् 1970 से बेकार पड़े हैं, उनको भी नियुक्ति के लिए मौका देंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपने नया प्रश्न किया है। केवल बी०टी०सी० तक सीमित होना चाहिए ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है क्या उसमें विधवाओं, इमरजेन्सी में पीड़ित लोगों के बच्चों या भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ?

श्रीमती मालती शर्मा—

जिनका रिजर्वेशन है, उन सबका ध्यान रखा जायेगा ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1977–78 में कितने नए स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसका लिखित उत्तर है आप पढ़ लीजिए ।

*2—श्री ऊदल—

[सातवें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गांधी आदर्श विद्यालय इन्टर कालेज बहनी, जिला बस्ती में प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति एवं प्रधानाचार्य का निलम्बन

*3—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांधी आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज, बहनी, जिला बस्ती में सितम्बर, 1975 में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति का आदेश शासन द्वारा हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस आदेश को लागू न करने का क्या कारण है ? क्या इसका पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

जी हां। प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए किन्तु बाद में पुनः जांच कराने की आवश्यकता समझी गयी। अतः 6 अक्तूबर, 1975 को यह आदेश दिए गए कि नियन्त्रक अगले आदेशों तक कार्यभार ग्रहण न करें। साथ ही साथ आरोपों की वर्तमान स्थिति पूछी गयी। अन्ततः जांच के पश्चात् शिक्षा निदेशक की संस्तुति पर दिनांक 11 जनवरी, 1977 को प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी किए गए।

*4--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 15 सितम्बर, 1967 को प्रधानाचार्य, गांधी आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज, बढ़नी, जिला बस्ती निलम्बित किए गए थे? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी तथा उनका निलम्बन अब तक किन कारणों से चल रहा है?

श्रीमती मालती शर्मा--

जी हां। प्रधानाचार्य का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि 23 सितम्बर, 1975 को जो आदेश जारी किया गया तो वे क्या-क्या आरोप थे जिनके आधार पर नियन्त्रक को नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे?

श्रीमती मालती शर्मा--

गांधी आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज, बढ़नी, जिला बस्ती में आडिट आपत्तियों का निराकरण का न होना तथा प्रशासनिक योजना के अनुरूप प्रबन्धक समिति का गठन न होना ही कारण थे।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या केवल यही 2 आरोप थे या और कोई आरोप था? बाद में 6 अक्तूबर, 1975 को जो आदेश दिए गए वे किस कारण से दिए गए? किस के प्रार्थना-पत्र पर कार्य-भार ग्रहण नहीं कराया गया?

श्रीमती मालती शर्मा--

माननीय गोपीनाथ कामेश्वरपुरी जो उस समय के विधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने शिक्षा मन्त्री को सूचना दी कि जो आडिट की अनियमितताएं थीं, उनको ठीक कर लिया है और समिति भी विधिवत गठित हो गयी है। इस पर पुनः विचार कर रही है और वह सब ठीक कर लिया है जिसके कारण नियन्त्रक की नियुक्ति रोक दी जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि यह जो 11 जनवरी, 1977 की रिपोर्ट है, उसमें क्या इसकी जांच फिर से डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने की थी और स्वयं उनकी अनियमितताएं पूर्ववत् रहने के बावजूद भी यह निर्णय भू0 पू0 शिक्षा मन्त्री के कथन के अनुसार किया गया कि नियन्त्रक वापस ले लिया जाय?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, माननीय सदस्य के कहने पर उन्होंने पुनः साधिकार नियन्त्रक को स्टे कर दिया, लेकिन फिर आख्या मांगी और जिला विद्यालय निरीक्षक को पुनः आदेश दिए कि इनकी पुनः वह जांच करें।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मन्त्री जी ने बताया कि साधिकार नियन्त्रक को रखा गया कि वह जांच करे, लेकिन वह आडिट रिपोर्ट का निराकरण नहीं करेंगे, तो आडिट रिपोर्ट क्या थी जिसका निराकरण नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आडिट रिपोर्ट तो लम्बी होगी। यह कहा कि आडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं बताई गयीं जिनके आधार पर नियन्त्रक नियुक्त करने की बात हुई। माननीय सदस्य का मतलब है कि आडिट की अनियमितताएं दूर कर दी गयीं, माननीय मन्त्री जी।

श्रीमती मालती शर्मा--

उस समय के प्रबन्धक गोपीनाथ कामेश्वरपुरी थे। उन्होंने कहा कि आडिट की जो रिपोर्ट है उसकी अनियमितताओं का निराकरण हो जायगा। कमेटी शीघ्र वह कार्यवाही कर रही है और इसलिए उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि अभी आप नियन्त्रक नियुक्त न करें, वह सब कार्यवाही कमेटी पूर्ण कर लेगी।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीया मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मन्त्री जी ने बताया कि साधिकार नियंत्रक का आदेश विभागीय अधिकारियों की अनियमितताओं की जांच समाप्ति के उपराँत दिया गया था और प्रबन्धक के आदेश पर स्थगित किया गया और पुनः जांच कराई गयी और निरस्त किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने साधिकार नियन्त्रक स्थापित करने के लिए संस्तुति की थी, वह सही थे तो फिर दूसरी जो जांच हुई, जिन अधिकारियों ने कहा कि नियन्त्रक की आवश्यकता नहीं है, उसे वापस किया गया, तो दोनों में जिन अधिकारियों की संस्तुतियां गलत थीं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? और नहीं की गयी है तो क्या कोई कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, उस समय जो आपत्तियाँ लगाई गयी थीं उनके लिए इस विधान सभा के जो माननीय सदस्य थे कामेश्वरपुरी, उन्होंने आकर रिपोर्ट शासन को दी कि इस तरह की आडिट रिपोर्ट है, उनके प्रति जो आपत्तियाँ की गयी हैं, उन्हें प्रबन्ध समिति तुरन्त ही समाप्त कर रही है, उन पर ध्यान दे रही है, इसलिए सब कुछ पुनः शासन ने उनको देखने का आदेश दिया और नियन्त्रक जो वहाँ नियुक्त किया जाना था वह नहीं किया।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, हमारा प्रश्न यह है कि दो तरह के आरोप लगाए गए और विधिवत रिपोर्ट कमेटी की इम्पलीमेंट नहीं की गयी और दूसरे यह कहा गया कि प्रबन्ध समिति की गलती हुई थी या कार्यवाही नहीं हो पाई थी तो क्या वह दोनों चीजें पूरी हो गयीं ? किसलिए नियन्त्रक वापस लिया गया ?

श्रीमती मालती शर्मा—

दोनों बातें उन्होंने पूरी कीं और इसी पर शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट भी आ गई कि इस समय सब काम पूरा था इसलिए साधिकार नियन्त्रक की आवश्यकता नहीं है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीया मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी की रिपोर्ट देने पर किसी अधिकारी ने जाँच की थी, तब साधिकार नियन्त्रक रोका गया या उनके कहने से ही रोक दिया गया ?

श्रीमती मालती शर्मा—

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी जो उस समय विधान सभा के सदस्य थे और एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ही शासन ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर वह निरस्त कर दिया।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

पाण्डेय जी, आप अनुपूरक प्रश्न कर चुके हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपको मैंने अनुमति दी। आपने तीन प्रश्न कर लिए। अच्छा एक प्रश्न और कर लीजिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जब श्री कामेश्वरपुरी जी प्रबन्धक थे तब भी विधायक थे और जब रिपोर्ट हुई तब भी विधायक थे और उन्होंने जब प्रशासक नियुक्त होने की रिपोर्ट आई तो प्रभाव डाल कर साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति को वापस करा लिया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं है। यह तो आपकी अपनी राय है।

श्री श्याम धर मिश्र—

उत्तर देखने से यह निकलता है कि नियन्त्रक की नियुक्ति के आदेश 23 सितम्बर, 1975 को जारी किए गए, किन्तु बाद में पुनः जाँच करने के बाद 6 अक्तूबर, 1975 को फिर आदेश दिए गए कि कार्यभार न ग्रहण करें। फिर 11 जनवरी, 1977 को साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। तो तीन स्तर पर जाँच हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों स्तरों पर एक ही स्तर के अधिकारी से जाँच हुई या कई स्तर के अधिकारियों से जाँच हुई ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, शासन के पास विभागीय दायित्व है, केवल विभागीय माध्यम से ही शासन ने जाँच कराई।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि जो प्रधानाचार्य निलम्बित किए गए हैं उनको निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मालती शर्मा—

नहीं दिया जा रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था, निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है तो कारण क्या है, न देने का ?

श्रीमती मालती शर्मा—

प्रधानाचार्य को निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इनका केस न्यायालय में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न संख्या 7, श्री नरेश चन्द्र ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

श्रीमन्, यह दस साल से मुअत्तिल हैं और निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है । आपके दो अनुपूरक हो चुके हैं । आप बैठिए ।

*5–6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

रामाधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाहनपुर, जिला खीरी में कार्यरत प्रबन्ध समितियां

*7—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के रामाधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाहनपुर में दो प्रबन्ध समितियाँ काम कर रही हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस स्थिति को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मालती शर्मा—

जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेश चन्द्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो पत्रों के बारे में मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा। एक पत्र संख्या 1934/77–78, दिनाँक 12 अगस्त, 1977 का है जो कि प्रधानाचार्य ने जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा, जिसमें कहा है कि दो प्रबन्ध समितियाँ सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और दूसरा हैं पत्र संख्या 1859 जोकि पुरानी प्रबन्ध समिति के मैनेजर ने प्रधानाचार्य को लिखा है और उसमें यह कहा है. . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, पत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यह सूचना दे रहे हैं। आप सरकार से सूचना माँगिये।

श्री नरेश चन्द्र—

वही माँग रहा हूं। पत्र संख्या 1859, दिनाँक 18 अगस्त, 1977 का है जो पुरानी प्रबन्ध समिति के मैनेजर ने जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रधानाचार्य को लिखा।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि पत्रांक संख्या 1934 तथा पत्रांक संख्या 1859 ये दोनों पत्र प्राप्त हुए हैं कि नहीं ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य पत्रों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। पत्र मेरे पास नहीं हैं।

श्री नरेश चन्द्र—

क्या उस विद्यालय के कोई विवाद के सम्बन्ध में माननीया मन्त्री जी को जानकारी है कि नहीं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री जी को इस तरह की कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि उस विद्यालय के प्रबन्धीकरण के सम्बन्ध में कोई विवाद है ? यदि हाँ, तो उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, यह शासन की जानकारी में है कि वास्तव में वहाँ प्रबन्धीकरण में विवाद है, किन्तु शासन के पास यह पूरी तरह से रिपोर्ट है कि केवल वहाँ पहली ही प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है।

श्री नरेश चन्द्र—

क्या माननीया शिक्षा मन्त्री महोदया, इस सम्बन्ध में जाँच करायेंगी, जो विवाद चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीया मन्त्री जी का उत्तर तो बिलकुल स्पष्ट है कि वहाँ पहली ही प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है। वहाँ दो समितियाँ हैं ही नहीं। इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता। आप कोई उनकी जानकारी में लायें. . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जाँच करायेंगी ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, शासन को जहाँ तक जानकारी है, एक ही प्रबन्ध समिति कार्य कर रही है। दूसरी समिति, जो अपने को कहता है, उसके सम्बन्ध में मैं कह सकती हूं कि उस समिति में 4 सदस्य थे, उनको कहा गया कि आप अपना शुल्क जमा कर दीजिए निश्चित तिथि तक, नहीं तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जायगी। उन सदस्यों ने अपना शुल्क नहीं जमा किया, जिसके आधार पर उनको सदस्यता से निकाल दिया गया। उन्होंने रिट दायर किया। कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया। निकाले हुए 3–4 सदस्यों ने अपनी दूसरी एक समिति बना कर शासन को भेज दिया है, शासन ने उनकी मान्यता नहीं दी है।

राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी के अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतन

*8—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की सिफारिश के आधार पर सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, परन्तु राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर, वाराणसी के कुछ अध्यापकों को नहीं दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती मालती शर्मा—

प्रदेश के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन द्वारा संस्तुत वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से दिया जा रहा है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त वेतनमान प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी) के शिक्षक भी सम्मिलित हैं, 1 जनवरी, 1973 से दिया जाए। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह निर्णय शासन द्वारा कब लिया गया था तथा यह कब तक आज्ञा जारी हो जायगी ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, 17 सितम्बर, 1977 को निर्णय लिया गया है और आज्ञा शीघ्र ही जारी हो जायगी।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर ,जब से यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने सिफारिश की है, तब से दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उत्तर दे दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, यह निर्णय 17 सितम्बर, 1977 को नहीं लिया गया, बल्कि पहले के शासन ने मार्च, 1977 में निर्णय ले लिया था।

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

*9—श्री नेतराम सिंह—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*10—श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*11—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

[6ठें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सड़कों, पुलों और इमारतों में सब-स्टैन्डर्ड माल लगाये जाने की शिकायतों के सम्बन्ध में टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच

*12—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 23 अगस्त, 1977 को अनुसन्धान विभाग के लखनऊ स्थित अनुसन्धान संस्थान का निरीक्षण करते समय उन्होंने अधिकारियों के सम्मुख यह कहा था कि उन्हें अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सूत्रों से सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में सब-स्टैंडर्ड माल लगाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों की जाँच टेक्निकल आडिट सेल द्वारा कराई है ? क्या मन्त्री जी टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट तथा उस पर की गयी कार्यवाही का ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जी हाँ। अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सूत्रों से सड़कों, पुलों और इमारतों के निर्माण में सब-स्टैंडर्ड माल लगाए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिनकी जाँच समय-समय पर टेक्निकल आडिट सेल द्वारा कराई जाती हैं। यदि किसी विशिष्ट मामले में सदस्य महोदय जानना चाहें तो उसके सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर दी जा सकेगी।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित 23 अगस्त, 1977 को मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, समाचार-पत्रों को, उसमें कुछ निश्चित रूप से अभियोग उन्होंने बताये थे। तो जो वक्तव्य समाचार-पत्रों को दिया था और जो अभियोग लगाए थे, उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, 23 अगस्त, 1977 को आमतौर से चर्चा के सिलसिले में मैंने कहा था कि कुछ शिकायतें मिली हैं। जो शिकायत मिलती हैं और जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा तो इन शिकायतों की जाँच करवाता हूं और जाँच करवा रहा हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। अन्तिम भाग में यह है कि क्या मन्त्री जी टेक्निकल आडिट सेल की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। न रखने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैंने यह कहा और अब भी कह रहा हूं कि किसी खास मामले के बारे में आप बतायेंगे तो जानकारी हासिल करके बता दूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

खास मामले की बात नहीं है। टेक्निकल आडिट सेल की जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखने के बारे में मैंने पूछा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, वक्तन-ब-वक्तन जो शिकायतें आती हैं उनकी जाँच करवाई जाती है और उनकी रिपोर्ट आती है। आप किस बारे में जानना चाहते हैं, मैं जानकारी हासिल करके बता दूं। आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं कहाँ से बताऊं ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मन्त्री महोदय वास्तविक तथ्य पर पर्दा डालना चाहते हैं, प्रश्नों का समय सही तथ्यों की जानकारी के लिए होता है। बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स हैं। निश्चित रूप से प्रश्न पूछा गया है किसी सार्वजनिक हित का प्रश्न है नहीं। इसमें लिखा है कि क्या सरकार ने उन शिकायतों की जाँच टेक्निकल आडिट सेल द्वारा कराई है। तो टेक्निकल आडिट सेल की जो रिपोर्ट थी उस पर क्या कार्यवाही की गयी, ब्योरा सदन के पटल पर रखेंगे ? इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सार्वजनिक मन्त्री जी, आपका प्रश्न यह है कि जब आप अनुसन्धान शाला में गए तो क्या आपने यह राय जाहिर की कि आपको बहुत सी इस बात की शिकायतें मिली हैं कि सड़कों, पुलों, इमारतों में स्टैंडर्ड से नीचे के माल का इस्तेमाल होता है। माननीय सदस्य की सूचना निश्चयात्मक है कि आपने इन मामलों को टेक्निकल आडिट सेल को दिया या नहीं ? यदि टेक्निकल आडिट सेल को दिया तो क्या रिपोर्ट है ? आपने जो शिकायतें की थीं उनको तो भेजा होगा टेक्निकल आडिट सेल में। यही आपका मतलब है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, जो शिकायतें आई हैं उनको मैंने टेक्निकल सेल को भेजा, यह मैंने कहा है। चूंकि कई शिकायतें आयीं। कई शिकायतों पर रिपोर्ट आ गयीं और कुछ की आ रही हैं, कुछ की जाँच चल रही है। माननीय सदस्य किसी खास के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसको मंगवाकर बता दूं। कभी-कभी मैं शिकायतों को खुद लेकर जाता हूं और नमूने लेकर भेजता हूं।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, जो शिकायत आपको मिली हैं उनके बारे में टेक्निकल आडिट सेल की क्या रिपोर्ट है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

कई मिली हैं और कई जगहों पर मैं खुद गया हूं टेक्निकल सेल को लेकर और नमूने लिए हैं और लेबोरेटरी में जाँच के वास्ते दिया है। आप किसके बारे में जानना चाहते हैं ? 1-2 रिपोर्टें तो हैं नहीं, कई आई हैं। किसी एक चीज के बारे में बता दें मैं जानकारी हासिल करके बतला दूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। मन्त्री जी ने बताया कि कई शिकायतें मिली हैं। तो मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं, बता दें ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, सीमेंट कम लगाई गयी, बालू ज्यादा लगाई है। ईंटा जो लगाया गया वह ठीक नहीं है। ऐसी शिकायतें हैं। तो इनके नमूने लेकर जाँच करवाई जाती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कितने सैम्पिल लिए हैं और उनमें से कितनों की रिपोर्ट आई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

श्रीमन्, तादाद इस समय नहीं बताई जा सकती है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह टेक्निकल आडिट सेल पुरानी बनी हुई है तो क्या 1975-76 और 1976-77 की मूल रिपोर्ट जो है उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, सवाल के रूप मे रखेंगे तो जरूर उसका जवाब दिया जायेगा।

राजकीय डिग्री कालेज के अध्यापकों को यू० जी० सी० द्वारा निर्दिष्ट वेतन-मान

*13--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि राजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों को यू0 जी0 सी0 द्वारा निर्दिष्ट वेतनमान अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्यों तथा कब से देना प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्रीमती मालती शर्मा--

राजकीय डिग्री कालेजों के अध्यापकों को यू0 जी0 सी0 द्वारा संस्तुत वेतनमान 1 जनवरी, 1973 से देने का शासन ने निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश शीघ्र जारी कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि जिस समय यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने संस्तुति की थी उस समय कहा था कि अगले 5 वर्षों तक अतिरिक्त व्यय वह वहन करेगी, और इसके सन्दर्भ में गवर्नमेंट डिग्री कालेजेज के टीचर्स को वेतनमान देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा प्राप्त कर लिया है लेकिन वह अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्रीमती मालती शर्मा--

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस पर सूचना की आवश्यकता है इसलिए मैं दूसरा प्रश्न करता हूं कि राजाज्ञा जारी होने के बाद क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगी कि सम्पूर्ण एरियर इन अध्यापकों को एक साथ दे दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कह दिया गया है कि 1973 में दिया जायगा--यह तो एरियर में हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अदायगी कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष--

1973 से दिया जायगा। आदेश जारी किए जा रहे हैं।

सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता सिविल एवं सहायक यान्त्रिक अभियन्ता का नियमितीकरण

*14—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में 500 से अधिक सहायक अभियन्ता एवं सहायक यान्त्रिक अभियन्ता तदर्थ रूप में कार्यरत है ? यदि हां, तो इनका नियमितीकरण कब तक हो सकेगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

जी हां। सिंचाई विभाग में इस समय 512 सहायक अभियन्ता (सिविल) तथा 85 सहायक अभियन्ता (यान्त्रिक) तदर्थ रूप में कार्यरत हैं।

इन पदों के विरुद्ध नियमित चयन कराने का मामला लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित कर दिया गया है। शीघ्रता करने के लिए आयोग से अनुरोध कर दिया गया है।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नियमितीकरण कराने को कहा है वह नए आवेदन-पत्र आमंत्रित करके करेंगे या जो 597 इन्जीनियर एडहाक नियुक्त हैं उनकी लिस्ट भेज देंगे, चरित्र-पंजिका भेजकर, उनको नियमित करेंगे ? तो एडहाक को नियमितीकरण के लिए लिखा गया है या चुनाव करके उनको नियुक्त करने के लिए लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

सब मामले को लोक सेवा आयोग को भेज रखा है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, उत्तर में कहा है कि नियमित चयन के लिए लोक सेवा आयोग को सन्दर्भित किया गया है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन करके लिखा गया है या 597, जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियुक्त करने के लिए लिखा गया है ?

श्री बलवीर सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जितनी वैकेन्सीज लोक सेवा आयोग के पास भेजी गई हैं उनमें प्रार्थना की गयी है कि आप लिस्ट बनाकर भेजें, ताकि हम उनको रेगुलर कर सकें। इसका मतलब यह है कि आयोग ने एडवरटाइजमेंट जारी किया है और जो इन्जीनियर हैं उनके प्रार्थना-पत्र मांगे हैं। उनके अलावा जो इन्जीनियर हैं उन्होंने चाहा है कि हमारे नाम गवर्नमेंट की तरफ से भेजें जायं और उन पर विचार किया जाय। सभी ने प्रार्थना-पत्र दिए हैं कि नहीं यह जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन सबके नाम लोक सेवा आयोग में भेज दिए गए हैं और उन पर पूरा विचार होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवल इन्हीं इन्जीनियरों का नाम पब्लिक सर्विस कमीशन तय करेगा या और ओपिन कम्पीटीशन होगा ?

श्री बलवीर सिंह--

यह तो ओपेन कम्पटीशन हो गया। जितनी वेकेन्सीज हैं उनके लिए नाम भेजेंगे। कुछ नाम हमने भेज दिए हैं कि इनको भी शामिल कर लिया जाय। उन इंजीनियर्स को शुबहा था कि शायद हमको न बुलावें और अच्छी डिवीजन वाले हों, उनको बुलावें। इस लिए कमीशन से बात करके तय कर लिया है कि इनका भी नाम कन्सीडर कर लिया जाय।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मन्त्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और जो 597 इन्जीनियर वर्षों से काम कर रहे हैं और जिनका काम सन्तोषजनक है उनको लोक सेवा आयोग से नियमित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

सहायक अभियन्तागण मुझसे मिले थे। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से भी इसका सम्बन्ध है। हम दोनों से जब वे लोग मिले तो उन्होंने कहा कि शायद उनको शामिल न किया जाय तो हमने सबका नाम भेजने का निश्चय लिया और सबके नाम चले गए हैं। आपका शायद मतलब यह है कि जो काम कर रहे हैं उनको बगैर कमीशन में भेजे रेगुलर कर दें। अब जब कमीशन से इतनी बातचीत हो गयी और उन्होंने इतनी प्रक्रिया पूरी कर ली तो इस हालत में कोई दूसरा निर्णय लिया जाना कठिन है। और अकेले मैं निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री भी इसमें सम्बन्धित है।

तहसील हसनपुर में गंगा फीडर चैनल पर पुल का निर्माण

*15--श्री रमा शंकर कौशिक--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि कालागढ़ से निकाले गए गंगा फीडर चैनल से मुरादाबाद जनपद की तहसील हसनपुर के बीसों गांव जिनमें लगभग 7,000 व्यक्ति रहते हैं एक टापू की भांति बने हैं और जिनका किसी भी सड़क, रेल, कस्बे से सम्पर्क साधन का कोई रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो कई साल बीत जाने के बाद भी अभी तक फीडर चैनल पर पुलों का निर्माण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

यह सही नहीं है। हसनपुर तहसील में गंगा फीडर चैनल पर 11 पक्के पुल बने हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि स्थान शेरपुर से गंगा तक जो फीडर चैनल है, उसके बीच में 7 मील का रास्ता है, क्या वहां कोई पुल है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो प्रश्न फीडर चैनल का था जो शेरपुर में खत्म हो जाता है। एक पीपे का पुल शेरपुर में है। वहां एक बहा नाला है। गंगा नदी और बहा नाले के बीच में चार-पांच गांव हैं। ये लोग बरसात के दिनों में नाव से आते-जाते हैं। बरसात के दिनों

के अलावा वहां पानी बहुत कम रहता है। लेकिन किसानों को आने-जाने में दिक्कत होती है इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि वहां पीपे का पुल बनाया जाय क्योंकि वहां यही सम्भव है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या माननीय मन्त्री जी इस पुल की व्यवस्था इस सीजन में कर देने पर विचार कर रहे हैं? क्या इस सीजन में बनकर तैयार हो जायगा?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

पुल की व्यवस्था इस सीजन में कर देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गंगा फीडर, हसनपुर तहसील में कितनी लम्बी हैं और कितनी मील पर एक पुल दिया जाता है?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, 19 किलो मीटर लम्बी तहसील में 11 पुल दिए गए हैं. . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माप दण्ड क्या है?

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि कितने मील के फासले पर एक पुल है।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

अलग-अलग मापदण्ड दिए जाते हैं। जो नहर ज्यादा चौड़ी होती है उसके लिए अलग-अलग है। यदि आप प्रश्न पूछें तो अलग-अलग बता दूं। इसमें औसतन करीब दो किलोमीटर पर एक पुल पड़ा है। जहां आबादी ज्यादा होगी वहां दो किलो मीटर पर पुल बनेगा जहां पर आबादी नहीं है, पुल नहीं बनेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस बात को देखते हुए कि वहां की स्थानीय जनता की मांग अधिक पुलों की है क्या माननीय मन्त्री जी अपने मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए तुरन्त सर्वेक्षण करायेंगे और यह देखेंगे कि अतिरिक्त पुल बनाने की आवश्यकता है?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

माननीय नेता विरोधी दल इस प्रश्न को पुनः स्पष्ट कर दें. . .

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि वहां की आवश्यकता को देखते हुए अधिक पुल बनाने के बारे में सर्वेक्षण करायेंगे या देखेंगे?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, फीडर चैनल की मांग है, पुलों की मांग नहीं है। बाहर नाले पर पुल की मांग है जहां पर पीपे का पुल बनाने का निर्णय करने जा रहे हैं।

आचार्य नरेन्द्रदेव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में डायरी व मैगजीन के वितरण में विलम्ब

*16—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या आचार्य नरेन्द्र देव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में शिक्षा सत्र 1976–77 में छात्राओं से कालेज डायरी शुल्क, मैगजीन शुल्क तथा चिकित्सा शुल्क दर क्रमश: 2 रु0, 5 रु0 तथा रु0 3 प्रति छात्रा से लिया गया था ? यदि हां, तो क्या छात्राओं को डायरी और मैगजीन वितरित की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती मालती शर्मा—

जी हां। वर्ष 1976–77 में डायरियां समय पर उपलब्ध न हो सकने के कारण छात्राओं को वितरित नहीं की जा सकी। अत: 1977–78 में बिना शुल्क लिए डायरियों वितरित की जायेंगी। वर्ष 1976–77 की मैगजीन छात्राओं में वितरित की जा रही हैं।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मैगजीन छप कर कालेज में कब प्राप्त हुई और छात्राओं में कब वितरित हुई ?

श्रीमती मालती शर्मा—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कर्मचारियों की मांगें

*17—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 29 जुलाई, 1977 को गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं और शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

प्राविधिक शिक्षा उप मन्त्री (कुंवर सत्यवीर)—

जी हां।

कर्मचारियों की जो मुख्य मांगें थीं वे नीचे दी हुई हैं :—

(1) कालेज को सरकारी कालेज बनाने या गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक संकाय घोषित करना, तथा

(2) कालेज प्रशासन के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा कुछ कर्मचारियों को उत्पीड़ित किए जाने की जांच।

कर्मचारियों के ज्ञापन में दी गयी मांगों की स्थल पर जांच एक तीन सदस्यीय जांच समिति ने की है जिसके अध्यक्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक रिटायर्ड मुख्य अभियन्ता थे। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जाँच समिति की रिपोर्ट में क्या-क्या संस्तुतियाँ की गयी हैं ?

कुंवर सत्यवीर—

मैंने बताया कि जाँच समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है इसलिए गोपनीयता भंग हो जायगी, यदि ऐसा ब्योरा दिया जायगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और शासन के विचाराधीन है । रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी उस रिपोर्ट में विशेष क्या है, संक्षेप में बता दीजिए ।

कुंवर सत्यवीर—

रिपोर्ट अगर पूरी सुना दी जायगी तो उसमें एक खतरा यह है कि लीगल काम्पलीकेशन पैदा हो जायेंगे तो फिर यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जायगी । यह जनहित में अगर रिपोर्ट सुना दी गई तो गोपनीयता भंग होने का डर है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर में यह कहा गया है कि तीन सदस्यीय जाँच समिति नियुक्त की गयी है जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर, एस० जी० वर्मा हैं । शिकायत भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पक्षपात तथा उत्पीड़न के सम्बन्ध में है और चीफ इन्जीनियर की नियुक्ति जाँच समिति में हुई है जबकि वह टेक्निकल आदमी हैं तो भ्रष्टाचार भी क्या टेक्निकल मैटर है ?

कुंवर सत्यवीर—

श्री एच० जी० वर्मा रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर जरूर हैं लेकिन वे एच० बी० टी० आई०, कानपुर की गवर्निंग बाडी के वाइस चेयरमैन हैं ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मैंने आग्रह किया था कि रिपोर्ट की प्रमुख बातें बतला दी जायं किन्तु मन्त्री महोदय ने उत्तर देते हुए बताया कि उन बातों को बतलाने से काम्पलिकेशन्स पैदा हो जायेंगे और गोपनीयता भंग हो जायगी, जो जनहित में नहीं होगा । लेकिन मेरी जानकारी है कि रिपोर्ट कृषि फार्म्स के विषय में तथा कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में है और उस सम्बन्ध में बतलाने से न गोपनीयता भंग होगी और न कोई काम्पलीकेशन्स पैदा होंगे ।

नोट—ताराँकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

*18—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में वर्ष 1976–77 में कोई शिकायती-पत्र शासन को हाल ही में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या माननीय मन्त्री उन शिकायतों की तुरन्त जाँच कराकर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

शिकायती-पत्र अगस्त, 1976 में प्राप्त हुए थे। उन पर कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय की आख्या माँगी गयी और कतिपय आरोप निराधार पाये गये। कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं।

*19—श्री रामदत्त जोशी तथा श्री कमल किशन पाण्डेय—

[दिनाँक 30 अगस्त, 1977 को शून्य प्रहरमें सूचना स्वीकार होने के कारण निरस्त]

बेसिक शिक्षा परिषद् उन्नाव के जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों का चयन का आधार

*20—श्री देव कुमार (जिला बाँदा) तथा श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री भैरवदत्त सानवाल, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के आदेश संख्या 15–5–73 रा0 एकी0 दिनाँक 20 मार्च, 1974 तथा आदेश सं0, दिनाँक 27 दिसम्बर, 1974 के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य अनुसूचित जन जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का आदेश जारी किया गया था ? क्या यह सच है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, उन्नाव ने जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के चयन में जो 11 जुलाई, 1977 को सम्पन्न हुआ इस आदेश का पालन नहीं किया जिससे अनेकों ज्येष्ठ एवं योग्य हरिजन अध्यापक पदोन्नति से वंचित कर दिये गये और उनकी हकतलफी की गयी ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हाँ। किन्तु वे आदेश राज्य सरकार के अधीन सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में लागू थे और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। बेसिक शिक्षा परिषद् उन्नाव के जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति में ज्येष्ठता के आधार पर चयन किया गया जैसा कि परिषद् का निदेश था। अतः ज्यष्ठ एवं योग्य हरिजन अध्यापकों की हकतलफी नहीं हुई।

सामान्य व हरिजन अध्यापकों की पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता सूची

*21—श्री देव कुमार तथा श्री मित्र सेन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आदेश के अनुसार सामान्य व हरिजन अध्यापकों की अलग-अलग ज्येष्ठता सूची तैयार करके आरक्षण की सीमा तक हरिजन अध्यापकों की अलग चयन करने के बजाए सामान्य व हरिजन अध्यापकों की एक ही सूची बनाई गई और सबका एक साथ चयन किया गया और आदेश का उल्लंघन किया गया ?

श्री काली चरण—

यह सत्य है कि पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता के आधार पर एक ही सूची तैयार की गयी है और क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद् एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है जिस पर सन्दर्भित शासनादेश लागू नहीं थे, इसलिए शासन के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

*22—श्री कल्पनाथ सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री राम जनम, श्री अवधश कुमार श्रीवास्तव, श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*23—श्री प्रदीप कुमार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गढ़वाल मण्डल के राजकीय कन्या इटर कालेज व हाई स्कूलों में स्थायी अध्यापक

*24—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में राजकीय कन्या इण्टर कालेजों व हाई स्कूलों में ऐसी भी अध्यापिकाएं हैं जिनका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हुए अगस्त, 1977 तक दो वर्ष से अधिक हो गया है ? यदि हाँ, तो अभी तक उनको स्थायी न करने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है तथा उसमें कितना समय और लग जायगा ?

श्री काली चरण—

जी हाँ।

सभी को स्थायी कर दिया गया है।

आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल सी० ओ० डी०, कानपुर का बन्द किया जाना

*25—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श हायर सेकेण्ड्री स्कूल, सी0ओ0डी0, कानपुर को स्कूल की प्रबन्धकारिणी समिति ने जुलाई, 1977 से बन्द कर दिया है ? यदि हाँ, तो स्कूल के कितने अध्यापक एवं कर्मचारी बेकार हो गये हैं ? क्या शिक्षा मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विद्यालय के अध्यापकों ने इस विषय में उन्हें कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री काली चरण—

जी हाँ, संस्था 7 जून, 1977 से बन्द कर दी गयी है संस्था में प्रधानाचार्य सहित 15 अध्यापक, लिपिक तथा 4 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बेकार हो गए हैं। संस्था के कर्मचारियों का एक ज्ञापन शासन को मिला है। ऐसे कर्मचारियों को अन्य संस्थाओं में समायोजित करने हेतु शिक्षा अधिनियमन में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

गाजीपुर के काजी टोला फेरी घाट का आय-व्ययक

*26—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के काजी टोला फेरी घाट के रख-रखाव पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 1973–74, 1974–75, 1975-76 तथा 1976–77 में कितना धन व्यय करना पड़ा तथा ठेकेदारों से विभाग को नीलामी में वर्षवार कितना धन प्राप्त हुआ ? क्या सरकार रामनगर फेरी घाट (वाराणसी) की तरह काजी टोला (गाजीपुर) फेरीघाट को भी निःशुल्क पारगमन की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

गाजीपुर काजी टोला फेरी घाट के रख-रखाव पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को निम्नलिखित वर्षों में उनके सामने अंकित धन व्यय वहन करना पड़ा:—

वर्ष	धन
1973–74	रु0 87,665.00 पै0
1974–75	रु0 2,34,565.80 पै0
1975–76	रु0 3,01,885.40 पै0
1976–77	रु0 2,78,955.00 पै0

तथा ठेकेदारों से विभाग को नीलामी द्वारा निम्नलिखित वर्षों में उनके सामने अंकित धन प्राप्त हुआ :—

वर्ष	धन
1973–74	रु0 84,555.73 पै0
1974–75	रु0 85,157.00 पै0
1975–76	रु0 85,157.00 पै0
1976–77	रु0 1,09,153.34 पै0

जी नहीं ।

*27—श्री अवधेश नरायन—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित] ।

*28—श्री हेमराज—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

राजकीय इन्टर कालेज तथा हिन्दू कन्या पाठशाला इन्टर कालेज, सीतापुर में उर्दू की कक्षायें

*29—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1977 के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह में सीतापुर स्थित राजकीय इण्टर कालेज तथा हिन्दू कन्या पाठशाला इण्टर कालेज के प्रधानाचार्या तथा स्थानीय विधायक की ओर से यह सूचना मिली कि दोनों कालेजों में तीस-तीस से अधिक छात्र एवं छात्राएं इण्टर में उर्दू विषय पढ़ना चाहते हैं ? यदि हाँ, तो क्या उर्दू कक्षाओं की व्यवस्था कर दी गयी ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो कक्षाएं कब से खोल दी जायेंगी ?

श्री काली चरण--

जी हाँ। दोनों विद्यालयों में सितम्बर 8, 1977 से इण्टर स्तर पर उर्दू की कक्षाएं खोल दी गयी हैं।

*30--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

टिनिच दुबोलिया सड़क, जिला बस्ती के निर्माण की मांग

*31--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की टिनिच दुबोलिया सड़क के वित्तीय वर्ष 1977-78 से निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने दिनाँक 20 जुलाई, 1977 को आमरण अनशन की नोटिस दी है? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या निर्णय लिया?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

कुलपति, अवध विश्वविद्यालय के विरुद्ध वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच

*32--श्री अशफाक (जिला गोंडा), श्री दीप नरायन (जिला गोंडा), श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री को अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा की गयी घोर वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में विगत दो माहों के बीच विधायकों द्वारा प्रस्तुत कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 8 के अन्तर्गत अविलम्ब जाँच की माँग की गयी है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण--

जी हाँ। इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति जानने हेतु अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*33--श्री रामदेव दुबे, श्री उदय नारायण सिंह तथा श्री मोहन सिंह--

[14-9-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत उत्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का समायोजन योजना के अन्तर्गत स्थानान्तरण

*34--श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में सैकड़ों बेसिक शिक्षा के अध्यापकों एवं अध्यपिकाओं का स्थानान्तरण अगस्त, 1977 ई0 में जनपद के एक छोर से दूसरे छोर के लिए तथा कथित समायोजन की योजना के तहत कर दिया गया है? यदि

हां, तो समायोजन की योजना के नियम उप नियम क्या हैं क्या हजारों अध्यापकों-अध्यापिकाओं के हित को ध्यान में रखते हुए मन्त्री जी समायोजन की योजना को निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री कालीचरण—

जी हां। समायोजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जिन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापक उपलब्ध नहीं थे अथवा जिनमें छात्र संख्या के आधार पर वांछित संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं थे, वहाँ ऐसे विद्यालयों से, जहां छात्र संख्या अनुपात में अध्यापक अधिक थे, स्थानान्तरण द्वारा अध्यापक उपलब्ध कराना था क्योंकि उस समय रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर प्रतिबन्ध लगा था। समायोजन के अन्तर्गत अध्यापकों का स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् ने जो निर्देश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए थे उनका संक्षिप्त विवरण संलग्न है। शिक्षा निदेशक द्वारा 2 सितम्बर, 1977 को निर्गत निर्देशों के अनुसार अग्रिम आदेशों तक समायोजन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 995 पर।)

*35–36—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3-4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*37—श्री प्रदीप कुमार—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*38—श्री रियासत हुसैन—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*39—श्री रियासत हुसैन—

[7वें बुधावर के लिए स्थगित।]

हरदोई के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते तथा अनिवार्य जमा योजना की धनराशि का भुगतान

*40—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा परिषद् अध्यापकों को सन् 1972 के बाद सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अतिरिक्त महंगाई भत्तों की धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। नगर क्षेत्र के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की कोई धनराशि अवशेष नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के कुछ मासों का भुगतान होना शेष है तथा जिसके भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

*41—श्री बिहारी लाल हंस—

क्या यह भी सत्य कि उन्हें अनिवार्य जमा की गयी पहली किस्त का भी भुगतान अभी तक नही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसे भुगतान करने की कोई व्यवस्था अतिशीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

जी हां। रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर से बैंक ड्राफ्ट/चेक प्राप्त न होने के कारण उन्हें यह भुगतान नहीं किया जा सका है।

बैंक ड्राफ्ट/चेक प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा।

गोवर्धन नाले के सम्बन्ध में हुए समझौते पर निर्णय तथा जल निकासी की प्रस्तावित योजनायें

*42—आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या सरकार गोवर्धन नाले के सम्बन्ध में पंजाब और राजस्थान सरकार से हुए समझौते की प्रतिलिपि को सदन में रखने की कृपा करेगी?

श्री बलबीर सिंह—

राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच में गोवर्धन नाले के सम्बन्ध में समझौते के रूप में कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है परन्तु समय-समय पर केन्द्रीय सरकार तथा तीनों राज्य सरकारों के बीच विभिन्न स्तर पर विमर्श में निर्णय लिए गए हैं। गोवर्धन नाले की क्षमता निर्धारण में हरियाणा एवं राजस्थान राज्य क्रमशः 200 एवं 640 क्यूसेक्स पानी गोवर्धन नाले के कामा रेगुलटर से निकालेंगे।

*43—आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

गोवर्धन नाले की बाढ़ से जो हानि हुई है, उसको देखते हुए उपरोक्त प्रदेशों से की गई संधि पर क्या सरकार पुनः विचार करेगी?

श्री बलवीर सिंह—

हरियाणा एवं राजस्थान से कामा रेगुलेटर पर क्रमशः 200 एवं 640 क्यूसेक्स से अधिक मात्रा में गोवर्धन नाले में आ जाने के कारण समस्त सम्बन्धित क्षेत्र के जल निकास के लिए योजनायें प्रस्तावित की जा रही हैं जिन पर अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार तथा तीनों सरकारों के साथ विमर्श के उपरान्त लिया जा सकेगा।

किसान इन्टर कालेज, उस्का बाजार, बस्ती का अघोषित परीक्षाफल

*44—श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इन्टर कालेज, उस्का बाजार बस्ती के हाई स्कूल का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री काली चरण—

किसान इन्टर कालेज, उस्का बाजार, बस्ती के हाई स्कूल परीक्षा, 1977 के केवल एक छात्र को छोड़कर शेष सभी छात्रों का परीक्षाफल घोषित हो चुका है। इस एक छात्र का परीक्षाफल परीक्षा शुल्क प्राप्त न होने के कारण रुका है।

*45—श्री राम दत्त जोशी—

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास क्षेत्र रुद्रपुर, जनपद देवरिया के जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के स्वीकृत पद

*46—श्री बाबूराम वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के विकास क्षेत्र रुद्रपुर के विभिन्न जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? क्या यह सही है कि अधिकांश शिक्षा संस्थाओं में स्वीकृत पदों से कम अध्यापकों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा निर्धारित संख्या से कम नियुक्ति का क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के पद विद्यालय वार स्वीकृत नहीं होते हैं। विद्यालय में छात्रों की संख्या तथा प्रत्येक कक्षा में खन्डों (सेक्शन्स) की संख्या के अनुसार जितने अध्यापकों की आवश्यकता होती है उतने अध्यापक साधारणत: नियुक्त किए जाते हैं।

*47—श्री विद्या शंकर—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

सिलवर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ के पीछे स्थित भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*48—श्री नरेश चन्द्र—

क्या शिक्षा मन्त्री जी को ज्ञात है कि राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ की सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल, लखनऊ के पीछे स्थित भूमि पर कुछ लोगों का अनधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो उक्त अनधिकृत कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काली चरण—

जी हां, उक्त भूमि पर स्व0 श्री रज्जब अली के उत्तराधिकारी श्री कमरउद्दीन आदि का अनधिकृत कब्जा है। अनधिकृत कब्जे को हटाने हेतु सरकारी वकील के परामर्श अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*49—श्री दया राम भास्कर—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*50—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

छितौनी बांध का निर्माण कार्य तथा उस पर व्यय

*51—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण, लिंकरोड, के0बी0 बंध आदि निर्माण कार्यों को किन कारणों से जून, 1977 में बन्द कर दिया गया। कुल कितना खर्च हो चुका है और इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में कितना और खर्च होगा ?

श्री बलवीर सिंह—

जून, 1977 में छितौनी बाँध पर कार्य इसलिए बन्द कर दिया गया है कि बाढ़ निरोधक कार्यों को बरसात से पूर्व अर्थात् 15 जून तक पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि बरसात के समय कार्य में रुकावट एवं क्षति हो सकती है।

(2) निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर हुए तथा होने वाले व्यय का विवरण निम्नवत् है :—

निर्माण कार्य का नाम	किया गया व्यय	कार्य पूर्ण होने में शेष व्यय
	(लाख रुपयों में)	
(1) छितौनी बाँध एवं वीरभार का सुद्ढ़ीकरण ..	87.53	127.21
(2) रेलवे इम्बैंकमेन्ट का सुद्ढ़ीकरण (जिसमें लिंक रोड का सुद्ढ़ीकरण भी सम्मिलित है)	100.07	119.53
(3) के0 बी0 बाँध का सुद्ढ़ीकरण ..	36.66	6.67

मन्ना लाल इन्दरानी कुंअरि इन्टर कालेज, जैतीपुर, उन्नाव के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*52—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि इमरजेन्सी के दौरान फरवरी, 1976 से मन्नालाल इन्दरानी कुंअरि इन्टर कालेज, जैतीपुर, उन्नाव को सरकार से मिलने वाला अनुदान बन्द हो जाने के कारण उक्त विद्यालय के शिक्षकों को 17 माह का वेतन नहीं मिला है ? जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शिक्षकों की इस समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। केवल हाई स्कूल स्तर का अनुदान देना समाप्त किया गया है क्योंकि इस अनुदान के पाने का पात्र न होते हुए भी विद्यालय द्वारा गलत सूचना देकर उसे प्राप्त किया गया था। शासन में प्राप्त सूचना के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के अध्यापकों को लगभग 12 मास से तथा कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों को मई, 1977 मास से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उक्त भुगतान का दायित्व शासन का नहीं है। तथापि प्रबन्धाधिकरण को निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे भुगतान अविलम्ब करें।

प्रभारी सहायक अभियन्ता के पद पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति

*53—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

प्रथम सत्र 1977 के पहले बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 तथा 1977 में लगभग 115 प्रभारी सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की है उसमें अनुसूचित जाति का केवल एक ही सहायक अभियन्ता है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं।

वर्ष 1976 तथा 1977 में अब तक कुल मिलाकर 69 सहायक अभियन्ताओं को प्रभारी सहायक अभिन्यता के पद पर प्रोन्नत किया गया है, उनमें अनुसूचित जाति के एक सहायक अभियन्ता हैं। चूंकि चयन के समय केवल एक अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ता ही पात्रता क्षेत्र में आते थे, अत : केवल उन्हीं को प्रोन्नत किया गया।

राजकीय एवं अनुदानित पालिटेक्निक संस्थाओं में मान्यता प्राप्त विषय

*54—श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में कृषि अभियन्त्रण, इलेक्ट्रानिक तथा अन्य बहुत से विषयों में शिक्षण दिए जाने के बावजूद शासन द्वारा उनको मान्यता नहीं दी जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शीघ्र इन्हें मान्यता प्रदान कर तत्सम्बन्धी शासकीय आदेश प्रसारित कर शिक्षार्थियों की असुविधाएं दूर करेगी ?

श्री काली चरण—

इलेक्ट्रानिक्स के पाठ्य-क्रम को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। कृषि अभियन्त्रण तथा कुछ अन्य पाठ्य-क्रमों को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

रायबरेली जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति

*55—श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली), श्री राम देव यादव (जिला रायबरेली) तथा श्री मोहन लाल त्रिपाठी (जिला रायबरेली)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक व अध्यापिकाओं को जो बी0 एड0 अथवा पोस्ट ग्रेजुएट हैं क्या उन्हें जूनियर हाई स्कूलों, हाई स्कूलों में नियुक्त किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक/अध्यापिकाओं को जो बी0एड0 अथवा पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्हें जूनियर हाई स्कूलों तथा हाई स्कूलों में नियुक्त करने का कोई प्राविधान नहीं है।

रामगंगा परियोजना की नहरों से सिंचाई की व्यवस्था

*56—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के सिराथू तहसील के किसानों को सिंचाई के लिए राम गंगा परियोजना से सम्बन्धित नहरों से पानी देने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ।

*57—श्री गुलाब सेहरा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*58—श्री दयाराम भास्कर—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

आपात्काल में सुल्तानपुर के निरीक्षण भवनों पर साज-सज्जा व मरम्मत पर हुआ व्यय

*59—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिल सुल्तानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान सुल्तानपुर के निरीक्षण भवनों पर साज-सज्जा तथा मरम्मत पर अलग-अलग भवनों पर कितना व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि इस दौरान यह व्यय किसी विशेष प्रयोजन से किया गया था ? यदि हाँ, तो वह क्या था और इस फिजूल खर्ची के लिए सरकार सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

विवरण संलग्न है।

जी हां।

भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा मुख्य मन्त्री एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के समय-समय पर आगमन के अवसर पर ऐसा किया गया।

आवंटित धनराशि के दुरुपयोग अथवा अपव्यय की कोई शिकायत नहीं है। अत: अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 996 पर।)

*60—श्री राम नरेश पाण्डेय—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*61—श्री डी0 पी0 बोरा तथा श्री बाबू बदरे—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

आचार्य नरेन्द्रदेव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में बी०एड० छात्राओं से वसूल किया गया परीक्षा-शुल्क

*62—श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या आचार्य नरेन्द्रदेव महापालिका महिला महाविद्यालय, कानपुर में बी० एड० कक्षाओं में प्रवेश हेतु शिक्षा सत्र 1972-73, 1973-74 एवं 1974-75 में प्रवेश परीक्षा शुल्क के नाम से कोई शुल्क वसूल किया गया था ? यदि हाँ, तो प्रति छात्रा से कितना तथा क्या यह शासन से मान्य था ?

श्री काली चरण—

जी हाँ। रु० 10 प्रति छात्रा से टेस्ट परीक्षा शुल्क लिया गया था। इस सम्बन्ध में शासन के कोई आदेश नहीं थे।

*63—श्री बृज लाल, श्री हरिचरण यादव तथा श्री राम बरन वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*64—श्री विद्याशंकर—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, बरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*65—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बरेली के कार्यकलापों के विरुद्ध दिनाँक 10 अगस्त, 1977 को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे। उस पर शासन ने कार्यवाही की ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बरेली के कार्यकलापों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनाँक 10 अगस्त, 1977 को प्रेषित नहीं किया गया बल्कि दिनाँक 11 अगस्त, 1977 को प्रेषित किया गया। जिस पर जाँच की जा रही है।

जिला उपविद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर का स्थानान्तरण

*66—श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला उप विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण शासन द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 1977 को किया गया और इस बीच में इन्होंने दिनांक 18 अगस्त, 1977 को लगभग 300 अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति के आदेश दिए और फिर स्वयं ही उसमें अनेकों संशोधन किए ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले के पुनर्विचारोपरान्त आज के डिप्टी इन्स्पेक्टर को आदेश करने का आदेश देगी ?

श्री काली चरण—

जी हां। प्रश्नगत आदेश जिला स्थानान्तरण समिति के अनुमोदन के उपरान्त कुल 324 अध्यापकों के सम्बन्ध में निर्गत किए गए थे। जिला स्थानान्तरण समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदित सूची से केवल सात अध्यापकों के स्थानों में परिवर्तन करके संशोधित स्थानान्तरण आदेश जनहित में निर्गत किए गए। इस प्रकरण में सम्प्रति शासन के स्तर पर कोई आदेश अपेक्षित नहीं है।

*67—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*68–69—श्री गजाधर प्रसाद—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

*70—श्री बसन्त —

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*71—श्री राजमंगल तिवारी तथा श्री राम नरेश पाण्डेय—

[7-9-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत उत्तरित।]

*72—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*73–74—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

मुरादाबाद में राशन कार्डों में फर्जी यूनिट तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

*75—श्री रमा शंकर कौशिक—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि मुरादाबाद शहर में वर्षों से पूर्ति विभाग द्वारा लगभग 800 यूनिटें जो राशन–कार्डों पर फर्जी दर्ज थीं और जिन्हें ए0 डी0 एम0 सप्लाई ने 6 जनवरी, 1976 को रद्द कर दिया? क्या यह सही है कि कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दोषी पाया गया? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री हरिश चन्द्र)—

मार्च, 1975 में श्री सैय्यद मुनव्वर अली हाशमी ने शिकायत की थी कि भूतपूर्व सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता, श्री महबूब हुसैन की दुकान पर 800 फर्जी यूनिट लगे हैं। जांच करने पर 589 फर्जी यूनिट रद्द करके श्री महबूब हुसैन का अनुबन्ध-पत्र 30 दिसम्बर, 1975 को निलम्बित कर दिया गया तथा दिनांक 13 सितम्बर, 1976 को निरस्त कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मचारियों में से श्री अजहर अली पूर्ति निरीक्षक की, 2 वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई और श्री अभय वीर सिंह तथा श्री विक्रम सिंह लिपिकों की चरित्र पंजिकाओं में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ कर दी गई और भविष्य के लिए चेतावनी दे दी गई।

सहायक अभियन्ता, लखनऊ शारदा नहर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*76—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री अशरफी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शारदा नहर में क्या कोई ऐसा सहायक अभियन्ता नियुक्त किया गया है, जिसकी सत्य निष्ठा के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों ने संदिग्धता व्यक्त की है और जिसके विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं तथा उक्त स्थान पर इनकी नियुक्ति न किए जाने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने अनुरोध भी किया था? यदि हां, तो इस मामले का पूर्ण ब्योरा क्या है?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां, आपातत्काल अगस्त, 1975 में उक्त सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण अलीगढ़ के जिला युवक कांग्रेस के महामन्त्री के इस आरोप पर कि वे तत्कालीन प्रधान मन्त्री के 21 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन में बाधक हैं, मैनपुरी किया गया था। इसी अवधि में इस सहायक अभियन्ता की सत्यनिष्ठा के प्रति इनके अधिशासी अभियन्ता द्वारा सन्देह व्यक्त किया गया था।

अब उक्त सहायक अभियन्ता को लखनऊ खन्ड शारदा नहर में स्थापित किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर उस सहायक अभियन्ता की स्थापना पर विरोध प्रकट किया था। परन्तु उक्त उपखंड क्योंकि सामान्य रख-रखाव कार्यों से सम्बन्धित है, अत: इनके स्थापना आदेश में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया।

आपात्काल में रोके गए सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के बारे में अब जांच की जा रही है।

*77—श्री श्रीनारायण—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

'पयस्वनी डाइवर्जन स्कीम' के अन्तर्गत बरवारा आदि ग्रामों को सिंचाई सुविधा

*78—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में लगभग 4 वर्ष पूर्व बरवारा लिफ्ट योजना बनाने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति मिल गई थी और बाद में उसे पयस्वनी डाइवर्जन सिंचाई योजना में परिवर्तित कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसकी मुख्य नहर से बरवारा में लिफ्ट योजना बनाकर बरवारा आदि कई गांवों को सिंचाई की सुविधा देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बलवीर सिंह—

बरवारा लिफ्ट योजना नाम से किसी सिंचाई योजना की स्वीकृति राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं प्रदान की गई थी। अत: उसे किसी अन्य योजना में परिवर्तित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। एक अन्य योजना "पयस्वनी इलेक्ट्रिक पम्प कैनाल"

की स्वीकृति नवम्बर, 1971 में प्रदान की गई थी, जिसके अन्तर्गत बरवारा आदि ग्रामों की सिंचाई का प्राविधान प्रस्तावित था। इस योजना को बाद में "पयस्वनी डाइवर्जन स्कीम" में परिवर्तित कर दिया गया था। "पयस्वनी डाइवर्जन स्कीम" के अन्तर्गत निर्मित मुख्य नहर से बरवारा आदि अनेक गांवों को सिंचाई सुविधा देने हेतु "बरवारा पम्प कैनाल" बनाने का प्राविधान है। इस पम्प कैनाल पर अब तक निम्नलिखित कार्य किए जा चुके हैं :—

(1) पम्पों तथा मोटरों का क्रय।
(2) 2 किलोमीटर की लम्बाई में नहर पर मिट्टी का कार्य।
(3) दो डिलीवरी टैंकों का निर्माण।

*79—श्री गौरी शंकर भटैया—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

मा० रा० आर्य शिशु विद्या मन्दिर, एटा जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्धक का निलम्बन

*80—श्री राम सिंह (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि एटा जिले के मा0 रा0 आर्य शिशु विद्या-मन्दिर, जू0 हाई स्कूल के प्रबन्धक कौन हैं और कब से हैं? क्या यह सच हैं कि प्रबन्धक महोदय को स्टेट बैंक, एटा की उप शाखा निधौली कलां ने लाखों रुपया के गबन के आरोप में निलम्बित कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्धक को अलग करके नवीन निर्वाचन तक स्कूल का अधिग्रहण करेगी?

श्री काली चरण—

मा0 रा0 आर्य शिशु विद्यामन्दिर जूनियर हाई स्कूल, एटा के प्रबन्धक श्री सुरेश कुमार सक्सेना 21 अगस्त, 1976 से हैं।

यह सच है कि श्री सक्सेना को प्रश्नगत बैंक ने निलम्बित कर दिया है।

ऐसे विद्यालय के अधिग्रहण करने का कोई प्राविधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

रामपुर घाट गंगा नदी पर पीपे के पुल के निर्माण की मांग

1—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि 1976 ई0 के मध्य ज्ञानपुर वाराणसी में आए तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के समक्ष जनता ने पत्रक देकर रामपुर घाट गंगा नदी पर पीपे का पुल बनाने की मांग की थी जिस पर निर्माण मन्त्री जी ने जनता की मांग को कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है?

श्री मोहम्मद मसूद खां —

यह सही है कि 1976 ई0 के मध्य में तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी जब ज्ञानपुर, वाराणसी गए थे तो उनसे इस पैन्टून ब्रिज के निर्माण की मांग की गयी थी। धनाभाव के कारण इसको बनाने की मंजूरी नहीं दी जा सकी।

उनके द्वारा किसी आश्वासन के दिए जाने की जानकारी शासन को नहीं है।

जनपद देवरिया में सस्ते गल्ले की दुकानों का आबंटन

2—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में जनवरी, 1977 से 15 अगस्त, 1977 तक कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें एलाट (आबंटित) की गई हैं? उसमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग की दुकानें कितनी हैं और क्या वे स्वयं दुकानें चला रहे हैं या उन लोगो के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति उक्त दुकान चला रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार तथ्यों की जांच करा कर उन दुकानों को निरस्त कराने की कृपा करेगी?

श्री हरिशचन्द्र—

चर्चित अवधि में सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी की कुल 37 दुकानें आबंटित की गईं जिनमें से 3 दुकानें हरिजन व 1 दुकान पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आबंटित हुई है। ये व्यक्ति अपनी दुकानें स्वयं ही सुचारु रूप से चला रहे हैं।

शेष विषय का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में सड़क निर्माण

3—श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जिले के विकास खंड मड़ियाहूं में स्थित सुइथा से लेकर मोवलपुर तक की सड़क का निर्माण 1976-77 में हुआ है? यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ, कितनी सड़क बनी और किस प्रकार की?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जिला जौनपुर के विकास खन्ड मड़ियाहूं में इस नाम की कोई सड़क नहीं है जिस पर विभाग ने वर्ष 1976-77 में निर्माण कार्य कराया हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देवरिया के हाटा रजबहा के कुछ स्थानों से पानी फूटने से फसल को क्षति

4—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया) तथा श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत खजुरिहा शाखा की हाटा रजबहा से माह जुलाई, 1977 में नहर विभाग के अधिकारियों की अदूरदर्शिता तथा लापरवाही के कारण ही कई स्थानों से पानी फूट गया और जिससे 20 गांवों की फसल नष्ट हो गई थी? यदि हाँ, तो क्या उसकी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रक्खेंगे?

श्री बलवीर सिंह—

हाटा रजबहा, जनपद देवरिया में देवरिया शाखा से निकलता है। माह जुलाई में इसके कुछ भागों से पानी फूट गया था। इसमें नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही नहीं थी। इससे केवल दस ग्रामों में पानी भरने से क्षति की सूचना है, परन्तु पानी निकलने के बाद ग्रामों से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल दो ग्राम किसुनपाली और

लाहिलपार में क्रमश : 0.6 एवं 2.0 एकड़ का नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र नसेब में है। इसकी जाँच रिपोर्ट संलग्न है :

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 997–998 पर।)

एक्जीक्यूटिव इंजीनियर शारदा सहायक खंड बिसवां जिला सीतापुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

5—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र बावत भ्रष्टाचार इक्जीक्यूटव इन्जीनियर, शारदा सहायक खंड 7 स्थित बिसवाँ जिला सीतापुर एवं चोरी सीमेन्ट शारदा सहायक खंड महमूदाबाद जनपद, सीतापुर के सम्बन्ध में अगस्त, 1977 के प्रारम्भ में प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ।

शिकायतों की जाँच करायी जा रही है।

प्राइमरी पाठशाला कोंडरा ग्रान्ट, जिला बस्ती, में छात्र तथा कार्यरत अध्यापक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट

6—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्राइमरी पाठशाला कोंडरा ग्रान्ट, विकास क्षेत्र नौगढ़, जिला बस्ती में 1974-75, 1975-76, 1976-77 प्रत्येक वर्षों में प्रत्येक कक्षा में कितने-कितने छात्र अंकित थे, कितने अध्यापक कार्यरत थे ? प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने गत तीन वर्षों में निरीक्षण किया ? यदि हाँ, तो कब-कब और उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री काली चरण—

छात्रों एवं अध्यापकों के सम्बन्ध में वाँछित सूचना निम्न प्रकार है :—

कक्षा		छात्र संख्या		
		वर्ष 1974-75	वर्ष 1975–76	वर्ष 1976–77
1	..	59	92	79
2	..	32	22	34
3	..	32	28	24
4	..	18	10	13
5	..	19	18	15
	योग ..	160	170	165

वर्ष	अध्यापक संख्या
1974–75	4
1975–76	3
1976–77	3

जी हाँ।

वर्ष 1974-75 में दिनाँक 31 अक्तूबर, 1974 को 1975-76 में दिनाँक 25 फरवरी, 1976 एवं वर्ष 1976-77 में दिनाँक 12 अगस्त, 1976 तथा दिनाँक 22 जनवरी, 1977 को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने निरीक्षण किया है। उनकी वर्षवार आख्या निम्नवत् है :

वर्ष 1974–75 :—

प्रधानाध्यापक एवं समस्त सहयोगी वर्ग छात्र संख्या वृद्धि करें एवं उनकी उपस्थिति पर बल देवें । विद्यालय भवन की छत जर्जर हो चुकी है ।

वर्ष 1975–76 :—

यह विद्यालय पिछड़े क्षेत्र में स्थित है छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार छात्र संख्या वृद्धि की जाय । स्काउटिंग पर ध्यान दिया जाय यद्यपि इसके समीपस्थ दो अमान्य मकतब संचालित हैं परन्तु इसका कोई कुप्रभाव नहीं है, विद्यालय की दशा औसत पर है ।

वर्ष 1976–77 :—

इस विद्यालय में तीन अध्यापक कार्यरत हैं । एक-चालीस के अनुपात में छात्र संख्या ठीक है परन्तु साज-सज्जा, छात्रों को बैठने के लिए टाट के अभाव में छात्र उपस्थिति का औसत कम है। स्काउटिंग, रेडक्रास पर ध्यान दिया जाय। भवन की दशा अत्यन्त खराब है । विभाग यद्यपि भवन बनवाने की व्यवस्था करने वाला है, फिर भी अध्यापक बृन्द गाँव शिक्षा समिति से सम्पर्क स्थापित कर भवन बनवाने का प्रयास करें। विद्यालय की सामूहिक दशा अच्छी है।

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

8—श्री गुलाब सेहरा—

[7वें बुधवार के लिये स्थगित ।

अकबरपुर–इल्तफातगंज रोड,अकबरपुर महरुआ रोड का निर्माण कार्य तथा स्वीकृत धनराशि

9—श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर-इल्तफातगंज रोड (जिला फैजाबाद), अकबरपुर महरुवा रोड (जिला फैजाबाद) में से प्रत्येक के निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ और कब तक समाप्त होने की आशा है और इनमें से प्रत्येक के लिए कितनी कुल धनराशि स्वीकृत हुई तथा 30 जून, 77 तक कितनी खर्च हो चुकी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खाँ—

अकबरपुर-इल्तफातगंज रोड का निर्माण 1972 में प्रारम्भ हुआ और 1979 तक पूर्ण होने की आशा है । यह सड़क 12.45 किलोमीटर की लम्बाई में 12.45 लाख रुपए की लागत पर स्वीकृत हुई है और इसके निर्माण पर दिनाँक 30 जून, 1977 तक कुल 5.75 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

अकबरपुर-महरुवा रोड का भी निर्माण 1972 में प्रारम्भ हुआ है तथा 1979 तक पूर्ण होने की आशा है। यह रोड 16.50 कि0 मी0 की लम्बाई में 10.35 लाख की लागत पर स्वीकृत हुई थी और लागत बढ़ने के कारण दिनाँक 30 जून, 1977 तक 12.31 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

10—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फतेहपुर में कार्यरत नलकूप

11—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फतेहपुर जनपद में आज की तिथि दिनाँक 20 अगस्त, 1977 तक कितने नलकूप शासन द्वारा लगाए जा चुके हैं? उपरोक्त में से कितने और कौन-कौन (स्थान सहित) नलकूप इस समय खराब पड़े हैं और कार्यरत नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार खराब नलकूपों को अविलम्ब ठीक करा कर सिंचाई करने योग्य बनाएगी?

श्री बलवीर सिंह—

फतेहपुर जनपद में दिनाँक 20 अगस्त, 1977 तक 145 नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है जिनमें से 117 का उर्जीकरण हो चुका है।

13 नलकूप बन्द पड़े हैं। इन बन्द नलकूपों का विवरण संलग्न है।

जी हाँ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 999 पर।)

12—श्री ऊदल—

[7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

सिंचाई विभाग द्वारा परियोजनाओं पर किया गया अनुसन्धान कार्य एवं अनुसन्धान विभाग में कार्यरत कर्मचारी तथा व्यय

13-14—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने किन-किन योजनाओं पर अनुसन्धान कार्य किया है उन योजनाओं का नाम क्या है और उनमें से कितनी योजनाओं को अनुसन्धान के बाद पूरा किया गया और अलग-अलग अनुसन्धान कार्य में कितना रुपया खर्च हुआ तथा योजनाओं पर क्या खर्च हुआ?

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई, विभाग उत्तर प्रदेश में (अनुसन्धान) विभाग कब से कार्य कर रहा है और इसकी फील्ड में कहां-कहां यूनिटें कार्य कर रही हैं उसमें कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं और शुरू से लेकर अब तक कितना रुपया प्रत्येक वर्षों में हेड आफिस तथा फील्ड में खर्च होता रहा है ?

श्री बलवीर सिंह---

इन दोनों प्रश्नों में मांगी गयी सूचना व्यापक एवं असीमित है। सिंचाई विभाग बहुत पुराना है तथा इसके सृजन से अब तक अगणित परियोजनाओं पर अनुसन्धान कार्य हुआ है । इन प्रश्नों में यह स्पष्ट नहीं है कि किस अवधि की किस श्रेणी की तथा किस क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है। विभाग की समस्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अवधि की सूचना एकत्रित करना अति कठिन है, तथा इसके एकत्रित करने में जो परिश्रम एवं व्यय होगा, वह उत्तर से प्राप्त होने वाले लाभ के समानुपाती नहीं होगा।

सीतापुर जिले के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को अनिवार्य बचत योजना का भुगतान

15---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिले में गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से अभी अनेक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कार्यरत अध्यापकों को अनिवार्य बचत योजना की प्रथम किस्त भी वापस नहीं की गयी है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालय कौन-कौन हैं तथा उनको किस्त कब तक वापस दे दी जाएगीं ?

श्री काली चरण---

जी, हां।

ऐसे विद्यालयों की संख्या कुल 25 है जिनकी सूची संलग्न है।

शीघ्र भुगतान करने हेतु प्राविडेन्ट फन्ड कमिश्नर, कानपुर को लिखा गया है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1000 पर।)

बेदीखाल जिला गढ़वाल में अर्धनिर्मित विश्रामगृह

16---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थाई निर्माण खंड; लैन्सडाउन, जिला गढ़वाल द्वारा निरीक्षण भवन बेदीखाल के भवन का ढांचा कब बन कर तैयार कर दिया था, उसके फर्श व किवाड़ न बनने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक यह भवन बन कर पूर्ण हो जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

बेदीखाल, जिला गढ़वाल में कोई निरीक्षण भवन निर्माणाधीन नहीं है।

विभागीय कर्मचारियों हेतु एक विश्राम गृह का निर्माण हो रहा है जिसका ढांचा अगस्त, 1975 में तैयार हो गया था।

निर्माणकर्ता ठेकेदार ढांचा बनाकर कार्य छोड़कर चला गया अत: फर्श व किवाड़ न बनने के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी और उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

यह भवन अब नवम्बर, 1977 तक पूर्ण हो जाएगा।

जनपद फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस की क्षतिपूर्ति

17—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विद्यालयों में बाढ़पीड़ित छात्रों की फीस की क्षति-पूर्ति शासन ने 1976-77 में कर दी है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा इस हेतु प्रति वर्ष राज्य सरकार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता वर्ष 1976–77 में उपलब्ध नहीं हुई। अत: उक्त वर्ष में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों को फीस माफी स्वीकृत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में छात्रों के फीस की क्षति पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सेवा के आदेशों पर डाक, तार टेलीफोन पर व्यय

18—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1 जुलाई, 1977 से दिनांक 15 अगस्त, 1977 तक मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय द्वारा स्थानान्तरण सेवा की आदेशों पर डाक, तार व टेलीफोन पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि जुलाई मास 1977 में केवल एक दिन में केवल तबादले सम्बन्धी एक तार पर ही पच्चीस हजार से अधिक रुपया व्यय किया गया ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस तार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्यालय द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1977 से दिनांक 15 अगस्त, 1977 की अवधि में जारी किए गए स्थानान्तरण सेवा के आदेशों पर हुए, डाक, तार व टेलीफोन पर कुल व्यय बताना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के व्यय का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा जाता है।

यह सही नहीं है कि जुलाई मास, 1977 में केवल एक दिन में केवल तबादले सम्बन्धी एक तार पर पच्चीस हजार से अधिक रुपया व्यय किया गया। अत: तार की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

रिसर्च इन्स्टीट्यूट रुड़की में प्लेटिनम की चोरी

19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1970–71 एवं 1971–72 में रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिंचाई विभाग) से कुछ प्लेटिनम की चोरी हुई थी, जिसकी जांच शासन ने कराई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

20–21—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

7वें बुधवार के लिए स्थगित।]

बांदा जिले में भारी बांध की नहरों से सिंचाई

22—श्री राम सजीवन—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में भारी बांध की नहरों से सन् 1974-75 व सन् 1975-76 एवं सन् 1976-77 अर्थात् विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष अलग-अलग कुल कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की गई ? सिंचाई का कुल लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था ? किसानों को सिंचाई की अधिक सुविधा देने के लिए क्या सरकार उस बांध के पुनर्निर्माण अर्थात् रिमाडल करने हेतु सर्वे करायेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

1974–75	28 एकड़
1975–76	138 एकड़
1976–77	121 एकड़

वर्षवार सिंचाई का लक्ष्य निम्न प्रकार है :

		लक्ष्य एकड़ में
(1) पहला वर्ष (1974–75)	..	528
(2) दूसरा वर्ष (1975–76)	..	928
(3) तीसरा वर्ष (1976–77)	..	1228
(4) चौथा वर्ष (1977–78)	..	2028
(5) पांचवां वर्ष (1978–79)	..	3428

इस बाँध से सिंचाई की अधिक सुविधा देने के लिए झिराव रोकने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

ग्राम दुनका, ब्लाक शेरगढ़, जिला बरेली में आनन्दपुर पम्प नहर योजना का निर्माण

23—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम दुनका, ब्लाक शेरगढ़, जिला बरेली में लिफ्ट योजना सन् 1973 में बनाई गई थी ? यदि हाँ, तो उसको अब तक कार्यान्वित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलवीर सिंह—

ग्राम दुनका, ब्लाक शेरगढ़, जिला बरेली में पश्चिमी बैगुल नदी पर आनन्दपुर पम्प नहर योजना कुल्ली नहर को पोषित करने हेतु वर्ष 1973-74 में बनाई गई थी, परन्तु बाद में यह सुझाव हुआ कि कुल्ली नहर तथा एक अन्य बल्ली नहर को पोषित करने हेतु पश्चिमी बैगुल नदी पर एक पक्का रेगुलेटर बनाया जाय जिसके लिए परियोजना तैयार की जा रही है। इस योजना के उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त ज्ञात होने पर ही आनन्दपुर पम्प नहर योजना के निर्माण पर विचार किया जायेगा।

फरीदपुर बीसलपुर रोड का निर्माण कार्य

24—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली))—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरीदपुर-बीसलपुर रोड जिसका निर्माण 1974 से सरकार के विचाराधीन है, यह कब तक बन जाएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अनुमान है कि यह मार्ग मार्च, 1982 तक बन जायेगा।

हाटा रजबहा का टेल भाग निर्मित कराने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

25—श्री कृष्णा राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं रामाज्ञा चौहान तथा तमाम ग्रामीण किसानों के हस्ताक्षर से युक्त एक प्रार्थना-पत्र जिसमें सोहनीयार एवं प्रानपुर के बीच महुआपाटन रोड के दक्षिणी हिस्से को पाट कर छोड़ दिए जाने एवं जो पुराना नक्शा में खास बरियारपुर के टोले बरिहवा होते हुए आमघाट के सामने छोटी गन्डक में गिराने का प्लान था, उसे बदले जाने का विवरण अंकित है, माननीय सिंचाई मन्त्री एवं मुख्य मन्त्री को दिनाँक 6 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हाँ। इस सम्बन्ध में हाटा राजबहा के टेल भाग को शीघ्र निर्मित कराने की प्रार्थना की गई है जिसके लिए सर्वेक्षण करा कर भूमि-अधिग्रहण हेतु लैन्ड प्लान चकबन्दी विभाग को भेज दिये गये हैं।

लखनऊ में शिया सुन्नी के झगड़े से सम्बन्धित चर्चा की मांग

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले शून्य प्रहर की सूचनाओं को मैं ले रहा हूं। आपको बाद में अवसर मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बहुत महत्व की यह घटना है। यह सूचना आज 11 बजे मिली जिससे उसे यह शून्य प्रहर की सूचना में और न नियम 51 के अन्तर्गत दिया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष्—

जैसा मैंने कहा पहले शून्य प्रहर की सूचनाओं को ले लूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज सुबह से गोलियाँ पुराने शहर में चल रही हैं। पच्चीसों आदमी मर गए और आग भी लग गयी और कई कत्ल हो गये। यह ज्यादा महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

आप लोग बैठे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

सरकार इस्तीफा दे। मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री इस्तीफा दें।

(कई सदस्यों तथा मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मुख्य मन्त्री जी खड़े हैं उनको पहले आप लोग सन ले।

श्री मन्जूर अहमद—

नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। मैंने मुख्य मन्त्री को बुलाया है।

एक सदस्य—

पहले नेता विरोधी दल को सुना जाय। मुख्य मन्त्री क्या कहेंगे, उनको बाद में सुनेंगे।

(सदन में बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर—शोर गुल)

श्री अध्यक्ष—

मैं 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं।

(इसके बाद 12 बजकर 5 मिनट पर सदन स्थगित हुआ, 12 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने 12 बजकर 40 मिनट तक सदन के स्थगन की सूचना दी, तदुपरान्त 12 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने पुन: 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए सदन के स्थगन की सूचना दी।)

(सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: प्रारम्भ हुई।)

लखनऊ में शिया-सुन्नी झगड़े से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

चूंकि एक बड़ा गम्भीर प्रश्न आज लखनऊ में उपस्थित हो गया है इसलिए जो आज का जो कार्य क्रम था बजट आदि का उसे नियम 313 के अनुसार अभी निलम्बित कर रहा हूं और इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए इसको प्राथमिकता दे रहा हूं।

माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि आज स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए उस पर अपने विचार वह इस प्रकार से रखें जिससे उत्तेजना न हो और अनावश्यक रक्त का प्रवाह न हो और इस गम्भीर स्थिति पर काबू पाने में सहायता मिले। माननीय नेता विरोधी दल ने मुझे प्रश्नों के समय ही लिख कर भेजा था। मुझे साढ़े दस बजे यह सूचना प्राप्त हुई मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को इससे अवगत कराया और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो इस वक्त आज लखनऊ में घटना घटी है उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके वह सदन को अवगत कराएं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मुख्य मन्त्री कहाँ हैं ? उनको बुलवाइये ? कहाँ हैं माननीय मुख्य मन्त्री ? आप किसको आदेश दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्याण सिंह जी, कृपया माननीय मुख्य मन्त्री जी को बुलवाइए ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने का प्रयास करने पर) एक-एक करके बोलिए। मन्जूर साहब, आप बैठिए। देवबहादुर सिंह जी, मानसिंह जी, आप लोग बैठिए।

मैं आप से अनुरोध करूंगा कि धैर्य और शान्ति के साथ इस प्रश्न पर विचार किया जाय। यहाँ पर उद्योग मन्त्री जी, स्वास्थ्य मन्त्री जी और कृषि मन्त्री जी मौजूद हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी बुलवाया है। वह अभी सदन के अन्दर आएंगे, अगर पहले शुरू करना चाहें, (कुछ रुक कर) माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आज प्रात: काल से जो कुछ....

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर) —

व्यवस्था का प्रश्न है। नेता विरोधी दल को कैसे मौका दिया जा रहा है ? मैं निवेदन कर रहा हूं जो डिप्टी मिनिस्टर आरिफ साहब ने इस्तीफा दिया है उस पर इनका बयान करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बाबू बदरे, आप बैठिए। मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बुलाया है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आज प्रातः काल से लखनऊ में लगातार गोलियाँ चल रही हैं, पुराने शहर लखनऊ में और आस-पास के तमाम मोहल्लों में अभी तक गोलियाँ चल रही हैं, जो सूचना अभी मिली है, अधिकृत सूत्रों से, नागरिक जन-जीवन बिल्कुल त्रस्त है। सवेरे से नक्खास, अकबरी गेट, वजीरगंज में तमाम उस इलाके में जिस तरह से आज पुलिस ने भी पर गोलियां चलायी हैं और जिस प्रकार शान्ति व्यवस्था अराजकता में बदल गयी है, लखनऊ के इतिहास में बेमिसाल है। अभी तक यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। इसका कारण क्या है? 1974 में यहाँ पर एक समझौता हुआ और उस समझौते में जिसमें दोनों वर्ग शिया और सुन्नी ने तय किया कि हम शान्तिपूर्ण ढंग से अपने जुलूसों को निकालेंगे। 1974 के एग्रीमेन्ट के आधार पर काम हो रहा था और शान्ति बनी हुई थी। इक्के-दुक्के झगड़े, संघर्ष होते थे। लेकिन अचानक बिना दोनों पक्षों का विश्वास प्राप्त किये, उनके नेताओं को बिना बुलाए हुए 1974 के एग्रीमेन्ट को ठुकरा दिया गया। उसमें तरमीम कर दी गयी है और जिसके कारण आज यह खून-खराबा और खून की दरिया लखनऊ में बही। पहले तथ्य क्या हैं सरकार से हम जानना चाहेंगे। जहाँ तक मेरी सूचना है पचीसों लोग या तो पुलिस की गोली से या आपस की गोली से या छुरे बाजी से घायल हो चुके हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है और उसकी अवहेलना हो रही है।

तो श्रीमन्, मैं एक तो मुख्य मन्त्री जी से यह माँग करूंगा कि वह तथ्यों को जैसे मिलें वे उन्हें सदन को अवगत करायें और अविलम्ब जुडीशियल इन्क्वायरी एक हाई कोर्ट के जज की बैठायी जाये, तीसरे जो वह गृह मन्त्री हैं या जो इस काम को देख रहे ह और जिसने यह बंगलिंग किया है उनका इस्तीफा होना चाहिए। मैं नहीं जानता कैबिनेट में इसकी जिम्मेदारी किस की है। शासन को इसकी पूरी जानकारी थी। तो इस मसले को, बिगाड़ने की, 1974 के एग्रीमेन्ट को तोड़ने की इजाजत किसने दी? अब किस तरह से सारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था पर असर पड़ा है। हम इसे राजनैतिक प्रश्न नहीं बनाना चाहते हैं। यह प्रश्न भाई चारा बनाये रखने का है। तो जो भी तत्व स्थिति को बिगाड़ते हैं और जो बंगलिंग करते हैं उनसे यह सदन माँग करेगा कि वह इस्तीफा दे और आगे के लिए निर्देश दें कि इस प्रदेश को दुखी न होना पड़े। इतनी बड़ी घटना हुई है लखनऊ में, लूट-पाट हुई है, लोग घायल हुए हैं। मुख्य मन्त्री जी सदन को आश्वासन देंगे मुझे विश्वास है कि आगे के लिए तत्काल इसके लिए सर्वदलीय प्रयत्न होना चाहिए और शासन को इसकी जिम्मेदारी ओढ़नी होगी। आज मैं केवल गृह मन्त्री या और कोई मन्त्री हो, उनके इस्तीफे की माँग करता हूं और अगर ज्यादा हालत बिगड़ी तो सारे शासन को इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और लखनऊ की जनता को आश्वस्त करेंगे और प्रदेश और देश में जो साम्प्रदायिकता के विरोधी हैं उनको आश्वस्त करेंगे। हृदय दुख से भरा हुआ है। इस समय जो घटना हुई है वह दूसरे जो वर्ग हैं उनको भी अशान्ति का शिकार बनना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हेडक्वार्टर लखनऊ में यह हो रहा है मुझे विश्वास है कि मुख्य मन्त्री जी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे और आज ही सदन में बतलायेंगे कि जो हमारे सुझाव हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

किस-किस का इस्तीफा हुआ है या होने वाला है। मुझे समाचार मिला है मैं नहीं जानता कि कहाँ तक सच है, कुछ समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक उप मन्त्री जी ने इस नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उस नीति पर प्रोटेस्ट किया है और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने नीति को लेकर इस्तीफा दिया है। और प्रदेश की साम्प्रदायिक शान्ति बनाये रखने के लिए यह सदन कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कक्ष में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्त की कि मुख्य मन्त्री जी के उत्तर देने से पहले उनको अवसर दिया जाए और आपस में विचार विमर्श करके कुछ नाम भी दिए थे। तो उसी क्रम से मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने विचार रखें और अधिक समय न ले। जो लोग बोलना चाहते हैं 2-3 मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता विरोधी दल ने जो इत्तिला दी है, आज के वाकिए के सिलसिले में सब लोगों को बड़ी परेशानी हुई है और बड़ा दुख हुआ है। यह ऐसा वाकिया है जो मैं यह समझता हूं कि अगर हुकूमत थोड़ा सा तवज्जह देती इस मसले पर और समझ बूझ कर फैसला लेती तो आज इतना खून नाहक न बहाया जाता। मुझे बड़ा अफसोस है सन् 1974 में एक फैसला हुआ था जिसमें मुसलमानों के दोनों तबकों में शिया और सुन्नी हजरात के बीच एक फैसला हुआ था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा और कोशिश की जाती रही बार-बार शिया हजरात भी मिले और सुन्नी हजरात भी आपसे मिले। लेकिन उसके बाद जब यह देखा गया था कि ये लोग मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं। उनके बीच आपस में मनमुटाव बढ़ रहा है और जुलूस के मसले पर एक राय नहीं है, तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि उन लोगों को जो यह सरकार चला रहे हैं, इस किस्म का फैसला नहीं करना चाहिए था। यह इकतरफा फैसला है और इस सिलसिले में यहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने बखूबी अच्छी तरीके से हुकूमत को यह बता दिया था कि इस फैसले को वे मंजूर नहीं करते। इससे ज्यादा पुर-अमन मुजाहिरा और क्या हो सकता है पूरे लखनऊ में हड़ताल की गई, कोई दुकान सुन्नी मुसलमानों ने नहीं खोली। इससे बढ़कर अमन का कोई रास्ता नहीं हो सकता था, लेकिन इस चेतावनी के बाद भी हुकूमत ने इस पर तवज्जह नहीं दी। हुकूमत ने इस बात पर भी कोई गौर नहीं किया कि 40-50 मुस्लिम मुअजिज मेम्बरान यहाँ मौजूद हैं। इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जनता पार्टी और काँग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। यह मुसलमानों का मसला है और जिसमें होना यह चाहिये था कि जो लोग यह फैसला कर रहे थे यहाँ के मुस्लिम मेम्बरान से फैसला लेते समय उनसे राय लेते और इसको हल कराते। बजाय इसके उन्होंने इकतरफा फैसला किया और यह समस्या आ खड़ी हुई। यह फैसला गलत है लोग इससे उत्तेजित हैं। लोग इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के जोर के साथ एक फिरके का जुलूस निकलवाया गया। मेरा मतलब कोई शिया या सुन्नी की वकालत करने का नहीं है। लेकिन सवाल ला एन्ड आर्डर का है। ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने में हुकूमत को चाहिए कि जब भी कहीं कोई झगड़ा हो तो सदन के मेम्बरान को एतमाद में ले। रोज हम देखते हैं कि झगड़ा हो गया। यहाँ

उस झगड़े को रीजनेबिल टाइम में फौरन ही उस पर काबू पाया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ झगड़ा चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। अभी अस्पताल में जनाब मुहम्मद खलीलउल्लाह कुरेशी जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद भी हैं, उनको मैंने भेजा था। यह मेडिकल कालेज से अभी आए हैं और अभी ये खुद देख कर आ रहे हैं कि उनके सामने 39 लोग घायल होकर आयें हैं। 3 आदमियों ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया है और न जाने कितनी लाशों को करफ्यू लगाकर हटाने का इन्तिजाम किया जा रहा है ताकि सही स्थिति का आभास न हो सके। (शेम शेम की आवाजें) मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस वक्त सदन को जो आप एश्योरेन्स दें उसमें जुडिशियल इन्क्वायारी की माँग, जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा है, कि फौरन मान लें। इसके अलावा जो अफसरान यहाँ पर इन्तजाम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और जिनकी नाक के नीचे यह सब हो रहा है या जिनके इशारे पर यह सब हो रहा है, उनके खिलाफ कार्यवाही करें और कम से कम उनका इमीडिएट सस्पेन्शन होना चाहिये ताकि दूसरे अफसरान इससे इबरत हासिल करें और फिर इस प्रकार की कोई दुर्घटना न हो।

इसके अलावा जिन लोगों का नुकसान हुआ महज रवायातीतौर पर उनको कोई पैसा न दिया जाय। जनता पार्टी की सरकार जो कि जनता की है और जनता ने जिसको वोट दिया, जो लोग घायल हुए, जिनको नुक्सान हुआ है, यहाँ के लोग उनके घर जाकर उनकी हालत को दुरुस्त करें और जो नुक्सानात हुए हैं उनको उसका माकूल मुआविजा मिलना चाहिए और आप जुडिशियल इन्क्वायरी करायें और जो लोग मुलव्विस हों, यहाँ के डी० एम० या और अधिकारी लोग या उस इलाके के लोग जिन्होंने यह सब कराया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें। अगर कोई पालिटिकल मोटिवेशन है, अगर किसी ने राय नही ली, अगर उसमें दूर अन्देशी नहीं है तो जो लोग दूर अन्देश नहीं रहे हैं, उनको कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है और वे कुर्सी को छोड़ें और दूसरे लोगों को शासन चलाने का मौका दें।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, यह सारा मामला मेरे क्षेत्र में हुआ है। मुझे भी इस मसले पर बोलने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपको भी मौका मिलेगा। पहले माननीय रियासत हुसैन को बोलने दें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि आप पहले बोरा जी को बोलने का मौका दे दें तो शायद सदन को वहाँ के कुछ हालात मालूम हो सकें।

*श्री डी० पी० बोरा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का मौका दिया। मैं अभी-अभी सारे वारदात को देख कर आ रहा हूं। इतना ही नहीं रात के 3 बजे पूरे क्षेत्र में घूमता रहा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है क्योंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी0 पी0 बोरा--]

यह मसला मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है और सारे वाकयात मेरे क्षेत्र के अन्दर अब हो रहे हैं, लेकिन न तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और न माननीय राम प्रकाश जी ने, जो कि इस मसले को हल करने के जिम्मेदार हैं, आज तक भी किसी मीटिंग में मुझे बुलाने की कृपा की। मैं इस बारे में माननीय राम प्रकाश जी से कम से कम आधे दर्जन बार मिला हूं और माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहा था लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वास्तव में स्थिति यह है कि सरकार और सरकार में बैठे हुए मन्त्रिगण, मुझे क्षमा करेंगे, उनके पास इस अहम मसले को हल करने के लिए वक्त ही नहीं था। चाहे यहाँ के मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, मुख्य मन्त्री हों, दूसरे मन्त्री हों, हर एक आदमी से मैंने जाकर दो-दो, चार-चार बार इस अहम मसले की ओर इशारा किया है और कहा है कि इसका फौरी हल होना चाहिए, हल किया जाना चाहिए. लेकिन उस पर पूरी तवज्जह नहीं दी गयी। कल भी रात में 11बजे, साढ़े 11 बजे एस0 एस0 पी0 और डी0 एम0 के पास मैंने जाकर कहा था कि कल का दिन ऐसा लगता है कि लखनऊ के इतिहास में बड़ा डरावना दिन होगा। मैंने वह मंजर अपनी आँखों से देखा है, गोलियाँ चलते हुए देखा है अपने क्षेत्र में और हमारे जो पूर्व वक्ता थे उन्होंने तो 39 की फीगर दी है, मैं इसमें यकीन नहीं रखता। वह फीगर सैकड़ों में है। न जाने कितने मासूम मारे गये हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है। देखने को तो मैंने अपनी उम्र में विद्यार्थी जीवन में अनेकों आन्दोलनों को देखा है, गोलियों की बौछार भी हमने देखी है, लेकिन इस तरीके के मसले को बिगाड़ करके लखनऊ के नाम पर धब्बा डालने की कोशिश करते हुए, जिम्मेदार लोगों को करते हुए मैंने नहीं देखा था और हमारे मन्त्रि-मन्डल में बैठे हुए लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे प्रसन्नता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जरा आहिस्ता बोलिए जिससे समझ में आ सके।

श्री डी0पी0 बोरा—

इस मसले को जानबूझ कर इतना बिगाड़ा गया है, मुझे कहने में झिझक नहीं है कि सरकार को फैसला कर लेना चाहिए था और फैसला करके अपने निर्णय की घोषणा कर दनी चाहिए थी और कह देना चाहिए था कि जो जुलूस निकलेगा, अलम और ताबूत निकलेंगे या मदेह सहाबा का जुलूस निकलेगा तो, फलाँ रास्ते से निकलेगा। कोई निश्चित फैसला दोनों फरीकों से करने के बाद इस तरह की इजाजत देनी चाहिए थी। मैं दोषी किसी एक फिरके को नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें शासन की ढिलाई रही है और खास तौर से हमारे जिम्मेदार मन्त्रियों के पास इस मसले को हल करने के लिए वक्त नहीं रहा है। मुझे दुख है। पिछले 10 सालों से मैं अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करता हूं। मुझे जानकारी थी ठीक-ठीक। मैं ऐसे लोगों को जानता था जिनके गिरफ्तार होने के बाद शायद यह मसला इतनी तूल न पकड़ता।

मुझे 1969 का मंजर याद आता है जबकि गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे। मैं उस समय अपोजीशन में बैठता था। मैंने आवाज बुलन्द की थी विधान सभा में। सवाल उठाया था और कार्यवाही बन्द हुई थी। लेकिन मुख्य मन्त्री ने उस वक्त फैसला किया था कि दोनों [illegible] लीडरों को जेल के सीखचों में भेज दिया था और कहा था कि जब तक फैसला

नहीं होगा तब तक नेता बाहर नहीं आने पायेंगे। तब तीन दिन में फैसला हुआ। यहाँ हमने देखा कि आज 5-6 महीने से मसला लटका रहा, बिगड़ता रहा, आग भड़कती रही, लेकिन किसी के पास वक्त नहीं था। मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति बहुत भयावह है। वहाँ पर अब भी गोलियाँ चल रही हैं। अगर स्थिति संभालना है तो मुख्य मन्त्री जी, आप यदि खुद सक्षम नहीं हैं, मुझे कहने में झिझक नहीं है, इस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं तो केन्द्रीय लोगों की मदद ले लीजिए। मैंने बयान दिया था इस निर्णय के दूसरे दिन। दोनों फरीकों के लोगों ने कहा था कि केन्द्र के कुछ खास लोगों को बुलाकर के इस मसले को हल करायें जो इस मसले की जानकारी रखते हैं कि यह कैसे हल हो सकता था, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और आज नतीजा भोग करके सैकड़ों, हजारों लोगों के ऊपर लाठी चार्ज चल रहा है लोगों के घर जल रहे हैं, लोगों की न जाने कितनी लाशें बिछ गयी हैं। हुजूर वाला, इस तरीके से शासन कैसे चल सकता है? शासन चलाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं, खुद चुपचाप बैठने से फैसले नहीं हुआ करते। 6 महीने के अन्दर भी फैसला न ले पाए तो किसी केन्द्र के मन्त्रियों की मदद ली होती तो 24 घंटे के अन्दर यह अहम मसला हल हो जाता। ऐसा मेरा विश्वास था।

श्री अध्यक्ष--

श्री बोरा, अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री डी0 पी0 बोरा--

मैंने सारा मंजर अपनी आँखों से देखा है। स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि केन्द्र के कई मन्त्री इस मसले को हल करने में सक्षम हैं, उनको बुला कर इस मसले को हल करने में अगुवाई की जाय। उनके जरिए से यह मसला 1-2 दिन के अन्दर हल हो सकता है और जो मौतें आज हो रही हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं इस विषय के ऊपर अपनी बात कहने से पहले यह अपना फर्ज समझता हूं कि उन शहीदों को जो इस घटना में शहीद हुए हैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करूं और उनके जो परिवार हैं उनके दुःख में अपने को शरीक मानता हूं। मुझे अफसोस इस बात पर है कि जब से यह सरकार आयी उससे पहले से और उस वक्त से ही यह लखनऊ के शिया-सुन्नी का मसला ऐक्टिव शक्ल में था। वैसे तो यह मसला बहुत पुराना है, लेकिन जब से इस सरकार ने गद्दी सम्हाली उस वक्त से ही शिया-सुन्नी का मसला लखनऊ में चल रहा है और इसके ऊपर माननीय डी0 पी0 बोरा जो उस क्षेत्र के विधायक हैं उनसे मेरी कई बार बात भी हुई और उन्होंने खुद बार-बार प्रयास किया कि यह मसला हल हो जाय। परन्तु दुःख की बात यह है कि जो घटना यह घटी यह इसलिए घटी कि इस नाजुक मसले को जो लखनऊ के इतिहास के अन्दर, लखनऊ की मुस्लिम आबादी में जिसमें शिया और सुन्नी दोनों हजरात बहुत बड़ी तादाद में हैं उनके जो जज्बात मदेह सहाबा और तबर्रा के साथ जुड़े हुए हैं उनको समझना चाहिए कि इसको कैसे सुलझाया जाय। इसकी कोशिश माननीय मुख्य मन्त्री ने नहीं की जबकि एक वरिष्ठ मन्त्री, माननीय मुख्य मन्त्री के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

सहयोगी इसी लखनऊ के रहने वाले राम प्रकाश जी भी हैं। इस बात का दुःख होता है। अगर उनको इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है तो यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जनता पार्टी के अन्दर 39 मेम्बरान मुस्लिम हैं। मौलाना उस्मान साहब जी दारुल उलूम, देवबन्द के लेक्चरार हैं, वह भी इस सदन के मेम्बर हैं और कई मुस्लिम साहबान इस मन्त्रि-मन्डल में भी हैं, उनसे मालूमात कीजिए कि इस मामले की नजाकत क्या है? उनसे भी मालूमात करने की कोशिश नहीं की गयी। और अगर उन्होंने अपने से इस मामले की नजाकत को माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में रखा है तो उसको कोई अहमियत नहीं दी गयी। इसका मुझे अफसोस है।

अब जरा देखिए 1974 का जो मुआहिदा हुआ। वह मुआहिदा तीन पार्टीज के बीच में हुआ—शिया-सुन्नी और सरकार—कि शिया और सुन्नियों को अपना आचरण कैसा रखना है और सरकार को कैसा करना है। उसकी मोटी सी रूप रेखा यह हुई कि शिया या सुन्नी हजरात का कोई भी जुलूस इस तरफ से नहीं निकलेगा जो उनके पुराने ट्रेडीशन के खिलाफ होगा, जिससे कि दूसरे को दिलजारी होगी। दुःख की बात यह होती है कि सुन्नी हजरात जो अपने जुलूस में किसी को बुरा नहीं कहते, सब की तारीफ करते हैं उन्होंने तो अपनी उस चीज को माना और जो उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा हुआ था कि जुलूस नहीं निकलेगा, उन्होंने जुलूस नहीं निकाला। लेकिन दूसरी तरफ वर्षों से एक नया डेवलपमेंट हुआ, जिसे तबर्रा कहते हैं बुरा भला कहते हैं जिसको वह कहते हैं कि हजरत अली, शेरे खुदा की हकतलफी की है। वह हजरत उमर, अबूबकर व उस्मान पर तबर्रा करते हैं। तो उनका जुलूस तो नहीं निकला, जो उनकी तारीफ में मदह करते हैं। परन्तु जो लोग बुरा कहते हैं, जो लोग दूसरों पर लाँछन लगाते हैं, उनके जुलूस की इजाजत सरकार ने दे दी। तो यहाँ पार्टी शिया नहीं है, एक तरफ से शिया हजरात पार्टी नहीं, यह पार्टी सरकार हो गयी। जिस सरकार का मोआहिदा था, उसको देखते हुए कि तुम जुलूस अपना निकालो, पार्टी यह सरकार हो गयी। जब सरकार की यह इजाजत हुई तो कल लखनऊ शहर के अन्दर मैं भी बलरामपुर शफाखाना गया था, सारा बाजार बन्द हो चुका था और चाय की दुकान भी नहीं खुली हुई थी इतनी बड़ी हड़ताल बिना किसी प्रोपेगेन्डा के हुई, कामयाब हड़ताल हुई। डी0 एम0 तथा होम सेक्रेटरी से यह कहा गया कि मामले की नजाकत को गौर कीजिए। अब भी आप कल को निकलने वाले जुलूस को, उसकी इजाजत को वापस ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिए। बहुत संक्षेप में कहिए। आपने तो स्वयं कहा था-2-2 मिनट।

श्री रियासत हुसैन—

अब आप उस आर्डर को, कल को जो निकलने वाले जुलूस के बारे में है, उसको वापस ले लीजिए। परसों रात बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। श्रीमन, गिरफ्तारियाँ भी इस तरीके से नहीं हुई जैसे हुआ करती थीं, इस प्रजातन्त्र में, मकान के किवाड़े तोड़-तोड़ कर गिरफ्तारयाँ हुई। बड़े शर्म की बात है, यह रात के वक्त हुआ, जब सब लोग सोते हैं। उसके बाद जब हालात नाजुक हुए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस0 एस0 पी0 के सामने साढ़े 9 बजे के करीब आपके 4, कालिदास मार्ग पर सुन्नी लोगों का डेपुटेशन गया।

आपने उनसे मिलने के लिए इन्कार कर दिया यह कह कर इन्कार कर दिया कि कोई घबड़ाने की बात नहीं है। सब चीज ठीक है। यह कह कर इन्कार कर दिया और फिर उसके बाद वही सारे लोग श्री राम प्रकाश जी के निवास स्थान पर गए। राम प्रकाश जी को सब चीजें मालूम भी थीं, जो मन्त्रि-मन्डल के सबसे वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने मामले की गम्भीरता के ऊपर गौर किया और विचार किया, उन्होंने आप से कन्टेक्ट करने की कोशिश किया और मुझे फिर खेद के साथ कहना पड़ता है, यही कह दिया कि राम प्रकाश जी घबराने की बात नहीं है, सब ठीक है। जब रात को कल गिरफ्तारी हुई घर के अन्दर लोग थे, दरवाजे तोड़-तोड़ कर। आज 4 बजे सुबह अलम निकलने पर रिजेन्टमेन्ट शुरू हुआ, सबसे पहले 8 बजे सुबह फायरिंग अब्दुल अजीज रोड के ऊपर हुई। आपकी जो पुलिस लगी हुई थी, जो निगरानी कर रही थी जुलूस के लिए, लेकिन सुन्नी हजरात के ऊपर फायरिंग हुई। न मालूम कितने लोग, बच्चे, आदमी, औरतें जख्मी हुए। इनमें से कुछ तो मर गए हैं और सीरियस इन्जर्ड हैं। उनमें से न जाने कितने मरेंगे।

अध्यक्ष महोदय, 11 बजे इस बात का मसला उठा। श्री राम प्रकाश जी ने मुख्य मन्त्री जी से कहा कि आग लग गई है लखनऊ के अंदर, मुख्य मंत्री जी से, इसके अन्दर कुछ किया जाय। आपने कहा कि आप चले आयें मेरे पास बहुत से मन्त्री बैठे हुए हैं। आप चले आइए। मैं राम प्रकाश जी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। जब राम प्रकाश जी ने इस बात को देखा कि मुख्य मन्त्री जी इस मामले को अहमियत नहीं दे रहे हैं तो राम प्रकाश जी को दिल्ली सरकार से कॉंटेक्ट करके कहना चाहिए था कि लखनऊ जल रहा है, आग लगी है यहाँ के मुख्य मन्त्री ध्यान नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली की सरकार कार्यवाही करे। जो इनकी पावर थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और लखनऊ जलता रहा। नतीजा क्या हुआ? नक्खास में आग लगी, बिल्लोचपुरा में लाठी चार्ज और फायरिंग हुई। रुस्तमनगर में 11 बजे फायरिंग हुई और अब भी लखनऊ की हालत अच्छी नहीं है।

इस समय जो जनतन्त्र की दुहाई देते हैं, जनता पार्टी सरकार के मुख्य मन्त्री राम नरेश जी यहाँ बैठे हैं। जो डाक्टर लोहिया के चेले हैं। उन डाक्टर लोहिया के जिन्होंने केरल में फायरिंग होने पर पाटम थानू पिल्लई की सरकार से कहा था कि इस्तीफा दे दो। सरकार इस्तीफा दे दे और सरकार ने इस्तीफा दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो हालात लखनऊ में हुए हैं, सूबे की जो हालात है। नियम 51-52 में रोज आता रहा कि ला-एण्ड-आर्डर की सिचुयेशन बिगड़ती जा रही है। अब जो हालात आ गये हैं इसके अलावा और कोई मिसाल देखने की जरूरत नहीं है। और अच्छा हो कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अब घोषणा करें कि मैं इस प्रदेश को ला-एण्ड-आर्डर की हालत को कन्ट्रोल करने में असमर्थ हूं। मैं लखनऊ में शिया सुन्नी के मसले में असफल रहा हूं। हालात को कन्ट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए ऐलान करें कि मैं इस्तीफा देता हूं, जनता पार्टी का और कोई भी सदस्य यहाँ आकर बैठेगा हम उसका स्वागत करेंगे।

(सदन में व्यापक शोर)

मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। इंसानियत की दुहाई देकर, मैं उन बेगुनाहों के खून की दुहाई देकर जो आपके शासन की पुलिस की गोली का शिकार बने हैं, उन गरीबों

[रियासत हुसैन]

की दुहाई देकर जो इस झगड़े में मारे गए हैं। न जाने कितने दिन उनके घरों में फाके होंगे, उनकी हालत खराब रहेगी, उनकी दुहाई देकर मैं एक बार फिर माँग करता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए (शोर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

*मुस्लिम वक्फ उप मन्त्री (श्री आरिफ् मोहम्मद खां)--

मान्यवर, मैं ऐसे माहौल में पहली बार चुनाव जीत कर आया जब इस देश में तानाशाही का खात्मा हो रहा था। मेरे दिल में उमंग थी मेरे यह जजबात थे कि मेरा पहला भाषण किसी खुशगवार मौजू पर होगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती है, हमारे सूबे की बदकिस्मती है कि ऐसे हालात सामने आ गये हैं और मैं मन्त्रि-मंडल का सदस्य होते हुए भी, जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी, ऐसी पार्टी जो शासन में है और जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी उम्र और शिक्षा के हिसाब से किसी से कम त्याग नहीं किया। लेकिन सत्ता रूढ़ पार्टी में रहते हुए, इस मन्त्रि-मन्डल का सदस्य रहते हुए भी मुझे यह फर्ज नाखुशगवार फर्ज अंजाम देना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपसे सुबह अर्ज किया कि सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए मन्त्री रहने के बजाय मैं अपने विधायक के फर्ज पूरे करना चाहूंगा।

मान्यवर, यह नया मसला नहीं है, पुरानी बात है। सरकार इससे वाकिफ है, सदन वाकिफ है। इसलिए जरूरत इस बात की थी कि सरकार खासतौर से उस समय जब अलग-अलग सम्प्रदायों की तरफ से सत्याग्रह करने की कोशिश की जा रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थीं। जेलों में जा रहे थे। तो सरकार उसमें संजीदगी से विचार करती और सोचती कि इस मसले का स्थायी हल तलाश किया जाय। लेकिन कोई कोशिश नहीं की गयी। बीच में कोशिश की गयी थी तो उनको सुना जरूर, लेकिन न तो उनको जवाब दिया गया और न उस सिलसिले में कोशिश की गयी कि दुबारा बुलाकर पूछें कि कोई हल हो सकता है कि नहीं। मान्यवर, कुछ दिन पहले जब पुराने लखनऊ में हंगामा हुआ तो मैं और मेरे एक साथी श्री मुख्तार अनीस उस इलाके में घूमें। वहां देखा, मान्यवर, हो सकता है कि मेरी समझ सही न हो लेकिन, यह धार्मिक मसला नहीं है। मैंने सवाल किया, जो वहां कुछ सुन्नी आए थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें आपकी हुकूमत को ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। मैंने कहा यह गलत बात है। हुकूमत को ला-एण्ड-आर्डर बनाये रखने के लिए, शान्ति व्यवस्था के लिए आपके मसले में जरूर सरकार दखलन्दाजी करेगी और कानून को दखल करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की सरकार से ज्यादा न कहकर आपस में घर में बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। बातचीत में उन लोगों ने कहा कि आपसी झगड़े में कोई सफेदपोश एक दूसरे के चाकू क्यों नहीं मारते, रिक्शे वालों को क्यों मारते हैं? उन्होंने कहा देश में इतना बड़ा आन्दोलन चला उसमें न तो जिन्ना साहेब मारे गए और न नेहरू जी मारे गए। तो उनसे कहा बात यहीं समाप्त हो जाती है। यही मैं कहलवाना चाहता हूं। उस समय शिया लोग भी आए थे उन्होंने भी ऐसा ही कहा। तो हमने कहा आप दोनों लोगों के जवाब एक है। यह राजनीतिक लड़ाई है। इसमें छोटे लोग आगे रहते हैं और नेता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पीछे। यदि धार्मिक बात होती तो लीडर जो करते हैं वह कहते कि जान पहले हम देंगे छोटे आदमी, रिक्शे वाले नहीं देंगे। लेकिन यह राजनीतिक मामला है। बदकिस्मती की बात है। सरकार की तरफ से भी मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे अन्दर लोग समझते हुए जिन्होंने इस बात की हवा दी और इससे राजनीतिक फायदा उठाया।

यह सही है कि मान्यवर, इस देश में तानाशाही का कुचक्र चला। उत्तर प्रदेश में, शिक्षा विभाग में जो कुछ भी भ्रष्टाचार, बेइमानियां, ज्यादतियां और जुल्म हुए उतने दूसरे विभागों में नहीं हुए इमरजेंसी में। हमारी बदकिस्मती कि शिक्षा विभाग के ही सेक्रेटरी हमको पसन्द आए गृह विभाग चलाने के लिए जिन्होंने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का कुचक्र चलाया था। इसलिए जिसकी आदत हो कि भ्रष्टाचार खुले जिसका रिकार्ड यह हो वह गृह विभाग को क्या करेगा जिसकी अपनी नीयत, अपनी तरक्की दूसरों से मदद हासिल करने का तरीका, दूसरों के इशारे पर चलने का तरीका यह हो। नतीजा यह हुआ कि यहां पर यह स्थिति पैदा हुई। मैं सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह ताबूत निकलवाने की जो इजाजत दी गयी तो उसे रोकने की पहले जरूरत क्या थी? रोक इसीलिए की गयी कि कोई समस्या है। आपने जब उसे इजाजत दी तो उसका कोई हल आपने तलाश कर लिया था? अगर हल तलाश नहीं किया था तो आपको क्या अधिकार था कि आप उसे इजाजत दे देते? मैं नहीं जानता कि खास तौर से माननीय राम प्रकाश जी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जैसा माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, अगर मैं राम प्रकाश जी की जगह होता और देखता कि मेरा लीडर दिलचस्पी नहीं लेता तो मैं उसी वक्त अपना पद त्याग देता। यह सही है कि मैं मुख्य मन्त्री जी से मिलने गया क्योंकि मुझे उनकी इजाजत चाहिए थी। मैंने उनसे कहा कि शिया-सुन्नी के मामले में जो नीति अपनाई गयी है मैं उसमे सहमत नहीं हूं और मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मै मन्त्रि मण्डल में रहूं और मुझे इस्तीफा दे देने की इजाजत दीजिए। 10 बजे आकर मैंने विधान मण्डल के दफ्तर में इस्तीफा लिख कर दे दिया। जिस नीति से मैं मुत्तफिक नहीं हूं और जैसा मैंने पहले अर्ज किया अगर मन्त्रिमण्डल में हमें नहीं पूछते, हमारा फैसला नहीं माना जाता, हमें कांफीडेन्स में नहीं लिया जाता तो जिस फरायज को मन्त्री की हैसियत से पूरा नहीं कर सकता उसको एक विधायक की हैसियत से ज्यादा अच्छी तरह पूरा कर सकूंगा। शिकायत इसलिए नहीं कि इस नीति से मेरा मतभेद था बल्कि मैं दिली-तौर पर यह मानता हूं कि अगर सरकार की नाक के नीचे ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाय तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अब रहने का नैतिक अधिकार है या नहीं।

मान्यवर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे तब जो रेल एक्सीडेण्ट हुआ उसमें न तो वह ड्राइवर थे और न गार्ड थे कि उस गाड़ी के एक्सीडेन्ट होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यह मन्त्रिमण्डल की जिम्मेंदारी होती है, हमारी यह जिम्मेदारी है कि या तो यह बीड़ा उठाएं कि प्रदेश में हुकूमत हमारी है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नागरिकों की जान-माल की हिफाजत करें, उस की गारन्टी करें। अगर एक आदमी की जान जाती है तो उसकी जान लेने का जिम्मेदार वह आदमी नहीं है जिसने गोली चलाई बल्कि वह सरकार भी है जो सरकार उसकी जान

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

की हिफाजत नहीं कर सके। मैं इसलिए यह जजबात अर्ज कर रहा था और मेरे जजबात इसलिए तेज हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से स्थिति को देखा है। करीब पौने बारह या साढ़े बारह के करीब मैं चौक एरिया पहुंचा। सुबह जब मैं मुख्य मन्त्री के कमरे में गया तो मैं पहचानता तो नहीं लेकिन शायद होम सेक्रेटरी रहे होंगे जो कह रहे थे कि स्थिति कन्ट्रोल में है। जब मैं थाने पर पहुंचा तो आई0 जी0 घबराए। उन्होंने कहा कि मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि आप एरिया में जायं। मैंने इंसिस्ट किया कि मैं जाऊंगा, चाहे मेरे साथ किसी को करें या न करें। मेरे साथ उन्होंने एक गाड़ी की। इससे ज्यादा और अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि जहां मन्त्रि मण्डल के सदस्य और इस सदन के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उससे फकत पांच किलोमीटर की दूरी पर सुबह के आठ बजे से लेकर एक बजे तक स्थित में कन्ट्रोल नहीं किया जा सका। मान्यवर, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद, मैं आधे से ज्यादा इलाके में नहीं घूम सका, गोलियां चलने की आवाजें, पत्थर फेकने की आवाजें एक दूसरे की सर तोड़ने की आवाजे आ रही हैं। मैं चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से कि मुख्य मन्त्री जी हालात को समझें। जैसा मैंने पहले कहा मुझे कोई खुशी नहीं हो रही हैं आपकी नुक्ताचीनी करने में। हमारा खून तो बहुत बहा दिया गया पिछली सरकारों ने। आपकी कैसी सरकार है हमारे खून के पीछे पड़ी है। यह जरूर है मान्यवर, अस्पताल में 50 आदमी जख्मी पड़े हैं जिनकी जानें किसी भी समय जा सकती हैं और मन्त्रि मण्डल के सदस्य अपने दफ्तरों में बैठे हुए फाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जाना चाहिए था, पहुंच जाते मौके पर अगर आप को कोई हमदर्दी थी। मान्यवर, मन्त्रि मण्डल के सदस्यों और सदन के सदस्यों को भी कोशिश करनी चाहिए थी कि वे मौके पर पहुंचें। इस तरह का वाकया पहले हो चुका है। अहमदाबाद में हुआ। प्रधान मन्त्री मोरार जी भाई विपक्ष के नेता थे। तुरन्त अहमदाबाद पहुंच गये भूख हड़ताल शुरू कर दी। हमारे यहां कोई नहीं है कि जो इलाके का मुआइना कर सके, अपील कर सके। लेकिन अपील तो तब की जाती है जब यह काम अचानक हो गया होता। यह काम सोच समझ और साजिश के तहत कराया गया है जिसमें अफसर भी शामिल हैं और राजनीतिक पार्टी वाले शामिल हैं।

इसलिए मान्यवर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रदेश में जहां कहीं फसादें हों उस के लिए इंक्वायरी कमीशन बैठे और कमीशन यह कहे कि इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर पर है तो कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। एस0 पी0 के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, यह मेरा मत नहीं है बल्कि जितने जजेज कमीशनों के हैं यह उनका मत है कि अगर ऐसा कर दिया जाय तो स्थिति पर कन्ट्रोल पाया जा सकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। मान्यवर, मेरा आरोप है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। मेरा आरोप है कि इसमें सीधे-सीधे गृह सचिव का हाथ है। गृह सचिव ने यह काम सोच-समझ कर किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के मन्त्रि मण्डल में चार मन्त्री हैं अब्दुल रऊफ लारी, आरिफ मोहम्मद खां, मोहम्मद मसूद खां और आबिद अली, कम से कम उन को बुला कर एक बार पूछा जा सकता है कि ऐसा किया जाय या नहीं किया जाय, लेकिन नहीं बुलाया गया और

पूछा नहीं गया। अफसरों ने बैठ कर फैसला कर लिया। मान्यवर, उनके गर्दन पर इन बेगुनाहों का खून है जिन्होंने आज सुबह तड़प-तड़प कर पुराने लखनऊ के इलाके के अस्पताल में जान दे दी। यही मान्यवर, कारण था जिसने मोटीवेट किया कि मन्त्रि मण्डल में रहना अब पसन्द नहीं करूंगा। इसलिए मान्यवर, आप से दरख्वास्त है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहें कि वह इस सिलसिले में गृह सचिव और दूसरे जितने भी लोग हों, राजनीतिक कारण से किया गया हो या और किसी कारण से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और आगे के लिए जल्द से जल्द मुस्तिकल हल तलाश किया जाना चाहिए। मान्यवर, पचास बातें कही जा रही हैं कि फलां की जान चली गयी, पुलिस ने यह किया, मैं तो आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी की खिदमत में एक शेर पेश करूंगा :—

तू इधर उधर की बात न कर,
यह बता कि काफिला किधर लुटा,
मुझे रहजनों का गम नहीं,
यह तेरी रहबरी का सवाल है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में जैसा आरिफ मोहम्मद साहब ने कहा वाकई एक दर्दनाक हालत पैदा हुई है। लखनऊ शहर अपनी नफासत के लिए अपने कलचर के लिए मशहूर है, लेकिन आज वहां पर दहशत, डर की फिजा है। मैं सीधे-सीधे यह कहना चाहता हूं कि सारा फसाद सोची-समझी स्कीम और साजिश के तहत किया गया है। यह सब आपसी फूट के लिए किया गया है और जो जनता पार्टी इत्तहाद इलेक्शन के वक्त बना था उसे तोड़ने के लिए यह साजिश की जा रही है और वह स्थिति लाने के लिए लखनऊ को फसाद के लिए चुना गया है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं जिस वक्त रियासत हुसैन साहब ने फरमाया था कि गोलियां चल रही हैं, बख्तरबन्द पुलिस पहुंच गयी है उससे साफ जाहिर होता है कि यह सारा मामला सोचा समझा हुआ था। इसलिए मैं यह अर्ज करूंगा कि जुडीशियल इंक्वायरी होती रहेगी, मुख्य मन्त्री जी से मैं चाहूंगा कि जो लोग इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड किया जाय और उनको तुरन्त हटा दिया जाय। दर्जा दोयम तथा सोयम के जो अफसर होते हैं जो नीचे के अफसर होते हैं उनके लिए यह नियम बना हुआ है कि उनके खिलाफ अगर विजिलेंस में भी इंक्वायरी होती है तो उनका सस्पेंशन हो जाता है, जुडीशियल इंक्वायरी के पहले जिन पर बराह रास्ते जिम्मेदारी आयद होती है उनको सस्पेंड करने के अहकामात दिए जायं। जो मेरे साथियों ने कहा है मैं भी उससे इत्तिफाक राय रखता हूं कि यहां मुकामी तौर पर जो पुलिस है वह इन्तजाम नहीं कर सकती तो फौरन फौज तलब की जाय। यह मामला बहुत दूर तक असर डालने वाला है। शिया-सुन्नी साहबान का मामला लखनऊ जैसे शहर में ही हमेशा होता है और हिन्दुस्तान में किसी दूसरी जगह नहीं होता, यह मसला गौरतलब है।

[श्री खान गुफरान जाहिदी]--

सन् 1974 में दोनों तरफ के लोगों ने, बुजुर्गों ने बैठ कर एक फैसला लिया। एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत जुलूस निकाला गया था और वह एग्रीमेंट उस वक्त हुआ जब हालात कई दफा पहले खराब हो चुके थे। जुलूस निकलता है और बाद में कुछ छुटपुट झगड़े हुए और एग्रीमेंट की रोशनी में कुछ लोगों को बन्द कर दिया गया। इस बार भी यह कहा गया कि जब तक दोनों पार्टीज के बुजुर्ग बैठकर फैसला न कर लें तब तक जुलूस न निकले लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। दोनों पार्टीज नहीं बैठी थीं, इस अलम जुलूस निकालने का जो फैसला हुआ था वह सरकारी फैसला था, अफसरों का वह फैसला था और हमारे एक मन्त्री के सुपुर्द सारा मामला कर दिया गया था। उन्होंने यह समझ लिया था कि मैं इस मसले को निबटा सकूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि बाज लोगों को अपने बारे में गलतफहमी हो जाती है और वह गलतफहमी इस मसले को ऐसे नाजुक मोड़ पर ले आई है कि एक उप मन्त्री को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले को अच्छी तरह से समझा नहीं गया। यहां हर मजहब के लोग रहते हैं हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई।

मैं अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि किसी मुसलमान भाई को यह हक कभी नहीं पहुंचता, यह इजाजत कभी नहीं मिल सकती कि वह हिन्दुओं के बुजुर्गों के बारे में कोई गलत लफ्ज कह सकें। कोई कानून इसकी इजाजत नहीं दे सकता। किसी धर्म में जो भी बुजुर्ग हो चुके हैं उनको हम मानते हैं, मानते रहेंगे। अब आप हिन्दुओं में ही देखिए भगवान राम, लक्ष्मण, भरत सब भाई हैं। वे हमारे साथियों के बुजुर्ग हैं, हमारे भी बुजर्ग हैं। अब किसी भाई को लक्ष्मण राम से ज्यादा प्यारे हो सकते हैं लेकिन वह भाई राम को बुरा नहीं कह सकते, भरत जी के बारे में बुराई नहीं कर सकते। यह एक बहुत मोटा सवाल है कि कोई चारों भाइयों को मानने वाला है, कोई एक भाई को ही मानता है। यही मसला शिया-सुन्नी के इस झगड़े में मुख्य है। मैं ऐसा समझता हूं कि सब शिया लोगों में ऐसे नहीं होंगे जो इस अलम जुलूस के निकालने से मुत्तफिक हों, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं। क्या भरत के चाहने वाले भगवान राम को गाली देने की इजाजत देंगे, इसकी इजाजत कोई भी देना नहीं चाहेगा। लेकिन किसी हमारे बड़े मन्त्री ने इसकी इजाजत दे दी जिसके तहत खुले-आम एक जुलूस निकले और वह सब को गालियां देते हुए निकले, बकवास करते हुए निकले। यह पूरी तैयारी की थी कि यह हो, हंगामा हो। इस मुल्क में हमारी जनता पार्टी बनी है और हम आजाद हुए पहले बोलने का हक खत्म कर दिया गया था। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि देश में तफरीक पैदा हो . . . (व्यवधान) जरा सोचिए नाराज न हों मैं यह मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं इसमें बहुत से मामले जो मालूम नहीं है वह मालूम हो जायं इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं। अरे भाई, आफिसर ही क्यों जिम्मेदार हैं, आफिसर तो आफिसर है उसको आदेश होते हैं उस आदेश देने वाले के लिए क्या किया जाय? आदेश देने में कौन शामिल है क्या यह फर्ज नहीं हो जाता है कि उसकी निशानदेही की जाय, उनसे कहा जाय कि ऐसा क्यों हुआ? उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। मैं नम्रता से यह बात कहना चाहता हूं कि किसी मजहब को यह अधिकार नहीं है कि वह सड़क पर निकल कर दूसरे मजहब को गाली दे। इसकी

इजाजत किसी को नहीं है। अगर तबर्रा पढ़ना किसी का मजहबी जुज़ है तो वह अपने घर में पढ़े, घर में बैठ कर जो चाहे करे लेकिन बाहर नहीं। आज जो हमारे दरमियान में दखलन्दाजी करते हैं उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह एक दूसरे को बुरा-भला कहें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अलम क्यों निकाला गया ? यह पता लगाने की बात है। आज जो हम हजरत इमाम साहब की शहादत और मजलूमियत पर आंसू बहाते हैं लेकिन आज जो इतने मासूम इंसान वहां पर मर गए हैं उसका जवाज क्या है ? यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इस तरह से लोग मर जायं, आज यह दुख हम को सहन करना पड़ रहा है। यह किसने किया, कौन उसके लिए मुजरिम है, इसकी किस पर जिम्मेदारी आती है ? कमीशन बैठाने के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। हरूफ अबजद के हिसाब से इसके माने 420 होते हैं। इंक्वायरी होने से पहले उन अफसरान को सस्पेंड करना चाहिए चाहे वह प्रथम दर्जे के हों, दूसरे दर्जे के हों या तीसरे दर्जे और चौथे दर्जे के हों। इंक्वायरी शुरू होते ही उनको चाहे आई0ए0एस0 हों या आई0पी0एस0 उनको फौरन सस्पेंड होना चाहिए। इसका वाजे तौर पर एलान किया जाय।

श्री अध्यक्ष —

आप बराए मेहरबानी समाप्त कीजिए।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं अपने मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, हम सब जनता पार्टी को बरकरार रखना चाहते हैं। हमारे मन्त्रि मण्डल के लोग और नुमायन्दे मौजूद हैं, हर तबके के लोग मौजूद हैं, उनको इस मसले पर बोलने दिया जाय। अभी वक्त इतना बिगड़ा नहीं है, हालात को हाथ से जाने न दीजिए, सब को बुला कर मीटिंग कीजिए और सूरतेहाल को ठीक करने की कोशिश कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मुझे यह दरखास्त करनी है कि दो मिनट में कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान) मैंने श्री कासिम हसन को बुलाया है। आप लोग बैठिए।

*श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए आपका बड़ा आभारी हूं। आज हम इस सदन में बैठकर लखनऊ को जलता हुआ देख रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। आज यह समय न आता अगर हमारी सरकार इस पर उचित इन्तजाम कर लेती। अगर पहले से वह अंदाज लगा लेती कि आने वाला समय इतना भयंकर है, तो यह समय आज न आने पाता। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे मन्त्रि परिषद् के ऊपर आती है। क्योंकि जिस जुलूस को निकालने की इजाजत हमारे मुख्य मन्त्री द्वारा दी गयी। वह एक ऐसी इजाजत थी, जिससे यह आग भड़की। यह आग न भड़कती अगर कल की जो स्ट्राइक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कासिम हसन]

हुई, सुन्नियों ने जो मुकम्मल हड़ताल की, शान्तिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट किया, उससे इन्होंने शिक्षा ली होती, उससे इनकी आंखें खुली होतीं। कल जो विरोध लखनऊ में प्रकट किया गया, वैसा प्रदर्शन आज तक लखनऊ में किसी ने नहीं किया। शिया हजरात को जुलूस निकालने की इजाजत दी गयी, तो सारे सुन्नियों ने अपनी दूकानों को विरोध में, शोक में बन्द कर दिया, जिसको हमारे राम प्रकाश जी और मुख्य मन्त्री जी को चेतावनी समझनी चाहिए थी। तो मेरा अपना पक्का विश्वास यह है कि यह एक जानी-समझी स्कीम बनाई गयी थी। हमारे राम प्रकाश जी इसके सर्वेसर्वा बने हुए थे, इसको तय कराने के लिए, लेकिन वह फेल हो गए। क्या वह इस गम्भीर मुसलमानों के मसले को हल कराने के लिए, हमारी छोड़िए, लेकिन जो दूसरे तजुर्बेकार मुसलमान हैं--आबिद अली और मसूद खाँ वगैरह उनसे बुलाकर सलाह नहीं कर सकते थे ? एक तरफा निर्णय लेने का उन्हें अधिकार कैसे मिला ?

जब सन् 1974 में यह मसला तय हुआ था और उस समय यह निश्चित हो गया था कि कोई जुलूस इस तरह का नहीं निकाला जायगा, क्योंकि इसमें झगड़े की सम्भावना बनी रहती है, तो मुख्य मन्त्री ने इसकी इजाजत कैसे दी ? इस इजाजत का नतीजा यह निकला कि आज हमारे शहर के अन्दर हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, घरों से निकाल-निकाल कर गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों आदमी मौत के मुंह में चले गए और हम और आप आज सदन में बैठकर इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। किन्तु यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। पहले जब ऐसे काण्ड हुए, शासन की ढील हुई तो प्रशासन के जिम्मेदार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री और मन्त्रि परिषद् के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर सोचा जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि झगड़े का कारण गृह सचिव हैं, एस0डी0 ओ0 और डी0एम0 हैं, जो यहां प्रशासन को संभाले हुए हैं और इसके साथ-साथ मुख्य मन्त्री और राम प्रकाश भी हैं। यह पांच आदमी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। दंगे को करवा कर 50-60 आदमी कत्ल हुए और सैकड़ों आदमी जख्मी हुए, जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। इसके चलते मैं नहीं समझता कि यह मसला कैसे हल होगा। जिस कारण हमने तानाशाही को खत्म किया और जनता पार्टी को सत्ता में लाए कि हम एक दूसरे पर हुए अत्याचारों पर निगाह रखेंगे, शासन को सतर्क और सक्षम बनावेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं होने पावेगा जिससे हमारे देश में खून-खराबा हो, झगड़े हों, साम्प्रदायिक फसाद हों। क्या वह हालात दूर हुए हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए, काफी बोल चुके हैं।

श्री कासिम हसन--

अच्छा तो मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि कि गृह सचिव को निलम्बित किया जाय, अविलम्ब उनको निकाला जाय और डी0 एम0 को निकाला जाय, वरना मैं इस सदन को त्याग दूंगा।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

आप मुझे बोलने दीजिए, वहां की हालत मैं देखकर आया हूं, मैं बताना चाहता हूं कि वहां बड़ी गम्भीर समस्या है. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप बैठें।

एक सदस्य—

अस्पताल में सैकड़ों आदमी घायल पड़े हुए हैं. . .

श्री अध्यक्ष—

इस तरह नहीं, आप बैठिए।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, लखनऊ शहर में आज रात से घटना घट रही है, उसके लिए सख्त अफसोस है। श्रीमन्, लखनऊ शहर में यह झगड़ा बहुत ही पुराना है जिसको आप भी जानते हैं और इस माननीय सदन के बहुत से माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं। 1969 में भी इस तरह का झगड़ा इस मसले को लेकर हुआ था। उसका उपाय उस वक्त की सरकार ने कड़ाई के साथ किया था। दूसरी बार 1974 में आज से तीन वर्ष पहले इसी तरह का विवाद दोनों तत्वों के बीच में उठा था और जहाँ तक मुझे याद है उस क्वत माननीय बहुगुणा जी माननीय मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने दोनों वर्ग के लोगों को बुला कर इस तरह का समझौता हुआ तीन पक्षीय जिसका जिक्र रियासत साहब ने किया, शिया सम्प्रदाय, सुन्नी सम्प्रदाय और सरकार में एक समझौता हो गया और यहाँ तक पता चला है अभी, उस समझौते में परिवर्तन किया गया। अगर यह बात है, जैसा कि रियासत साहब ने कहा कि परिवर्तन हुआ, तो मैं साफ साफ इस प्रकार का इल्जाम लगाना चाहता हूं. . . (व्यवधान)

सुनिये दूसरों की बात। इसलिए श्रीमन्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समझौते में परिवर्तन करके अगर जुलूस निकालने की इजाजत दे दी गयी है तो उसके लिए गुनहगार यह सरकार है और सरकार के अन्दर इस बात की क्षमता होनी चाहिए, जिसका जिक्र बहुत से माननीय सदस्यों ने किया, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको इतनी बड़ी घटना के बारे में इस्तीफा देना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं. . . (व्यवधान)

जनता बुलवाएगी, आप को चेतावनी देता हूं। हुड़दंग से काम नहीं चलेगा। हुड़दंग का जमाना बीत गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जुलाई-अगस्त में. . . (व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग शान्त रहिए।

श्री ऊदल—

मान्यवर, आपको मैं याद दिलाता हूं इसी जुलाई, अगस्त के महीने में इस झगड़े की शुरूआत हो गयी थी, जुलाई महीने में हमारा ऐसा ख्याल है कम से कम सात दिन तक पुराने लखनऊ में कर्फ्यू लगाया गया था, इस झगड़े को शान्त करने के लिए। किसी तरह से वह झगड़ा शान्त हुआ। उसके बाद फिर पता चला कि जुलूस की इजाजत दी गयी और उस इजाजत के बाद आज ही अखबार में पढ़ा, सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों ने कल अपनी दूकानों को बन्द करके हड़ताल किया और सरकार से भी बता दिया कि हम लोगों को असन्तोष है क्योंकि एक सम्प्रदाय के लोग समझौते को मानते हैं, अगर सरकार ने इसमें तरमीम न किया होता तो दूसरा सम्प्रदाय भी मानता। इसलिए इसको मैं राजनीतिक मामला नहीं बनाना चाहता। अगर मित्र चाहते हैं कि यह मामला राजनैतिक बने तो मैं उस पर भी विवाद करने के लिए तैयार हूं। सैकड़ों लोगों की जानें चली जा रही हैं वह साजिश के कारण चली जा रही हैं।

*श्री मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं अपनी आँखों से आज की घटना को देखकर आया हूं। मुसलिम मजलिस के अध्यक्ष, हबीब अहमद ने आज्ञा दी। मैं मेडिकल कालेज में उन मरने वालों की लाशों को देखकर आया हूं। आते समय रास्ते में हमने जो देखा है यह काण्ड बढ़ता जा रहा है और अब शहर के बहुत से मुहल्ले इसकी लपेट में आ चुके हैं। सैकड़ों आदमी घायल हो गए हैं। यह कर्फ्यू का बहाना है। लाशें जो गिर गई हैं उनकी संख्या घटाई जा रही है। श्रीमन्, यह केवल शिया और सुन्नी का बहाना है। पुलिस ने मुसलमानों का कत्ले-आम किया है, पुलिस ने गोली चलाई है। मैं कह रहा हूं कि अब तक कितनी जानें गयी हैं। यह सारी जानें पुलिस के कारण गयी हैं। इसमें हम लोग आप से निवेदन करेंगे कि सम्बन्धित मन्त्री जिन्होंने इस जुलूस को निकलवाने की आज्ञा दिलवाई उनका इस्तीफा लिया जाए। मैं माँग करता हूं कि मन्त्री महोदय इस्तीफा दें और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको निलम्बित किया जाय और इस की न्यायिक जाँच कराई जाय। यह वाकया बहुत आसान नहीं है और इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। यह बड़े दुख की बात है कि हमारी जनता सरकार के समय में ऐसी दुखदायी घटना हुई है। मुझे दुख है कि वही बात दुहराई जा रही हैं जो काँग्रेस में हुआ करती थीं। जब तक समझौता न हो जाय, जुलूस पर रोक लगाई जाय।

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना गम्भीर है कि मैं समझता हूं कि इसमें उत्तेजना की अधिक आवश्यकता नहीं है। जो गम्भीर मसले हों उनको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप संसदीय मन्त्री थे तो मैं विरोध पक्ष में बैठता था। जब पन्त जी थे तब यह मामला हुआ था, जब सम्पूर्णानन्द जी थे तब यह मसला आया था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जब चन्द्र भानु गुप्त जी मुख्य मन्त्री थे तब भी यह मामला उठा था और अब राम नरेश जी आ गए। सारे सदन के लोग उत्तेजित हो रहे हैं। विरोधी दल के लोग कहेंगे कि वह सरकार एक. . . .

(व्यवधान) मैंने अभी तो कुछ कहा भी नहीं है।

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शान्ति बनाए रक्खें।

(व्यवधान)

आप लोग कृपया शान्त हो जायं।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

स्थगित कीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शान्ति बनाए रक्खें। आप बैठिए।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मैं सदन छोड़ कर जा रहा हूं।

(इसी समय श्री मुकीमुर्रहमान, श्री आरिफ मुहम्मद खां, श्री ऊदल, श्री श्याम धर मिश्र, श्री शफीकुर्रहमान, श्री कासिम हसन, श्री खलील उल्लाह कुरैशी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री अशफाक, श्री फजलुलबारी तथा मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ आदि कई अन्य सदस्य सदन के मध्य खाली स्थान पर विरोध में आकर बैठ गए और नारे लगाने लगे। "हम धरना देंगे"। "गोली चलाइए" "चलाइए गोली" "मुख्य मन्त्री इस्तीफा दें"। इसी समय नेता विरोधी दल अपने स्थान से उठ कर सदन के बाहर चले गए।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाए रखें।

(घोर व्यवधान)

सदन एक घंटे के लिए स्थगित किया जाता है।

(शेम-शेम की आवाजें।)

(इसके बाद 2 बजकर 54 मिनट पर सदन पुनः स्थगित हुआ तथा 3 बजकर 54 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर।)

विधान सभा

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का टाइम दिया जाय। कल से मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं आज इस सदन से एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज जो लखनऊ में घटना हुई है वह वास्तव में बड़ी दुःखद है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभी अपना वक्तव्य देंगे लेकिन जो लखनऊ शहर में घटना हुई है, वह दुःखद तो है ही, लेकिन आज इस सदन के अन्दर जो हुआ वह भी बहुत प्रशन्सा की बात नहीं है। मैं अपने माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि उनके दिल में बहुत दर्द है, उनके मन में जो भावनाएं हैं, उनको वे सदन में व्यक्त करना चाहते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और किसी के ऊपर दोषारोपण भी करना चाहते हैं, मन के गुबार निकालना चाहते हैं लेकिन हमें इस सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। मेरी प्रार्थना है कि जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं वे संयमित भाषा, संयमित वार्ता और व्यवस्था के साथ अपनी बात रखें। केवल इतनी ही बात आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहुत ही गम्भीर और दुःखद काण्ड के साए में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं यह समझ सकता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के सम्बन्धी, उनके मित्र आहत हुए, बहुत से लोगों को चोटें पहुंची हैं, इसलिए दिमाग में दुख होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य की बात नापसन्द भी हो तो भी वह उसे शान्ति से थोड़ा सुनें और मुझे बता दें, मैं उसको रोक दूंगा। माननीय राधेश्याम जी को मैंने बुलाया। मैं चाहता था कि चूंकि इस मसले से ज्यादातर मुस्लिम सदस्य ही प्रभावित हैं, उनको समय मिले, लेकिन उनका भी आग्रह था। अगर उन्होंने कोई बात ऐसी कही जिससे कुछ लोगों को ठेस पहुंची तो मैंने उसके बाद ही उनको बैठा दिया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं ही चाहते थे कि इस स्थिति पर वे अपना वक्तव्य दें इसलिए मैंने जरूरी समझा कि उनके वक्तव्य देने के पूर्व वे सदन की भावनाओं से अच्छी तरह से अवगत हो जायं। मेरा अनुरोध है कि जो भी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलें वे संयमित भाषा में, बिना उत्तेजना के फैलाए, बोलें। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी इस बात के लिए अपने विचार जाहिर किए थे। इस वक्त हमारे सामने प्रश्न यह है कि किसकी गल्ती से यह हुआ। वे उसको देखेंगे और जिम्मेदारी भी निश्चित करेंगे लेकिन मुख्य काम यह है कि जो आग जल रही है उस पर पानी डालें, जिनकी मृत्यु हुई है उनको राहत पहुंचाएं और जिनको परेशानी हो गई है उनकी मदद की जाय। उन्होंने अभी अपने कई साथियों को दंगे से प्रभावित क्षेत्रों के अन्दर भेज रखा है, अस्पतालों में भी ठीक व्यवस्था करने के लिए एक सहयोगी मन्त्री को भेजा है और आदेश दिए हैं कि वे उन सब चीजों को देखें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि सभी माननीय सदस्य अपनी बातों को संयमित भाषा में कहें। माननीय मुख्य मन्त्री जी को दूसरे सदन में

भी जाना है। अतः मैं चाहूंगा कि आप लोग 4 1/2 बजे तक सदन में अपनी बात रखें और फिर माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे दें ताकि 5 बजे तक यह समाप्त हो जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था. . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठे जायं। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि मैं कुछ बात कहूं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं, जो इस प्रकार है :—

"बफूरे ग़म से दो आँसू बहाएं तो बगावत है,
सितमगारे जहाँ को भूल जाएं तो बगावत है।
समझ में ही नहीं आता कि छेड़े दास्ताँ कैसे,
हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है।

आज बहुत ही दुख के साथ मुझे इस सदन के सामने यह अर्ज करना पड़ रहा है कि इससे पहले भी और आज भी मैं बड़ी सफाई से अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमानों का जान व माल महफूज नहीं है। इसलिए कि आज जिस हाउस के अन्दर हम बैठे हुए हैं उसके सामने लखनऊ जल रहा है, लेकिन सरकार हमारी देख रही है और उसका इस वक्त तक कोई इन्तजाम माकूल न कर सकी।

तो मैं इसके साथ-साथ यह भी अर्ज करूंगा कि जैसा कि भाई आरिफ मोहम्मद साहब ने अहतियातन अपना इस्तीफा पेश किया है, इसी रोशनी में . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय बर्क साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मसले को वाकयात तक सीमित रखें और मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसमें गरमी लाने की जरूरत नहीं है (कुछ सदस्यों के खड़े होकर कुछ कहने पर) गलत है. . . . आप लोग शान्त रहिए। यह तरीका गलत है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं अपने मुसलमान मिनिस्टरान से भी अर्ज कर रहा हूं कि वह भी आरिफ साहब की ताईद में इस्तीफा दें और साथ ही साथ इसके जैसा कि मुझे मोतबर जराय से मालूम हुआ है एस0एस0पी0 और कलेक्टर ने गालिबन परसों—हो सकता है कल—यह इत्तला दी थी कि हालात ज्यादा खराब हैं, जुलूस की इजाजत न दी जाय, लेकिन इसके बावजूद जुलूस की इजाजत दी गयी। और मुझे यह भी बताया गया कि मुख्य मन्त्री जी को जो मशविरा दिया वह हमारे मोहतरिम राम प्रकाश जी ने दिया, क्योंकि शिया साहबान से राम प्रकाश जी की बात हुई जैसाकि उनसे पुराना गठ-जोड़ है। तो उन्होंने उनसे यह वादा किया कि हर हालत में जुलूस निकलवाया जायेगा। तो मुझे अफसोस है कि मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को न सोचा कि जो शहर के अन्दर कल मुकम्मल हड़ताल थी और जैसा कि मैंने प्वाइन्ट-आफ-आर्डर रेज करके उठाना चाहा, सिर्फ इसलिए ताकि यह मसला जेरे-गौर आ जाय और

[श्री शफीकुर्रहमान बर्क]

हालात न बिगड़े। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इतनी पुर-अमन और मुकम्मल हड़ताल होने के बावजूद इससे बड़ा रेड सिग्नल कोई और हो सकता था कि जो हालात की निशानदेही कर रहा था कि अगर इस पर कन्ट्रोल न किया गया, जुलूस पर पाबन्दी न लगाई गई तो हालात बिगड़ सकते हैं? तो इसलिए इन हालात में आज जबकि इस लखनऊ के अन्दर थ्री-नाट-थ्री की गोलियों से मुसलमानों के सीनों को पार किया जा रहा है, जखमी किया जा रहा है, चाहिए तो यह था, जरूरत तो इस बात की थी कि हमारे जखमों पर मरहम रखा जाता और हमें तसल्ली दी जाती और इसका फौरी इलाज किया जाता। वह तो न किया गया, बल्कि हुआ क्या कि हालात को और बिगाड़ने के लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन जालिमों का साथ दिया कि जिन्होंने न मालूम कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, उसकी जिम्मेदारी है। चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों, शिया हों, सुन्नी हों, कोई हों, एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का जिम्मेदार है कि हर एक के जान व माल और उनकी रिवायात की हिफाजत करे। इन हालात में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे होम सेक्रेटरी साहब के मुताल्लिक जैसा कि आरिफ साहब ने बतलाया, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। इसलिए मैं इस बात की माँग करता हूं कि होम सेक्रेटरी साहब को सस्पेंड किया जाय और जो दूसरे अधिकारी हैं जिन्होंने इस मौके पर गलत रोल अदा किया है जिन की वजह से जैसी कि रिपोर्ट है तकरीबन 40 जानों का नुकसान होने की खबर है, उनको उस की सजा मिलनी चाहिए और वह लोग जिनकी जानें गई हैं और जिनका जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान हुआ है, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि उनको मुआवजा दे और पूरी जिम्मेदारी से उनकी देखभाल करें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त कीजिए। 7 मिनट आपके हो चुके।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

एक मिनट। लिहाजा इन हालात में मुझे बहुत दुःख और अफसोस है, मेरा दिल गमगीन है, मुझे बेहद तकलीफ है और जितना इस पर अफसोस का इजहार किया जाय वह कम है, मैं सारे सदन से यह गुजारिश कर रहा हूं कि वह फौरी तौर पर इन हालात का जायजा लेकर ऐसा माकूल हल निकाले जिससे आयन्दा ऐसे कोई वाकयात न हो सकें। मुसलमानों के साथ हमेशा यह होता रहा है, हजारों बलवे हो चुके हैं और हमेशा उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो मैं बड़े अदब से मुख्य मन्त्री जी से और अपनी जनता सरकार से गुजारिश करूंगा कि आइन्दा इस किस्म के फसादात की रोकथाम के लिए वह पूरी जिम्मेदारी से इस किस्म का कोई हुक्म नाफिज करें जिससे ऐसे झगड़े न हो सकें और कोई वाकया हो तो उसको संजीदगी से सुलझाया जाय और वहाँ के डी0एम0 और एस0एस0पी0 पर पूरी जिम्मेदारी डाली जाय कि आयन्दा कोई ऐसी बात होगी तो वह पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप दोहरा रहे हैं। अब आप बैठिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं मुख्य मन्त्री जी से यह भी बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि. . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो बार-बार आप दोहरा रहे हैं। आप बैठिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

इस सिलसिले में जो गल्ती हुई है मैं समझता हूं कि वह इसके जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप दोहराइए नहीं बार-बार।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मुझे अफसोस है कि सारे मुसलमान जो जनता पार्टी के एम0 एल0 ए0 हैं उन्होंने उन को इस काबिल नहीं समझा कि वह उनसे मशविरा कर लेते।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

उन्हें मशविरा करना चाहिए था. . .

श्री अध्यक्ष—

बर्क साहब, अब आप बैठिए। आप बार-बार दोहरा रहे हैं। आप बैठिए। यह गैरमुनासिब है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है। कई माननीय सदस्यों के विचार हमने सुन। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी झगड़े हुए लेकिन अबकी झगड़ा दूसरा मतलब रखता है। इसलिए मतलब रखता है कि लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी और लोग कैम्प लगाए हुए थे कि हमको जुलूस निकालने की इजाजत दी जाय। दूसरी तरफ से कोशिश यह हो रही थी कि इनको जुलूस निकालने की इजाजत न दी जाय। शिया हजरात यह कोशिश कर रहे थे कि हमको जुलूस निकालने की इजाजत दी जाय और सुन्नी हजरात सरकार तक इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इजाजत न दी जाय, नहीं तो हमे भी दी जाय। तो मैं यह कहना चाहता हूं सरकार की मार्फत कि जब एक समझौता था कि जब कभी जुलूस निकालने की इजाजत दी जायगी तो दोनों फिरकों की रजामन्दी से इजाजत दी जायगी। तो यह जानबूझ कर कुछ लोगों की साजिश है कि दूसरों के खून पर और दूसरों की मौतों पर उनको हंसी आती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको दूसरों की मौत पर और खून पर गम भी होता है। अफसोस मुसलमानों को ही नहीं, हिन्दुओं को भी है और लोगों को भी है, जो खूने-नाहक के विरुद्ध हैं।

[श्री बाबू बदरे]

अध्यक्ष जी, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि लखनऊ के एस0 एस0पी0, एस0 पी0, सिटी वगैरह जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने कहा था कि हालात बहुत नाजुक है, इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमेशा यह देखा गया है कि कभी भी कोई बात हुई है, तो वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट और एस0एस0पी0 की रिपोर्ट पर ही हुई है। अब की बार एस0एस0पी0 और डी0 एम0 की राय के खिलाफ काम हुआ है। जैसा मुझे मालूम हुआ है, आपकी जो रिपोर्ट मिलेगी, हाउस में दी जायगी, वह अलग बात है, अभी छः महीने पहले 1976 में, जो यह समझौता हुआ था दोनों फिरके के लोग कोशिश कर रहे थे कि हमको इजाजत दी जाय और उसके लिए समझौते के खिलाफ बुलाए गए, कोई समझौता नहीं हुआ और फिर इजाजत दे देना इसका क्या मतलब है ? जहाँ तक राम प्रकाश जी का ताल्लुक है, उनको सौंप दिया गया कि वह समझौता करायें। यह कहना गलत न होगा कि इन्होंने एक फिरके को दफन किया है और एक फिरके को उभाड़ा है।

(मेजें थपथपाई गयीं)

यह कोई अकेले की बात नहीं है। इसके बावजूद भी मैं कहूं कि जिस फिरके से यह समझौता हुआ . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में समाप्त करिए।

श्री बाबू बदरे—

तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मौके पर सरकारों ने और मन्त्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो लोग मिसाल देते हैं, सही में क्या उनके वहाँ इन्जीनियर थे या लाल बहादुर शास्त्री जी गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह इस विभाग के मिनिस्टर थे और मिनिस्टर होने के नाते उनके ऊपर यह इलजाम आयद हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह सारी चीज राम प्रकाश जी के ऊपर रख दी गयीं। मैं चाहूंगा कि उसी तरह से मुख्य मन्त्री जी और राम प्रकाश जी भी इस्तीफा दें।

मुझे नफरत न थी, अंग्रेज की कौम औ सूरत से,
मुझे नफरत जो थी, वह अन्दाजे हुकूमत से,
जो अपनों की हुकूमत आज रहबर हो नहीं सकती,
तो अपनों की भी सूरत से मुहब्बत हो नहीं सकती।

*श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, माननीय सदस्यों, जनता पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यों की बात मैंने और आपने दोनों ने, सारे सदन ने सुनी सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों और मन्त्रि मण्डल के सदस्य भाई आरिफ जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सही ईशू के लिए एक बहुत बड़ा कदम और बड़ी हिम्मत से और बड़े अच्छे इरादे के साथ उन्होंने जो उठाया है, आने वाले हालात में भी उसको अच्छा ही कहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बड़े अफसोस की बात तो यह है कि हमारे इधर के किसी सदस्य ने राम प्रकाश जी या मुख्य मन्त्री जी पर अभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया है जैसा इल्जाम जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने खुले आरोप लगाए हैं और कहा भी है। बात भी सच है। चार महीने से लगातार जो मसला चल रहा था उसमें इधर और उधर का सवाल नहीं था। जिस बात का फैसला हो गया। रमजान गुजर गई। जब जुलूस निकलना चाहिए था तब नहीं निकला। उस वक्त तो उनके डेरे वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मगर पता नहीं यह कैसे तय हो गया? उनको भी जुलूस न निकालने दे सकते थे।

मेरी जानकारी जहाँ तक सही है कि ईरान की गवर्नमेंट से कोई फतवा मंगाया गया। उस फतवे में ऐसा तय हो गया। हमारे मजहब के मुताबिक नहीं है। सिर्फ दस रोज मनाया जा सकता है। इसके बावजूद भी यहाँ बड़े ठीक से गाड़ी चल रही थी। लेकिन परसों निर्णय हुआ कि जुलूस निकालने की इजाजत है। कल इसका असर, सरकार की नाक के नीचे पूरा लखनऊ बन्द रहा। बहुत से जनता पार्टी के माननीय सदस्य मुख्य मन्त्री जी से इस सिलसिले में मिले भी और कहा भी कि जुलूस निकालने की इजाजत न दी जाय, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मन्त्रि-मण्डल के जो सदस्य हैं। आज से एक महीने पहले इस बात का फैसला किया कि लखनऊ में इस अन्दाज से नहीं होना चाहिए। मगर कौन सी मजबूरी आ गयी जो उन्होंने परसों यह आदेश दे दिया, इजाजत दे दी कि आज के दिन जुलूस निकलेगा। ठीक है जुलूस निकलवाने की आप में क्षमता थी तो इन्तजाम किया होता।

मुझे अफसोस इस बात का है कि कई माननीय सदस्यों ने इस बात को भी कहा है, जनता पार्टी के सदस्य हैं कि कलेक्टर और एस0एस0पी0 ने चीफ मिनिस्टर को अवगत करा दिया कि स्थिति ठीक नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं, फिर भी इजाजत दे दी। अगर सोचें तो कलेक्टर या एस0एस0पी0 इसमें कहाँ आएगा। वह तो सीधे मुख्य मन्त्री जी आयेंगे, मन्त्रि-मण्डल आएगा, उनकी जिम्मेदारी हो गयी। अधिकारियों ने सूचना दे दी, अधिकारियों ने कह दिया कि हालात ठीक नहीं हैं, जुलूस नहीं निकलना चाहिए तो कल ही फैसला ले लेना चाहिए था कि जुलूस नहीं निकलना चाहिए।

आज की बात नहीं, मान्यवर, जिस रोज से मुख्य मन्त्री जी कुर्सी पर विराजमान हैं उसी रोज से न जाने कितने गोली काण्ड हुए। यह चौथा गोली काण्ड है। मान्यवर, लगभग 40 लोग भून दिए गए और हजारों लोगों को गोली लगी है, हजारों लोग गिरफ्तार हुये हैं। माननीय सदस्य वहाँ गए हैं, मैं तो गया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है। तो कौन से हालात ऐसे हैं कि जो मुख्य मन्त्री जी अपनी कुर्सी पर बने रहें, कौन-सा तर्क है? ठीक है, राम प्रकाश जी, तो राम प्रकाश जी की आज की अदा थोड़े ही है। वह तो इसके सहारे पर राजनीति करते हैं। अगर उन्होंने जानबूझ कर, दबाव डाल कर गुमराह करके यह फसाद कराया है तो उनकी खुद की क्या दिक्कत है? दोनों तरफ के हजारों लोगों का नुकसान होता है। ठीक है, राम प्रकाश जी, मुख्य मन्त्री जी और जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो हैं वह बेहतर जानते हैं मगर मैं तो इतनी बात कहूंगा कि इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी इतनी बड़ी नाकाबिलियत आज तक किसी भी सरकार के जमाने में नहीं हुई। मैं मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की बड़ी बात कही और डाक्टर लोहिया

[श्री मन्जूर अहमद]

जी के अनुयायी हैं, मामूली एक नागरिक हैं, तो उन्होंने इंसानियत के नाते उनको सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वह इस लायक नहीं हैं कि इतनी बड़ी स्टेट की समस्याओं को वह सुलझा सकें और सरकार चला सकें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

खून मिट जाने की शय है मगर इसकी सुर्खी,
जब भी मिट्टी मिली सारे जहाँ तक पहुंची।

मान्यवर, यह सही है कि एक अच्छी और जिम्मेदार सरकार का फर्ज है कि वह अपने शहरियों की हिफाजत का इन्तजाम करे कि किसी शहरी का बिला वजह जमीन पर खून न बहे। लेकिन यह मामला जो हमारे सामने है, इसमें हम किसी दूसरे को मुल्जिम नहीं ठहराते हम अपने आप मुल्जिम हैं। हम अपने आप कातिल हैं। हमारे पास खुद रास्ते हैं यदि उन पर अमल किया होता, आपसमें बैठकर मामले को सुलझा लेते तो यह न होता अगर हमने पेशेवर सियासी लोगों के हाथों में न दिया होता और लखनऊ का कारपोरेशन इलेक्शन का मसला न बना होता तो शायद यह कत्ल न होते। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस मसले को पेशेवर सियासी लोगों से निकालकर हमारे मजहबी आलिमों के हाथों में देना चाहिए। वह आलिम जो राय दें और वह जिस पर इत्तिफाक कर लें उसको छोड़ कर बाकी को ईरान और मिश्र के आलिमों के हवाले कर दें। उस पर उनका जो फैसला हो उसे कानून बनाकर दोनों पर लागू कर दें। यदि ऐसा इन्तजाम नहीं किया जाता है तो यह मसले का हल नहीं होगा और इसी तरह कत्ल होते रहेंगे और खून बहता रहेगा। यह इन्तजाम इसलिए करना है कि हम इस जमीन पर एक-दूसरे के मजहब की इज्जत करें और भाइयों की तरह रह सकें। जनता पार्टी का फर्ज है कि कोई वसूल बनायें और उसको दोनों पार्टियों के सामने रखकर संजीदगी से राय ली जाय और उसको कानून बना दिया जाय जिससे यह झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है।

दूसरे यह कि सरकार को कानून बनाना पड़ेगा कि किसी भी मजहब के बुजुर्गों को सड़क पर गाली देने की इजाजत नहीं दी जायगी। इसलिए कि सड़कें जिन पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, वह इसलिए बनाई गयी हैं कि शहरी उन पर चलें। लेकिन यदि कोई ऐसे जुलूस निकालते हैं कि उनकी वजह से सड़कों पर मजहब के नाम पर कत्ल होते हैं तो सरकार का फर्ज है कि उसको रोके और जो सरकार इसमें नाकाम हो जाती है। वह एक अच्छी सरकार नहीं कही जा सकती है। चूंकि सरकार पब्लिक से टैक्स इस बात का लेती है कि उनकी इज्जत आबरू की रक्षा करेगी। लेकिन यह सरकार अपनी गफलत की वजह से या मामले को न समझने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई और जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह के निर्देश सेन्ट्रल से आए हैं और उन पर अमल किया गया है। जिसके कारण यह घटना घटी। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को जजबात से अलग होकर सन्जीदगी से हल करना चाहिए। इसको फिरकेवाराना मसला न बनाकर इन्सानी मसला समझ कर लखनऊ की शराफत, मोहब्बत और रवादारी के तौर पर देखना चाहिए और फैसला करना चाहिए। इस तरह से हम इस मसले को एक साथ बैठकर सुलझा लें जो कि हमेशा से बदमगजी का बायस बना हुआ है। यह मसला हमें आपस में बैठकर हल करना चाहिए और जो पीछे ताक में बैठे हुए हैं उनको फायदा नहीं उठाने देना चाहिए क्योंकि हम अपना मसला हम अपने आप खुद हल करने और सुलझाने की ताकत रखते हैं।

*श्री फजलुल बारी (जिला गोण्डा)—

सदरे मोहतरम, मैं कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा और किसी के जुर्म पर पर्दापोशी भी नहीं करना चाहता। बात साफ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी और राम प्रकाश जी को शहर के पूरे हालात से आगाही रही होगी, ऐसा समझा जाता है। अगर उनको आगाही नहीं थी, तो वह गौर करें कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की हुकूमत करनी है, तो यहाँ लखनऊ शहर में क्या हो रहा है उसकी इत्तला उनको नहीं हो तो उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ मसला यह है कि कल पूरा लखनऊ का सुन्नी इलाका बन्द था, एक-एक चाय पान तक की दुकान बन्द थी। यही नहीं हमारे हिन्दू भाइयों की वे दूकानें जिनमें सुन्नी काम करते हैं, बन्द थीं। बगैर सुन्नियों से मशविरा किए हुए एक-तरफा फैसला हुआ। कुछ सचिवालय के अधिकारी जो दोनों फिरके से ताल्लुक रखते हैं उनकी सलाह मश्विरे से लिया गया फैसला सुन्नियों पर थोपना गलत था। कल दोपहर बाद टीले वाली मस्जिद पर 10/12 हजार सुन्नी मुसलमान जमा हुए, सरकार तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हम उनके एक-तरफा जुल्माना फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उस आग को ठंडा करने के लिए जो लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि हम सरकार तक यह बात पहुंचा देंगे हालाँकि वहाँ इकट्ठा लोग उत्तेजित थे और आमादा थे कि हम जायंगे। लेकिन कुछ लीडर्स ने कहा कि आपकी बात सरकार तक हम पहुंचायेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि वह तमाम सुन्नी लीडर्स यहां दौड़ते रहे लेकिन किसी दरवाजे पर उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिली। अगर सरकार को इत्तला थी, तो जुलूस निकलवाया यह गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इत्तला नहीं थी तो मुख्य मन्त्री को पता लगाना चाहिए कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने उन तक इत्तला नहीं पहुंचाई। मामला बहुत गम्भीर है।

मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में साजिश चल रही है। यहाँ पर हुकूमत है तो सेक्रेटरीज की है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की है और मुख्तलिफ डिपार्टमेन्ट्स में उनके सेक्रेटरीज की है। यह हकीकत है चाहे कोई माने या न माने। इस हालत में अगर लखनऊ जल रहा है, गोलियाँ चल रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी जनता सरकार को कबूल करनी पड़ेगी। उन्होंने सेक्रेटरीज को बढ़ावा दिया है, वह हमारे खून से खेल रहे हैं। हमारे मुख्य मन्त्री जी यह फैसला फरमा दें कि किसकी गलती है और जिसकी गलती है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।

*श्री अशफाक (जिला गोण्डा)—

सदरे मोहतरम, गुलो-बुलबुल का चमन लखनऊ कल जब मैं करीब 9 बजे उस पुराने लखनऊ में घूमने की गरज से आया हुआ था तो देखा चारों तरफ एक श्मशान की शान्ति फैली हुई है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। लोगों की आंखों में डर, चेहरे पर दहशत फैली हुई है। आने वाली सुबह का इन्तजार, सुबह क्या होगा? लोगों के दिलों में डर समाया हुआ था। मैं पूछता हूं कि इस प्रशासन में सी0आई0डी0 के लोग भी होते हैं क्या उन्होंने अपने हुक्मरानों की कद्र नहीं की? क्या उन्होंने नहीं देखा कि सड़क-सड़क पर घूम घूम कर कल रात भर सुन्नी वाले अपनी आवाज बुलन्द कर रहे थे और ट्रकों में सवार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अशफाक]

होकर मन्त्री जी के घर तक गए। क्या उनको इस बात की जरा भी गरज नहीं थी ? इस चमन में आग किसने लगाई ? गुनहगार कौन हैं ? अगर सोचा जाय, देखा जाय तो जो बात कही जाती है कि जब से यह सरकार आई है शासन ढीला सा हो गया है। अफसरान मन्त्रियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके आर्डर को नहीं माना जाता। सरकार का इस प्रकार काम नहीं चलेगा कि उस अधिकारी को सस्पेण्ड किया जाय बल्कि जो जांच बैठे उस अधिकारी को उस समय तक कटघरे में डाला जाय जब तक जांच मुकम्मल न हो और उसके बाद मुनासिब सजा दी जाय। ऐसा क्यों हुआ यह सोचने के लिए जख्म पर मरहम लगाने की जरूरत नहीं हैं। माफ कीजिए जितने भी लोग हैं उनसे मैं उम्र में छोटा हूं कोई गलती हो जाय तो भाई समझ कर माफ कर दीजिएगा।

कांग्रेस ने जिन्दाबाद के नारे लगाए। मैं पूछता हूं उन लोगों से जिन्होंने तीस साल तक हुकूमत किया, क्या उस दौरान शिया और सुन्नी में दंगा नहीं हुआ ? मैं न शिया हूं और न सुन्नी, शिया और सुन्नी की मुखालफत करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मेरा तो मतलब खून से है। शिया के लोगों ने जो खून बहाया उसका रंग भी लाल और सुन्नी की तरफ से जो खून बहा उसका भी रंग लाल। किस मजहब में नहीं लगा हुआ है जब मैं इस शहर में आया, दारुलशफा में आया, तो वहां पर कुछ लोग हड़ताल किए हुए बैठे थे। फिर मैं इस दरमियान अस्पताल में गया उस केस को देखने के लिए जिस में एक लड़के को छूरा मारा गया था। हास्पिटल में घूम-घूम कर देख रहा था, उस मौलवी को ढूंढ़ रहा था लेकिन नहीं दिखाई दिया।

उलमा इस मसले को तय नहीं कर सकते। ये तो और झगड़ा बढ़ाते हैं। इनका काम यही है और बैठ कर तमाशा देखते हैं और इसको तूल देते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सर-जमींने हिन्दुस्तान में लखनऊ की शाने-अवध से कि इस पर दाग मत लगाइए। मैं अपने भाई आरिफ साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वह ठंडे दिल से सोच कर इस्तीफा वापस ले लें। वह अगर अन्दर होंगे तो विरोध जोरदार तरीके से कर सकेंगे और बाहर रह कर आपकी बात नहीं सुनी जायगी। मैं कहता हूं कि सोच लीजिए, आप मेरे बुजुर्गवार हैं, एक लाख या डेढ़ लाख के नुमाइन्दा हैं। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि फौरन सदन की कार्य-वाही स्थगित करके मुसलमान एम0एल0एज0 जो हैं उनके वफ्द के साथ मिनिस्टरों को भेजा जाय और वे उन इलाकों में जायं जहां ये वारदातें हुई हैं, वहां फौरन एम्बुलेंस भेजी जायं। अफसरों को यह आर्डर दिए जायं कि घरों में न बैठ कर वहां जाकर प्रशासन सम्भालें और उनका तहफ्फुज वहां जा कर करें।

"न समझोगे तो मिट जाओगे हिन्दुस्तां वालों
तुम्हारी दास्ताँ तक न होगी दास्तानों में।"

मेरी आपसे यही आखिर में गुजारिश है कि शिया-सुन्नी की बात खत्म करके, लड़ाई-झगड़े को खत्म करके अमन के साथ रहिए वर्ना कोई न आपकी सुनेगा, न कोई देखेगा।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अगर राधेश्याम जी ने कुछ शब्द कहे थे जिन पर सदन स्थगित किया गया। या तो उनको दोषी करार दिया जाय या फिर उनको भाषण करने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं यह कहा था कि माननीय राधेश्याम जी के शब्दों से अगर कुछ माननीय सदस्यों को चोट पहुंची हो तो उन्हें सुनना चाहिए। यह कोई राधेश्याम जी के बारे में आक्षेप नहीं है, लेकिन यह आपको समझना चाहिए जब यहां बहुत से सदस्य उनको सुनना न चाहते हों और उत्तेजित हो उठे हों तो जबरिया भाषण करना कहां तक उचित था, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। वैसे यह माननीय राधेश्याम जी का अधिकार था और माननीय सदस्यों को उनकी बात सुननी चाहिए थी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि इस सदन में इस विषय में किस प्रकार की भावना चल रही है ?

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मान्यवर, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन आप व्यवस्था नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठें। माननीय सदस्य शान्त रहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, आज लखनऊ में ऐसी स्थिति आ गई है जो दुखद है। यह किसी दल की स्थिति नहीं है और न किसी दल के लिए यह खुशी की बात है बल्कि तमाम दलों के लिए नाराजगी और दुख की बात है। वह राजनीतिक बात नहीं है, वह बुरी बात है, दुख की बात है। वह न कोई जाति की बात है और न कोई विशेष सम्प्रदाय की बात है। यह मुसलमान–मुसलमान के झगड़े की बात भी नहीं है। यह शासन से जो अराजकता की बात निकल रही है यह वह बात है. . . (व्यवधान) उसमें से यह बात निकल रही है और यहां अराजकता फैल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह मुझे मालूम हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है इसको आप नोटिस लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप लोग बैठिए। शान्त रहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं बोल रहा हूं तो मुझे सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम नहीं बोलेंगे तो निश्चित तौर पर मुख्य मन्त्री जी भी नहीं बोल सकेंगे, यह समझ लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप लोग शान्त रहिए ।

श्री श्यामधर मिश्र —

यह लोग नहीं बोलने देंगे मान्यवर. . .

श्री अध्यक्ष —

आप लोग शान्त रहें, अपनी जगह बैठें, शान्त रहिए ।

(व्यवधान)

मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उभय पक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप लोग शान्त रहिए। मैं इस पक्ष से भी कहना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था करने का कार्य मेरे सुपुर्द किया है। यदि आपके बोलने पर किसी पक्ष द्वारा व्यवधान डाला जायगा तो आप मुझ पर यकीन रखिए मैं उसको नियन्त्रित करूंगा। यदि आप स्वयं व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने पर ले लेंगे तो यह सदन कार्य नहीं कर सकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, इस तरह से हम नहीं बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहिए, आप बैठिए ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

शान्तिपूर्वक चलाने की जिम्मेदारी शासक दल की है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपका उत्तरदायित्व अधिक है। आप शान्त रहें। जब मैंने श्यामधर जी को बुलाया है तो धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुनें और उसके बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी को उत्तर देना है। मैं आपसे निवेदन पुनः करना चाहता हूं कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखें, तर्क का उत्तर तर्क से दें। यह कोई मल्लयुद्ध का स्थान नहीं है। माननीय श्यामधर जी, आप बोलें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा था कि जो भावना आज आप देख रहे हैं वह कोई सम्प्रदाय और जाति की नहीं है, यह पूरे सदन और देश की भावना है। इसको कुछ लोग चाहे सदन में या बाहर गलत ढंग से कहें तो मैं इसको नहीं मानूंगा, मेरी विवेचना तो इस सम्बन्ध में यह है कि आज के मुख्य मन्त्री जी और अन्य मन्त्रियों को शासन की मुख्य बातों को देखने का समय ही नहीं है, इसलिए यह हो रहा है, गौण बातों पर यह लोग ध्यान दे रहे हैं। दो-दो और तीन-तीन सौ लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, इनके कमरों के बाहर तो लिखा हुआ है कि 'तबादले के लिए मत आइए, लेकिन काम अन्दर तबादलों का हो रहा है। इनके पास समय नहीं है, मेरी इनसे सहानुभूति है। बाहर क्या आग लगी है और क्या तूफान आ रहा है इस बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को और श्री राम प्रकाश जी को समय नहीं है। मन्त्रियों को घर में न सोने को मिलता है और न खाने को समय, जब सुबह होती है मिलने वालों की भीड़ बैठी हुई है और काम इनके लिए गौण है। यह जो व्यक्ति हैं इनको सोचने का समय नहीं। जब सोचने का समय नहीं तो कार्य करने का और निर्णय लेने का कब समय है। इस लखनऊ के बारे में एस0पी0, डी0 एम0 वगैरह ने या गृह सचिव ने क्या सरकार को सिफारिश की, पता नहीं। उधर के लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मुझे मालूम तो यह हुआ है कि कलेक्टर और एस0 पी0 ने यह कहा कि इसकी छूट नहीं होनी चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकलना चाहिए। मेरी इत्तला यह है, तो क्या कारण है कि आपने जाकर नहीं देखा, विवेचना नहीं की और सन् 1974 के एग्रीमेंट को तोड़ा? श्रीमन्, यह गम्भीर समस्या मुसलमानों की है, मैं इनके अन्दर की बात नहीं जानता। इसको मैं हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं मानता हूं। यह हमारा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न है तो हमारा भी प्रश्न है। हमारा प्रश्न इनका प्रश्न है और इनका प्रश्न हमारा प्रश्न है। यह आज जो इनके लिए है वह हमारे लिए है और जो हमारी समस्या है यह इनके लिए है। यह प्रश्न हमारे लिए भी प्रश्न बन सकता है।

इसलिए जो अराजकता की स्थिति आई है, उस पर मैं सोचता था कि ऐसी बातों में कम से कम मुख्य मन्त्री विरोधी दल से भी राय लेंगे और कम से कम मुसलमान मन्त्रियों और सदस्यों से राय लेंगे। इधर के नहीं तो उधर के सदस्यों से लेंगे। और सदस्यों से नहीं तो मन्त्रियों से अवश्य लेंगे। लेकिन मालूम हुआ कि इस पर भी मुख्य मन्त्री ने कोई राय नहीं ली न विरोधी दल से कोई राय ली। हमने बराबर कहा है कि रचनात्मक सहयोग हमसे लीजिए। केवल हेकड़ीबाजी से काम चलने वाला नहीं है, वह दिन लद गये कि मान सिंह की तरह से लोग खड़े हो गए। इस तरह से सदन चलाना चाहें तो वह नहीं चलेगा।

[श्री श्यामधर मिश्र]

एक बात कही गयी कि इसकी जिम्मेदारी होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पर है, मैं नहीं जानता हूं कि कितनी है। किन्तु इसकी सारी जिम्मेदारी मन्त्रियों की होनी चाहिए। सेक्रेटरी कौन चीज है। कल कहा जाय कि दरोगा की जिम्मेदारी है या सिपाही की जिम्मेदारी है, तो क्या इस तरह से काम चलेगा ? यह मन्त्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनका विशाल कन्धा होना चाहिए कि यह अपनी जिम्मेदारी को वहन कर सकें और कहना चाहिए कि यह हमारी गलती है या अमुक हमारी गलती नहीं है। सदन में राम प्रकाश जी का कई बार नाम लिया गया, तो मुझे बताया जाय कि उनकी क्या जिम्मेदारी है ? उनसे क्या बात हुई मुख्य मन्त्री की और अन्य मुसलमान नेताओं से उनकी क्या बातें हुयीं ? क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि जनता पार्टी के लोगों ने कई बार उनका नाम लिया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल जानकारी करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद, श्रीमन्।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य—

लखनऊ जल रहा है श्रीमन्, उसको बुझाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर समय बढ़ाने से क्या होगा ?

लखनऊ में शिया सुन्नी झगड़े से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)

*उद्योग उप मन्त्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस दुखद समय में मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। मान्यवर, मैंने सदस्यों की बातें सुनीं, हमारे सामने हमारे बैठे हुए भाइयों ने यह भी कह दिया कि किसी ने कोई जानकारी हासिल किए बगैर और खास तौर से मन्त्रियों ने कोई जानकारी हासिल नहीं की और इस तरह की इजाजत दे दी। यह बात मैं बड़ी सफाई से कहता हूं, एक गलती मुझ से जरूर हुई, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं अपने सामने बैठे हुए सदस्यों से कहूंगा, क्या यह घटना पिछली सरकार के समय में हुई है या नहीं, जब ये लोग इधर बैठते थे ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों ने (व्यवधान)

आप भी गए हों या देखे हों, मैं 6 तारीख से लगातार दस–दस बजे रात तक करफ्यू के इलाके में खासकर हम लोग मोटर से घूम कर आ गए। अखबारों में छपाने की बात नहीं की। लोगों से हालात मालूम किए, घंटे–घंटे बात की। मिश्रा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुद मन्जूर कर लिया है कि उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्हें जानकारी की बात नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, सिर्फ हवा देना जानते हैं। यह बात जरूर है कि जो घटना घटी है (व्यवधान एवं शोर) यह जो घटना घटी है इस घटना के पीछे राजनीतिक हाथ है और उसमें हम से गलती हुई है। बगैर राजनीतिक चाल के यह चीज नहीं होती। लेकिन हमारे दोस्तों को यह मौका मिल गया और उन्होंने यह हवा दी। आज भी करफ्यू के वक्त मैं गया था। 26 तारीख को मैंने अपने गृह सचिव से कहा था, जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरह की परमीशन देने की बात चल रही है, वह नाजायज फायदा उठा कर जो हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी को और माननीय रामप्रकाश जी को किसी तरह से कनविंस करने की ताक में हैं कि इजाजत ले लें। गृह सचिव से मैंने 26 तारीख को कहा कि भाई, यह क्या कर रहे हों, अगर इजाजत देनी थी तो उस वक्त करवा दिया होता। क्यों रोका था? और आज कौन सा मसला तय हो गया है? (व्यवधान) (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

जरा ठंडे दिल से यहाँ सुनो। आपके कुकर्मों का यह नतीजा है। यह सारी आपकी करनी है। सन् 1974 में पाटा नाला का खून आज भी धोया नहीं है जब ये लोग इधर बैठते थे। तब कहाँ थी इनकी सरकार? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्ति से सुनिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

अब जरा दिल ठडा करके सुन तो लो। मैंने होम सेक्रेटरी से कहा कि इतनी जल्दी मत करो। दोनों आदमियों से बात कर लेने दें और शुक्रवार के बाद इजाजत देंगे। मान्यवर, यह हवा इनकी तरफ से चल रही थी इतनी तेजी से, यह जरूर है। मैं आपके जरिए माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहूंगा कि कल की हड़ताल की खबर हमारी सरकार को लगी थी या नहीं, कल टीले की मस्जिद पर 10 हजार का मजमा जमा हुआ था, उसकी रिपोर्ट सी0आई0डी0 ने दी या नहीं? हमारे अधिकारियों को खबर हुई या नहीं या डी0 एम0 और एस0पी0 ने जैसा कि मिश्र जी को ख्वाब में देख पड़ा, यह मना किया था और अगर वाकई मना किया था तो इन उच्चाधिकारियों ने या होम सेक्रेटरी और हमारे चीफ सेक्रेटरी ने क्यों यह अवहेलना की और किस नाते से यह कराया, इसके लिए हमें बैठ कर सोचना होगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह आदमी बख्शा नहीं जायेगा। मेरे दोस्त, इस तरह से कीचड़ उछालने से काम नहीं चलेगा। यह सुन्नी और शिया का मसला नहीं है यह मानवता की बात है। आप बताएं कि आप कितनी बार मौके पर गए हैं जो यहाँ पर उनके प्रति आँसू बहा रहे हैं? मैं तो घूम आया हूं। यह जरूर है जैसा कि मैंने बतलाया कि गलती जरूर हुई है और उसकी जाँच होगी।

पशुधन उप मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर लोग बहुत भावुक हो गए हैं। मैं ऐसे समय में अपनी जबान बन्द रखता हूं क्योंकि जब हम लोग भावुक हो जाते हैं तो सच्चाई को छोड़ देते हैं। जितने सदन के अन्दर मुसलमान भाई बैठते हैं, सब एक पक्ष के हैं, सब

[श्री मुख्तार अनीस]

सुन्नी हैं। जो शहर में दंगा हुआ है उस पर उनका क्या रुख होना चाहिए ? हम लोग लोकतन्त्र की बात करते हैं और धर्म निरपेक्षिता की बात करते हैं ? इसलिए जब अपने ही दो हिस्सों में दंगा हो जाय और एक पक्ष अल्प संख्यक हो तो अल्प संख्यक के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं। आज उसके अनुयाइयों ने अशान्ति बनाई है। उसके पीछे कारण है। लखनऊ शहर में इन जुलूसों को लेकर कई बार समझौता हुआ। 1969, 1974 में और 1977 में दंगे हुए। 1977 में दंगा काँग्रेस पार्टी ने करवाया था यह मेरा आरोप है। चुनाव के पहले जो दंगा कराने की कोशिश की गयी उसमें काँग्रेस वालों का हाथ था। उस समय काँग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उस समय जो समझौता हुआ था. . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्ति रखिए।

श्री मुख्तार अनीस—

मुसलमानों को उकसाने के लिए काँग्रेस सरकार ने इजाजत दी। माननीय नेता विरोधी दल उस समय मुख्य मन्त्री थे। यह उसी का लाजमी परिणाम था जो हो गया। मैं आपको. . . .

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं एक बात बता दूं कि. . . .

श्री अध्यक्ष—

चेतराम जी, खामोश रहिए।

श्री मुख्तार अनीस—

काँग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी रिलीफ का काम नहीं किया है बल्कि भावनाओं को भड़काने का काम किया है। जुलूस पर पत्थर फेंकने का काम हुआ। जुलूस को रोकने के लिए जगह-जगह पर डामर के खाली पीपे लगाने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, श्री रियासत हुसैन मौजूद हैं, श्री कासिम हुसैन मौजूद हैं और दूसरे लोग मौजूद हैं जिनके नाम में हुसैन लगा हुआ है तो फिर जब हुसैन के नाम पर जुलूस निकलता है तो उस पर रोक क्यों ? मान्यवर, लखनऊ शहर के अन्दर न तबर्रे का जुलूस निकलता है और न मदयेसाहबा का जुलूस निकलता है। यहां पर तो लखनऊ के बाहर के तमाम मुसलमान सदस्य हैं। यहां कोई ऐसा जुलूस नहीं निकलता।

(व्यवधान)

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

श्री चेतराम जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी रनिंग कमेंटरी बन्द करें। बार-बार रनिंग कमेंटरी न करें।

श्री मुख्तार अनीस—

लखनऊ शहर के अन्दर कोई तबर्रे का जुलूस नहीं निकलता है। मोहर्रम का जुलूस निकलता है। शरारती तत्व शियाओं में भी मौजूद हैं, उनको पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सख्ती के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी तरह से सुन्नियों में भी जो लोग जुलूस रोकने की कोशिश करते हैं, उन पर सख्ती होनी चाहिए।

माननीय नेता विरोधी दल ने जैसा कि कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि एक गोल मेज सम्मेलन होना चाहिए। आपस में बात-चीत होनी चाहिए। सुन्नी, शिया, हिन्दू और विभिन्न दलों के सामाजिक कार्यकर्ता इकट्ठे हों और सोच कर, समझकर विचार करें। इस शहर के अन्दर तीन सौ, चार सौ साल से शिया, सुन्नी हिन्दू और मुसलमान एक साथ रह रहे हैं। अवध की यह रियासत एक शानदार मिसाल है इस देश के अन्दर हिन्दुओं के साथ यहां के राजाओं ने अच्छे बरताव की होली खेली, उनके मंदिर बनवाए। यहां के राजे और नवाबों ने जो हिन्दू–मुस्लिम एकता, धर्म निरपेक्षता की जो मिसाल रखी वह कहीं नहीं मिलती। उसी शहर के अन्दर हम लोगों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर, शिया और सुन्नी की भावना से ऊपर उठ कर एक सच्चे हिन्दुस्तानी की तरह इन सारी बातों पर विचार करना चाहिए। मैं रियासत साहब से कहूंगा कि वह जजबात में न आयें, वहां की हालत देखें।

(व्यवधान)

जब हिन्दू-मस्लिम दंगा होता है तो कहा जाता है कि बहुमत के लोग अल्पमत के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्पमत को बचाने के लिए पुलिस का इन्तजाम किया गया। आज लखनऊ में अल्पमत को बहुमत ने दबाने की कोशिश की इसलिए अल्पमत की हिफाजत के लिए पुलिस का इन्तजाम किया गया। कोई भी सरकार समाज के दबे और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ रहती है और इसलिए अगर यह काम हुआ तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग शान्ति के साथ इन सारी बातों पर विचार करें। अब माननीय मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य देंगे, अतः मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री सखावत हुसैन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

सखावत जी आप बैठें। आप के ही नेता बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जायें।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ कर माननीय सदस्यों विशेष रूप से नेता विरोधी दल, रियासत हुसैन साहब और माननीय ऊदल जी का भाषण सुनता रहा। जिस प्रकार से उद्गार इस माननीय सदन में रखे गये, मैं समझता हूं कि आज आपात् स्थिति के बाद यह पहला अवसर था जब कि इस प्रकार के उद्गार माननीय सदस्यों ने सदन में रखे हैं। वह भी ऐसे मसले पर। इस मसले को इतना बड़ा रूप इस सदन में सदन के माननीय सदस्यों को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जब हम सदन में ऐसे मसले पर चर्चा करते हैं तो इस बात को भी सोचना चाहिए कि हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

यहां जो चर्चा हो रही है वह दूसरे स्थानों पर भी जायगी और उसका दूसरा प्रभाव दूसरे लोगों के मन पर पड़ सकता है। जिस शान्ति और व्यवस्था को चलाने के लिए हम और आप यहां पर बैठ कर बात किया करते हैं, उसमें कुछ अव्यवस्था की सम्भावनाएं भी हो सकती हैं। जिस तरह से आज सभी सदस्यों के मन को ठेस लगी है, उसके बाद उन्होंने अपने दुःख को जो मन पर लगा है, स्पष्ट किया है। मुझे भी आपकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए कुछ ठेस जरूर लगी है। जिस तरह से घटना की यहां पर चर्चा हुई। मैं सदन को निश्चित रूप से बता देना चाहता हूं अपनी जानकारी के आधार पर और उसके आधार पर जब से चर्चा आरम्भ हुई, मन में भी यह बात आ रही थी कि जिस तरह की चर्चा हो रही है, विशेष रूप से विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से इस चर्चा को छेड़ने का प्रयास किया उसका सही रूप से मन्त्रियों द्वारा पता भी लगाया जाय। हमारे मन्त्रि-मंडल के सदस्य भी गए और मैं बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जितना बढ़ा-चढ़ा कर, अतिरंजित करके, सारे मसलों को यहां पर रखा गया है, उस प्रकार की कोई घटना लखनऊ शहर में नहीं हुई है।

यह जरूर है कि एक चर्चा जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, जो प्रश्न था, वह बहुत दिनों से विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा छेड़ा हुआ था और जिस आधार पर वे राज-नीति करते रहे हैं, वह हल नहीं हो पायी थी। सन 1969 में जिस तरह की घटना घटित हुई, फिर 1974 में और फिर फरवरी, 1977 में जिस प्रकार से पाबन्दियां लगायी गयीं उसकी पुनरावृत्ति जनता सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है उससे कभी आशा नहीं की जा सकती थी। जनता पार्टी की सरकार कभी भी तानाशाही के रास्ते पर नहीं जा सकती थी और न हमारी सरकार अपने नौजवानों को अपने नागरिकों को खुली सड़कों पर बन्दूक का निशाना बनाना पसन्द करती है। जब हम इस बात को सोचते हैं तो जिस 1974 के फैसले की हम बात करते हैं, जिन लोगों ने उस पर दस्तखत किये थे, हस्ताक्षर किये थे, उन लोगों से विचार-विमर्श किया गया। रमजान आई, ईद आई और इन सारे त्योहारों के अवसर पर सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि किस प्रकार से पूर्व जैसी स्थिति लखनऊ जैसे नगर में न आने देनी चाहिए और मैं यह भी स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उस समय भी सरकार सजग थी और सजग होकर किसी ऐसी वारदात को नहीं होने देगी। पहले भी लोगों की चुनाव के अवसर पर उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हुई थीं। जुलूस उनका अलम निकालने का सवाल था। इस बात की कोशिश जरूर हुई कि जो लोगों के घर में रखे हुए ताबूत हैं, वे निकाले जायं लेकिन यह भी सोचा गया कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इस समय जिस तरह की चर्चा हुई कि नगर में हजारों राउन्ड गोलियां चलाई गयीं, सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया गया और नगर का जन-जीवन खतरे में है, इस तरह की स्थिति लखनऊ नगर की नहीं है। स्थिति नियन्त्रण में है। बराबर पैट्रोलिंग हो रही है। अभी तक कुल 5 व्यक्ति मरे हैं। उनके प्रति हमारी सहानुभूति है. . .

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

7 लाशें तो मौजूद हैं ।

श्री राम नरेश यादव--

लेकिन ऐसा मत समझें कि वह हमारी पुलिस की जो फायरिंग हुई या गोली चली थी उससे मरे और इस तरह की बात निकालना कि फायरिंग में ये लोग मरे हैं, यह गलत है, केवल एक मरा है जरूर। जिसके लिए हमें खेद है। आज यह कहा गया कि अस्पताल में सैकड़ों लोग भरे पड़े हैं, जखमी हैं, पूरा नगर तबाह हो गया है, इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। हमारे मन्त्रियों ने जाकर देखा है अस्पताल के अन्दर और मैं अब भी कहता हूं कि अगर माननीय विरोधी दल के नेता बैठे हुए हैं और भी सम्मानित सदस्य बैठ हुए हैं, अस्पताल के अन्दर और नगर के अन्दर सचमुच कितने लोग अस्पतालों में रखे गए हैं जोकि घायल हैं और जिनकी दवा हो रही है। वह सैकड़ों जखमी नहीं हुए हैं और न ऐसी हालत पैदा हुई है। यह सही है कि जिस वक्त वह ताबूत निकालने का कार्यक्रम चला, कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा कोशिश इस बात की की गयी कि न निकाले जायं। ऐसी स्थिति पैदा की गयी, लेकिन फिर भी उस स्थिति पर नियन्त्रण शासन और प्रशासन ने पा लिया। 8 सेक्टर में पूरा नगर बांट दिया गया है। मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गयी है, पैट्रोलिंग हो रही है। केवल इतनी ही घटना है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने इस घटना को अतिरंजित करने की कोशिश की है और जनता पार्टी को बदनाम करने की यह कोशिश की गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से विवाद नहीं हो सकता है। आप लोग भी सुनिए।

श्री राम नरेश यादव--

तो सरकार सजग है और पूरी तत्परता से इस सम्बन्ध में कार्य हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी सुनता रहा, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, तो मैं विपक्ष में बैठे हुए माननीय नेता विरोधी दल, तिवारी जी को रियासत हुसैन साहब को और हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं उनसे भी चाहता हूं कि वह हमारे साथ या अपने अलग से जाकर अस्पताल में देख आवें तब निश्चित नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से कोई घटना नहीं हुई है और न हजारों, सैकड़ो के जखमी होने की बात हुई है और मैं स्पष्ट सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि आज यह जरूर है कि स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए कुछ स्थानों पर कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं और सभी स्थानों पर पास मिलने में, जाने के लिए, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है जिससे कहा जा सके कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी तरह से प्रशासन ने रोक लगा दी है ताकि जो वस्तुस्थिति नगर की है वह मालूम न हो सके। इसलिए उससे बचने की सारी कार्यवाही की गयी है। यह अवश्य है कि जिस तरह की सारी कार्यवाही की गयी यह सब राजनैतिक चाल है और बातों को इतनो बढ़ा-चढ़ा कर सदन में रखने की कोशिश की गयी है, लेकिन हमारे सब लोग विरोधी दल की चालों को सफल नहीं होने देंगे क्योंकि जम्हूरियत में उनका अकीदा है, विश्वास है और जम्हूरियत में रहने के नाते वह भी इस विचारधारा पर

[श्री राम नरेश यादव]

दृढ़ रहे हैं कि हर एक को अपनी पूजा करने का, जुलूस निकालने का अधिकार और विचार होना चाहिए, लेकिन शान्ति व्यवस्था में किसी तरह की गड़बडी न हो, इसलिए विरोधी दल की साजिश किसी भी तरह से कामयाब होने वाली नहीं है।

यह अवश्य है कि कुछ ऐसे मसले उठाए गए जिनकी तरफ मैं कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं सदन को अपनी ओर से और सरकार की तरफ से बताना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें आई हैं, हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखा है, मैं सारी समस्याओं के ऊपर जाँच करने के लिए एक जुडीशियल इंक्वायरी (न्यायिक जाँच) की घोषणा करता हूं। और इसकी जाँच हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज या कोई जज करेगा जिसके सम्मुख जो रेफरेंस होंगे वह भेज दिए जायेंगे कि कौन-कौन सी चीजें उसकी परिधि में आयेंगी।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए कि यह अवश्य है कि शासन में आने के बाद जब कभी ऐसा संकट आया है, कहीं मृत्यु हुई है किसी घटना से आर्थिक सहायता और सहयोग से उसकी कीमत तो नहीं दे सकते लेकिन फिर भी उनके परिवार को सहायता के तौर पर जो लोग मरे हैं 5-5 हजार रुपए की धनराशि दी जायगी। इसी के साथ-साथ जो लोग जख्मी हुए हैं, जो दस्तकारों में पड़े हैं. . .

(व्यवधान)

उनको भी ढाई-ढाई हजार रुपए की सहायता दी जायगी। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों के मकान, दुकान या लकड़ी वगैरह जला दी गयी हैं। तो उनकी भी क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। यह आश्वासन मैं सदन को सरकार की तरफ से देना चाहता हूं। इसके साथ ही जो भी अधिकारी दोषी पाया जायगा, जिनकी चर्चा आई है, कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जायगी।

श्री चेतराम गंगवार—

अधिकारी क्यों फंसेगा, इजाजत तो आपने दी है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको इस तरह से सीधे प्रश्न नहीं करना चाहिए।

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन् इसकी सफाई कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात सुनें।

श्री राम नरेश यादव—

शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में जो चर्चा सदन में हुई और जिसका समर्थन लारी साहब, हबीब अहमद और दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है. . .

श्री चेतराम गंगवार—

रुपया सरकार का देंगे या जनता का ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। चेतराम जी, आप बार-बार व्यवधान डालते हैं।

श्री राम नरेश यादव—

वह शान्ति और व्यवस्था केवल लखनऊ नगर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कायम रहे और इसकी आँच प्रदेश की दूसरी जगहों को न लगे, इसके लिए हमारे विरोधी दल के लोग बैठ हुए हैं और अपनी तरफ के कुछ लोगों की एक शान्ति कमेटी बनेगी जो पूरे प्रदेश और नगर में इस बात का ऐलान करेगी कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और शान्ति और व्यवस्था पूरे प्रदेश में कायम रखनी चाहिए। तभी हम और आप चैन से रह सकते हैं। तो शान्ति कमेटी की घोषणा भी आपके परामर्श से कर दी जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

घायलों की संख्या क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

हमारे पास जो सूचना मिली है उसके अनुसार 11 आदमी अस्पताल में हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। जो यह कहा गया कि हजारों लोग गिरफ्तार हुए हैं,तो अभी तक कुल 150 के करीब आदमी गिरफ्तार हुए हैं इसलिए जो हजारों की संख्या घायलों की और गिरफ्तार लोगों की बताई गयी, यह अतिरंजित है।

श्री ऊदल—

घायलों में 39 हमने बताया था।

श्री राम नरेश यादव—

मन्जूर साहब ने भी बहुत भावावेश में आकर बहुत कुछ बातें कहीं। हमारे श्यामधर मिश्र ने कहा कि यह सरकार अपनी हठवादिता को छोड़ दे। मैं कहना चाहता हूं कि इस में हठवादिता की कोई बात नहीं है। यह सरकार जनता की भावनाओं का स्वागत करते हुए उसी रास्ते पर चलेगी, जिस रास्ते पर चलने के लिए वादा किया है, क्योंकि यह सरकार जानती है कि हठवादिता पर चलने वाले लोगों का क्या हश्र हुआ, क्या नतीजा हुआ और आपका और हमारा, सबका परम कर्तव्य है कि प्रदेश में कहीं भी अशान्ति न पैदा हो, क्योंकि यह प्रदेश सबका है, सब लोगों का है। यह सदन आपका और सब लोगों का है। सबका यह परम कर्तव्य है कि उस रास्ते पर चलें ताकि इसकी आँच. लपक बाहर न भड़कने पावे। इसमें कोई राजनैतिक बात नहीं होनी चाहिए। उससे परे रह कर हमें जन-भावनाओं को देखते हुए निःस्वार्थ भाव से, राजनैतिक सत्ता से परे होकर, विरोध पक्ष की भावनाओं को उस पर न रख कर एक स्वतन्त्र रूप से निष्पक्ष भाव से कोई बात कहना चाहिए तभी हमारे सदन का गौरव रहेगा और तभी आपका सदन अच्छी तरह से चल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ने जो मुझे समय दिया में उनका भी आभारी हूं कि इस सदन में जिस तरह से कि सारी बातें आयी हैं, इस मामले को बहुत ही शान्तिपूर्वक ढंग से निपटाने का प्रयास किया।

(व्यवधान)

(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, बोलने का मौका इनको (सत्तारूढ़ पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए) तो दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

(व्यवधान)

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैंने शुरू में कहा कि यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। पार्टियों का प्रश्न नहीं है। मैंने प्रारम्भ में श्रीमन्, यह दृष्टिकोण सदन के सामने रखा, लेकिन मुझे दुःख है कि आज हमारे मुख्य मन्त्री जी इसे राजनैतिक विवाद कह कर कवच बनाना चाह रहे हैं। यह विरोधी पक्ष का प्रश्न नहीं है। यह प्रदेश में 10 करोड़ जनता में शान्ति व्यवस्था रखने का प्रश्न है। आपके सारे आँकड़े गलत हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के साथ जाने के लिए तैयार हूं। मैं अस्पताल भी जाने के लिए तैयार हूं।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं चाहता हूं कि लखनऊ में शान्ति बनी रहे, मैं रचनात्मक सहयोग भी देने के लिए तैयार हूं। हम इसको पार्टी का प्रश्न नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें सरकार की गलत नीति और वर्तमान मुख्य मन्त्री हों, गृह मन्त्री हों या और कोई मन्त्री हों जिनकी जिम्मेदारी थी लखनऊ के बारे में उनका दायित्व है, उन्होंने गलत आदेश दिया। आज हमने देखा कि मन्त्रियों ने, गवर्नमेंट के मेम्बरों ने शासन की आलोचना की।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह जनतन्त्र है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप शान्त रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

न तो शासन की तरफ से घोषणा की गयी, जिम्मेदारी नहीं फिक्स की गयी, इसके विरोध में श्रीमन्, हम सदन का त्याग करते हैं और शासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भविष्य में इस प्रकार के बर्ताव की नीति रही तो जो हमसे रचनात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं उसे देने में अत्यन्त कठिनाई होगी। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ हम सदन का त्याग करते हैं। (शोर)

(श्री नारायण दत्त तिवारी विरोधी पक्ष सहित, मार्क्सवादी दल के अतिरिक्त, सदन त्याग कर चले गए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मैं विरोधी दल के नेता को दावत देता हूं कि वह मेरे साथ चलें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहें। सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है। मैं केवल आज औपचारिक कार्य लूंगा। अनुदान फिर दूसरे दिन लिया जायगा।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

माननीय नेता सदन ने एक बहुत ही प्रदेश के हित में, जनहित में, कम्युनलिज्म न बढ़े इसके लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने उसको न मानकर भागने की कोशिश की और वह चले गए हाउस छोड़ कर।

(शोर)

एक सदस्य--

यह पुरानी आदत है।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने तथा एक सदस्य के खड़ होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए।

बी० टी० सी० अध्यापकों की नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिकों के स्थान के आरक्षण के आदेश की अवहेलना के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के जी0ओ0 नं0 6/1-72 कार्मिक-2 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके नियम 3 तथा 4 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए सभी प्रकार की श्रेणी 3 तथा श्रेणी चार की सेवाओं में जिन्हें अब ग्रुप सी और ग्रुप-डी के नाम से जाना जाता है, क्रमशः 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का प्राविधान किया गया है।

श्रीमन्, इस समय प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है। लेकिन मुझे पता चला ह मान्यवर, कि बहुत से जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी उक्त जी0 ओ0 की अवहेलना कर रहे हैं।

(माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष--

बड़ा शोर हो रहा है आप लोग शान्ति बनाए रखिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

और ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को शासन द्वारा प्रदत्त सुविधा से वंचित कर रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय ऐसे भूतपूर्व सैनिकों का चयन उक्त जी0ओ0 के आधार पर किया गया था। लेकिन अब सेवा हेतु नियुक्ति के समय उक्त जी0ओ0 का पालन न करना ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के साथ घोर अन्याय है।

अतः आपके माध्यम से मान्यवर, मैं सरकार तथा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए जायं कि वे उक्त जी0ओ0 का पूरी तरह से पालन करें ताकि उन सैनिकों के प्रति अन्याय न हो जिन्होंने जीवन की बाजी लगाकर भी देश की सीमाओं तथा सम्मान की रक्षा का प्रयास किया है।

प्रतापगढ़ जिले में डकैती व कत्ल की घटनाओं से शान्ति व्यवस्था भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

महोदय आपके माध्यम से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ जनपद में विगत 9, 10, 11 सितम्बर को गड़वारा विधान सभा क्षेत्र में लगातार डकैतियां पड़ने से क्षेत्रीय जनता के बीच में आतंक फैल गया है तथा लोगों के बीच में जान-माल की असुरक्षा की भावना फैल गयी है। इसी प्रकार से पट्टी विधान सभा क्षेत्र में लगातार 4 डकैतियां दो दिन के अन्दर पड़ीं जिसमें हजारों रुपए का सामान गया तथा कई क ल हुए और कई लोगों को गोलियां लगीं। इस प्रकार से जनपद में एक आतंक सा फैल गया। मालूम पड़ता है कि जनपद में शान्ति व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। 9 सितम्बर को ग्राम राजापुर थाना अन्तू, गजाधर कुर्मी के यहां; 10 सितम्बर, 1977 को गोपाल दुबे का पुरवा, गाँव सभा देवली, थाना लालगंज, सरजू दीन दुबे, नरेन्द्र प्रसाद, राम सुन्दर, विजय शंकर, देव नारायण, राम नरेश, संगम लाल, देवतादीन, ननकू राम आदि कुल मिलाकर 13 घरों में एक साथ डकैती पड़ी तथा मनमानी अंधाधुन्ध गोलियां चलीं, कई लोगों को चोटें आयीं तथा 50 हजार रुपए का सामान गया। अन्तू थाना के अन्तर्गत हकसारा गांव में 11 सितम्बर को एक आदमी के यहां डकैती पड़ी जिसमें एक औरत तत्काल चोट लगने से मर गई तथा दो आदमियों को सख्त चोटें आयीं। कई हजार रुपए का सामान डकैत लूट कर ले गए। राजापुर तथा दूबे के पुरवा के डकैती में गांव वालों ने डाकुओं का मुकाबला भी किया परन्तु निहत्थी जनता डाकुओं की गोलियों का सामना कब तक करती। यह खेद का विषय है कि राजापुर की डकैती को पुलिस ने डकैती नहीं दर्ज किया जबकि पुलिस मौके पर डकैती के समय पहुंच गयी। क्षेत्र में जहां-जहां डकैतियां पड़ी हैं, मैंने स्वयं स्थल पर जाकर देखा और स्थिति से अवगत हुआ, अर्सा पांच दिन का हुआ भगवतगंज बाजार में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें कहा जाता है कि चार डकैत मारे गए। परन्तु लोगों का कहना है कि इसमें कुछ निर्दोष भी थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंस्टीट्यूट आफ यौगिक थिरेपी (विश्वयातन योगाश्रम) एवं कल्चर, लखनऊ में कथित अनाचार एवं व्यभिचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, लखनऊ में एक पयागपुर हाउस में इंस्टीट्यूट आफ योगिक थिरेपी एवं कल्चर नामक संस्था चल रही है, जो श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहुचर्चित विश्वयातन योगाश्रम की लखनऊ शाखा है । ऐसी जानकारी मिली है कि आश्रम के लिए जो टेलीफोन दिया गया है, वह विश्वयातन योगाश्रम के ही नाम से दिया गया है ।

दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के दैनिक समाचार-पत्र "आज" में भी उक्त समाचार प्रकाशित हुआ है जिसके अनसार उक्त आश्रम में अनाचार एवं व्यभिचार चल रहा है। इस सम्बन्ध में उक्त इमारत की मालकिन श्रीमती पद्मावती सिंह ने महानगर में 11 सितम्बर, 1977 को शिकायत भी की है ।

मान्यवर, श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की संस्था समाज विरोधी एवं बदनाम संस्था है। श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं श्री संजय गांधी के कृपा-पात्र बनने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा आपातस्थिति में इस संस्था को काफी बढ़ावा दिया गया एवं प्रचुर मात्रा में सरकारी धनराशि विभिन्न अनुदानों के रूप में प्रदान की गयी ।

आश्चर्य की बात है कि माह जून, 1977 में भी करीब 6 हजार रुपए की धनराशि मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के द्वारा प्रदान की गयी और वर्तमान सरकार की तरफ से भी कई तरह के अनुदान दिए जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से इस महत्वपूर्ण सूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से इस संस्था के सम्बन्ध में आरोपित व्यभिचार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं दिए जा रहे सरकारी अनुदानों को तत्काल बन्द करने की मांग करता हूं ।

उत्तर काशी एवं टिहरी के शिक्षकों की समस्याओं के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी के शिक्षकों की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस पर्वतीय क्षेत्र के अध्यापकों का आन्दोलन गत 9 सितम्बर, 1977 से चल रहा है । अब तक 500 अध्यापक सत्याग्रह कर के जेलों में बन्द हैं। कुछ विधायक जिसमें श्री इन्द्र मणी बड़ौनी तथा श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री, देहरादून इन अध्यापकों से भेंट करने के लिए देहरादून व रामपुर कारागार में भी गए थे। उपरोक्त जनपदों के समस्त जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बन्द पड़े हैं जिससे इन विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों छात्र, छात्राओं का भविष्य अन्धकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री]]

में है। हम लोग जब सत्याग्रही अध्यापकों से जेलों में मिलने गए और इनके प्रतिनिधियों से मिलने पर इनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी की तो हमें पता चला कि 15 जनवरी, 1974 को एक शासनादेश संख्या 187 निर्गत किया गया था किन्तु उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। फलस्वरूप एक अध्यापक को 15 अप्रैल, 1975 से आमरण अनशन करना पड़ा। 24 अप्रैल, 1975 को आयुक्त, गढ़वाल मण्डल उत्तर काशी के अध्यापक प्रतिनिधियों से मिले और शासनादेश संख्या 187, 15 जनवरी, 1974 क्रियान्वयन आदेश जारी किए और 20 मई, 1975 तक कार्यवाही सम्पन्न करने के आदेश जारी किए।

आश्चर्य है कि दो बार अध्यापकों के साथ समझौता कर शासनादेश जारी हुए किन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप अध्यापकों को तीसरी बार आन्दोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्यापकों की सीधी सादी मांग है कि 15 जनवरी, 1974 के शासनादेश का क्रियान्वयन किया जाय जिसके आधार पर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति उत्तरकाशी, टिहरी जनपद में बेसिक पाठशालाओं में प्रधानाध्यापक के पदों का सृजन किया जाय तथा सी0 टी0 वेतनक्रम में भाषा अध्यापकों की पदोन्नति की जाय। मैं उपरोक्त समस्या को हल करने के लिए आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा पूरे सदन को इसकी जानकारी देना चाहता हूं।

महिला संरक्षण गृह, गोरखपुर की अधीक्षिका द्वारा संवासिनियों पर अमानवीय अत्याचार के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, समाज की विभीषिकाओं, कुरीतियों, त्रास तथा तपन से त्राण पाने हेतु महिला संरक्षण गृहों में संवासिनियों को शरण शिकार होना पड़ता है। राजकीय महिला संरक्षण गृह, गोरखपुर की अधीक्षिका ने सामाजिक अभिशापों से सन्तप्त संवासिनियों पर अमानवीय दारुण अत्याचार किए हैं। उन्हें दारुण यन्त्रणाएं व कठोर यातनाएं दी जा रही हैं। आधा पेट भोजन दिया जाता है तथा नर पिशाचों की पाशविक काम वासनाओं की तृप्ति का साधन बनाया जा रहा है। कामी नर पशुओं में अनेक अधिकारी, अवांछनीय तत्व, सरमाएदार एवं तथाकथित नेता नामधारी जन्तु भी शामिल हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अकथनीय, असह्य अत्याचारों से ऊब कर महिला संरक्षण गृह, गोरखपुर की तेरह संवासिनियाँ 12 सितम्बर, 1977 की रात्रि में नकब लगाकर पलायित हो गई हैं।

इस शर्मनाक जघन्य घटना से प्रबुद्ध जन-मानस क्षुब्ध हो उठा है। शासन का यह नैतिक दायित्व है कि इस अभिशाप पूर्ण घटना की अविलम्ब न्यायिक जाँच कराए। तदर्थ सदन को निश्चित सूचना दे रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कस्बा जलालपुर, फैजाबाद के टूरिंग सिनेमा में बिजली के करेंट लगने से एक बालक की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी आपकी सूचना बहुत लम्बी है। संक्षेप में सूचना दे दीजिए।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, हम तो संक्षेप में हैं ही। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको रख रहा था।

मान्यवर, दिनाँक 15 अगस्त, 1977 को शाम 6 बजे जैसे मैं कस्बा टाउन जलालपुर जनपद फैजाबाद जो मेरा ही क्षेत्र है पहुंचा तो मुझे सूचना दी गयी कि एक 10 वर्षीय हरिजन बालक की मृत्यु 2 बजे दिन में टूरिंग सिनेमा में बिजली के करेंट लगने से हो गयी। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा है। पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस हरिजन बालक का नाम राधे श्याम है, कस्बा जलालपुर का रहने वाला है जिसके माँ-बाप बम्बई में रहते हैं। घर पर केवल उसकी वृद्धा नानी रहती है। नानी शव के पास बैठी रो रही थी। वहाँ से सिनेमा की दूरी लगभग पचास गज है। सिनेमा उस समय भी चल रहा था। मुझे घटना स्थल पर ही पता चला कि डाक्टर ने जाँच करने से इंकार कर दिया। मैंने डाक्टर को मौके पर बुलाया उन्होंने कोई जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया। थानेदार को भी बुलवाया मगर उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं ली। ज्ञात हो कि पुलिस स्टेशन ब्लाक कार्यालय, चिकित्सालय तथा नरेन्द्र देव इण्टर कालेज से सटा हुआ सिनेमा चल रहा है।

जब मैंने सिनेमा मालिक से सम्पर्क किया और पूछा तो उसने सही घटना छिपाने की कोशिश की और दूसरों के जरिए पैसा देने का लालच दिखाने का प्रयत्न करने लगा और मेरी पार्टी के साथी श्री मजीद जाफराबाद को दो हजार रुपए का लालच देकर मुझे कार्यवाही करने से रुकवाने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय अन्य लोगों, कुछ लड़कों से मैंने पूछताछ की तो सभी ने बताया कि लड़का पड़ती हुई बून्द से बचने के लिए सिनेमा के बुकिंग आफिस में ज्यों ही पहुंचा उसी समय गिरा और मौत हो गयी। मालूम यह हुआ कि बिजली ओपेन होने की वजह से सिनेमा के घेरे में टोन पर भी उतर गयी थी। दरोगा लालजीत सिंह ने मेडिकल अफसर गुप्ता की मौजूदगी में करीब आठ बजे रात को टाउन हाल में दो बच्चों के बिजली लगने से मरने का बयान दिया।

मान्यवर, उसी समय जिला प्रशासन (जिलाधीश) को घटना की सूचना देना चाहता था, दुर्भाग्यवश फोन न मिल सका। सुबह आठ बजे के करीब शव को मृतक की नानी तथा अन्य लोगों ने गड़वा दिया। इसके बाद मैंने पुनः तारीख 16 अगस्त, 1977 को जिला प्रशासन से फोन पर सम्पर्क किया तो घटनास्थल पर बाद लाश गाड़ने, परगना अधिकारी अकबर पुर व उप पुलिस अधीक्षक, अकबरपुर पहुंचे। मुझसे तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से पूछताछ की और बाद लाश को खुदवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

मान्यवर, मैंने व अन्य लोगों ने देखा कि बिजली हाथ में लग जाने से जो शक्ल हाथ की व शरीर की हो जाती है वही शक्ल मृतक की हो गयी थी। सिनेमा चलाने वाला व्यक्ति बाहर का एक पंजाबी है जो बहुत दौलत वाला है। कई सिनेमा का मालिक भी है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उक्त सिनेमा के अव्यवस्थित ढंग से चलने की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी बिजली की वायरिंग ऐसी है कि बहुतों की मौत हो सकती है। उक्त सिनेमा पाँच शो रोजाना चलाता है जबकि जिलाधिकारी ने नरेन्द्र देव इण्टर कालेज के प्रिंसिपल के अप्रोच से दिन में रोक दिया था। पुनः कालेज में जब सिनेमा मालिक ने पाँच हजार रुपया देने का वादा किया तो जिलाधिकारी ने दिन में चलाने का आदेश दे दिया।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाते हुए उक्त सिनेमा को बन्द करने की व्यवस्था करें जिससे भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो सके।

सदन के समय में पुन : वृद्धि का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973 पर राज्यपाल एवं राष्ट्रपति महोदय का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत संदेश

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1973, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनाँक 13 मार्च, 1973 को पारित किया गया था और जिसे श्री राज्यपाल ने दिनाँक 28 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित किया था तथा जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अनुसार दिनाँक 26 अक्तूबर, 1976 को श्री राज्यपाल के पास वापस किया है, को श्री राज्यपाल के सन्देश तथा उसके साथ संलग्न संविधान के अनुच्छेद 201 के परन्तुक के अन्तर्गत प्राप्त राष्ट्रपति के सन्देश सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

आल इन्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवेहलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दो सूचनाएं मुझे नियम 63 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं। एक श्री अजीत सिंह सेठी की है। श्री अजीत सिंह सेठी ने आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध सदन के अवमान की सूचना दी है। उनका कहना है कि 20 सितम्बर, 1977 को दोपहर के समय आल इंडिया रेडियो

---

†छापा नहीं गया।

से यह समाचार प्रसारित हुआ कि श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा प्रस्तुत काम-रोको प्रस्ताव पर रायबरेली में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की आम सभा में हुई घटना के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने मुख्य मन्त्री को आदेश दिए कि वे इस घटना पर वक्तव्य दें। वास्तविकता यह थी कि विरोधी दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी ने काम-रोको प्रस्ताव दिया था और श्री शतरुद्ध प्रकाश ने इस सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी और मैंने मुख्य मन्त्री को दोनों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का आदेश दिया था।

उस दिन उस सूचना के सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि आल इंडिया के निदेशक से यह मालूम किया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही का गलत प्रसारण किस प्रकार हुआ। अब इस सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 सितम्बर, 1977 को 2 बजे अंग्रेजी के बुलेटिन में और 2 बजकर 10 मिनट पर हिन्दी के प्रसारण में आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि काम-रोको प्रस्ताव शतरुद्ध प्रकाश ने पेश किया था। उनके समाचार के मुताबिक श्री नारायण दत्त तिवारी ने काम-रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और श्री शतरुद्ध प्रकाश ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। दोनों प्रस्तावों की बातों को बतलाने के बाद उनके समाचार में माननीय अध्यक्ष के निर्णय का उल्लेख किया गया है। इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का या सदन के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। अतः मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

पीलीभीत रोडवेज के बस ड्राइवर, श्री मुल्ला व बस कन्डक्टर, श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

एक श्री मुनीन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत सूचना दी है कि 26 सितम्बर, 1977 को वे विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पीलीभीत से साढ़े 5 बजे प्रातः रोडवेज के स्टेशन पर, जहाँ से बरेली को प्रातः 6 बजे बस नं0 यू0एस0ई0 2255 छूटनी थी, पहुंचे, जब बस नियत समय अर्थात् 6 बजे नहीं छूटी तो उन्होंने कार्यालय में जाकर परिवाद पुस्तक माँगी किन्तु उस समय ड्यूटी पर उपस्थित क्लर्क ने परिवाद पुस्तक नहीं दी। उक्त बस के ड्राइवर ने उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वे विधायक हैं तो और भी व्यंगात्मक भाषा में कहा कि "आप विधायक हैं तो क्या हुआ, विधान सभा में सिवाय हुल्लड़ करने के किसी का कुछ काम भी करते हैं।" इतने में बस का कण्डक्टर व एक अन्य ड्राइवर, जिसका नाम श्री मुल्ला था, आ गए और उन सबने विधान सभा को "सब्जी मण्डी", "मछली बाजार" बतलाया और कहा कि उन्हें बरेली से उस दिन गाड़ी हरगिज नहीं मिलेगी और हुआ भी यह कि जब बस बरेली पहुंची तो 6-डाउन मेल जा चुका था। इसलिए वे 26 सितम्बर, 1977 को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रह गए। उनका कहना है कि यदि बस नं0 यू0एस0ई02255 अपने नियत समय पर चली होती, तो विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेते। अतः माननीय श्री मुनीन्द्रपाल सिंह जी ने दो व्यक्तियों—बस ड्राइवर श्री मुल्ला व कण्डक्टर श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है। माननीय सदस्य की

[श्री अध्यक्ष]

उपर्युक्त शिकायत को देखते हुए मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है, जिसकी जाँच विशेषाधिकार समिति द्वारा की जानी चाहिए। अतएव, मैं इसे विशेषाधिकार समिति को, जब वह गठित हो जाय, जाँच हेतु निर्दिष्ट करता हूं।

दिनांक 31 अगस्त, 1977 को श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य

शिक्षा उप मन्त्री (श्रीमती मालती शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा था :—

"उन्होंने बताया कि उक्त धाराओं को लागू करना शासन के विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन धाराओं के लागू होने से स्थानीय निकायों के अध्यापकों को अकारण काफी समय से शोषण का सामना करना पड़ रहा है। इन धाराओं को तत्काल लागू न करने का क्या कारण है और यह कब तक लागू हो जावेंगी।"

उस समय सदन में उक्त अनुपूरक प्रश्न का निम्नवत् उत्तर दिया गया था :—

"श्रीमन्, इन्हें लागू करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना होगा। नियमावली बनाकर कार्मिक विभाग को भेज दी गयी है। उसके परीक्षण के बाद विधि परामर्शी के पास जायगी। इसके बाद अधिनियम में संशोधन करके लागू कर दिया जायेगा।"

2—उक्त उत्तर ठीक नहीं था। जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है जो मैं पढ़ना चाहती हूं :—

"इन्हें लागू करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ज(2) के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचना इस बात की जारी करनी होगी कि उक्त अधिनियम की धारा 16—क से लेकर 16—छ के कौन-कौन से प्राविधान किन-किन संशोधनों, परिवर्धनों तथा परिष्कारों के साथ स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों पर लागू किए जायं। शिक्षा निदेशक से अपेक्षित अधिसूचना का आलेख्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसके प्राप्त होने पर उसका परीक्षण न्याय विभाग के परामर्श से करके अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1001 पर)

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब सुचेता जी उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री थीं, तो उस समय यह विवाद चला था कि मन्त्री शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। एक दिन यह विवाद यहां भी पैदा हुआ था, तब आपने कहा कि मन्त्राणी न कहें मन्त्री कहें। तो मन्त्री जी, जब अभी उत्तर पढ़ रही थीं, तो उन्होंने 'चाहती' क्रिया का प्रयोग किया है (हंसी)।

श्री अध्यक्ष--

यह वह स्वयं जानते हैं, लेकिन हास्य के लिए यह कहा है। मन्त्री का जहाँ तक सवाल है, अधिकारी का सवाल है, उसमें लिंगभेद का सवाल नहीं है। जहां तक मन्त्री का सवाल है, वह मन्त्री है, लिंगभेद केवल क्रिया द्वारा हो सकता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मैं इसमें आज श्री हरिकेवल प्रसाद का प्रश्न--"हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन, रेनूकूट, मिर्जापुर के हिण्डालको के मालिकों द्वारा फैक्ट्री में ले-आफ के कारण 3,500 स्थायी तथा 1,000 अस्थायी तथा 2,000 ठेकेदारों के मजदूरों का बेकार होना" यह प्रश्न मैंने स्वीकार किया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मैंने भी एक नियम 51 में दिया है, शायद उसको आपने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया होगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, श्री शतरुद्ध प्रकाश और रमाशंकर कौशिक ने भी एक प्रश्न दिया था--दिनांक 14, 15 व 16 अगस्त को पिथौरागढ़ के तवाघाट क्षेत्र में भूस्खलन से कई ग्रामों में भयंकर क्षति तथा 44 नागरिकों की मृत्यु, क्योंकि यह प्रश्न 14 अगस्त का काफी देर का था, स्वीकार नहीं किया है। लेकिन मैं सरकार को निर्दिष्ट कर रहा हूं कि वह इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य--उत्तर दे दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप सरकार से कह दें कि वह जल्दी ही वक्तव्य दे दे।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आए थे उनको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, नियम 51 में वक्तव्य था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी मैं स्थगित कर रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी। गोरखपुर में राजकीय महिला संरक्षण गृह से 11 औरतें नकबजनी करके भाग गयीं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही के लिए ....

श्री अध्यक्ष--

वह मैं भेज ही रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आपने व्यवस्था दी है, उससे बड़ी राहत मिलेगी, वहां के लोगों को। मन्त्री जी किस तारीख को वक्तव्य दे देंगे, बता दें ।

श्री अध्यक्ष--

पहली तारीख को जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में वक्तव्य है और रायबरेली के सम्बन्ध में और यह माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो कहा है,यदि सम्भव हो तो पहली तारीख को दिला दीजियेगा ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

आपने नियम 51 में स्वीकार किया है, यह वक्तव्य मन्त्री जी कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अभी श्रम मन्त्री जी नहीं है। माननीय मन्त्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, यदि सम्भव हो तो पहली तारीख को रेनूकूट के सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें ।

आज जो अनुदान और वक्तव्य है, उनको स्थगित किया जाता है। कल राजस्व के अनुदानों पर मतदान होगा और आज का जो विषय है इसके विषय में कल कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक बुला रहे हैं। उसमें विचार किया जायगा ।

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
28 सितम्बर, 1977

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 927 पर ।)

समायोजन के अन्तर्गत अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक एवं अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिये गये निर्देशों का विवरण:—

1—समायोजन में प्राथमिक विद्यालयों का 31 मार्च, 1977 की छात्र संख्या को 30 जून, 1977 की अध्यापकों की सेवा निवृत्त के उपरान्त शेष कार्यरत अध्यापकों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या आई उसे जनपद के प्राथमिक स्तर का छात्र-अध्यापक अनुपात मानकर समायोजन किया जाय और इस छात्र-अध्यापक के अनुपात के आधे से अधिक छात्र संख्या की वृद्धि होने पर अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था की जाय। उदाहरणार्थ यदि किसी जनपद का छात्र-अध्यापक अनुदान 50 है और किसी विद्यालय में 126 छात्रों पर दो अध्यापक हों तो एक अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था की जाय ।

2—अध्यापक/अध्यापिकाओं को समायोजन करते समय वांछित स्थान पर जहां के लिए अध्यापक/अध्यापिका ने स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन-पत्र दिया हो, पदस्थापित करने का यथा सम्भव प्रयास किया जाय ।

3—समायोजन में उन अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को हटाया जाय जिनका ठहराव विद्यालय विशेष में अधिक हो किन्तु विशिष्ट अध्यापकों का स्थानान्तरण प्रस्ताव न किया जाय जिनका कार्य शिक्षण/पाठ्येत्तर क्षेत्रों में उत्तम रहा हो अथवा जिन्हें किसी स्थायी शारीरिक अक्षमता के कारण हटाना उचित न हो ।

4—अनौपचारिक शिक्षा में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को सामान्यत: न हटाया जाय ।

5—पांचवी कक्षाओं वाली प्राथमिक पाठशालाओं में प्रधान शिक्षक सहित कम से कम दो अध्यापक अवश्य रहें ।

6—पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं का समायोजन विद्यालय के वर्गों एवं विभिन्न विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को ध्यान में रख कर किया जाय ।

7—एक वर्ग प्रति कक्षा वाले पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक सहित कम से कम चार अध्यापक अवश्य रखे जायं ।

8—यथासम्भव किसी भी अध्यापक को उसके घर से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी से दूर न रखा जाय। महिला अध्यापिका को यथासम्भव उनके गांव या उसके निकट रखने की व्यवस्था की जाय ।

9—परिवार नियोजन के समय यदि कोई अध्यापक कहीं दूर पहुंच गया हो तो उसे भी यथासम्भव उसके घर के नजदीक लाने का प्रयास किया जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 59 का उत्तर पीछे पृष्ठ 932 पर)

सुल्तानपुर जनपद में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवनों पर आपातकाल अवधि में मरम्मत तथा साज-सज्जा के विवरण

निरीक्षण भवन का नाम		मरम्मत	साज-सज्जा	कुल व्यय
1--सुल्तानपुर	..	15,386.22	60,051.65	75,437.87
2--कादीपुर	..	17,417.95	..	17,417.95
3--जगदीशपुर	..	3,921.80	26,516.75	30,438.55
4--गौरीगंज	..	10,162.69	19,292.77	29,455.46
5--चान्दा	..	10,000.61	..	10,000.61
6--अमेठी	..	6,777.00	52,432.42	59,209.42
कुल योग	..	63,666.27	1,58,293.59	2,21,959.86

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 938 पर।)

परगनाधिकारी, देवरिया द्वारा जिलाधिकारी, देवरिया को प्रेषित जांच रिपोर्ट

श्री कृष्णाराय, विधायक देवरिया के संलग्न प्रार्थना-पत्र पर आपके आदेश दिनांक 26 जुलाई, 1977 के अनुपालन में सिंचाई विभाग के खजुरिया शाखा निर्माण खण्ड के अन्तर्गत मेहरोना, परानपुर, सोहनीपार आदि ग्रामों में हाटा राजबहा के टूटकर बहने से हुए जल प्लावन तथा क्षति का निरीक्षण किया। हाटा राजबहा रामपुर कारखाना के ओर से निर्मित होती हुई भीखमपुर रोड की बगल में सोहनीपार ग्राम में जाकर समाप्त होती है। यह उक्त राजबहे का अन्तिम सिरा है जिसे अधूरा निर्मित करके छोड़ दिया गया है। अन्तिम छोर का पानी कहां जायेगा, इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। फिलहाल स्थिति यह है कि एक गूल अन्तिम सिरे से करीब एक फर्लांग पहले मेहरीना गांव के किसानों की सिंचाई के लिए बनी थी। उसी गूल से होकर पानी बहते हुए छोटी गण्डक नदी में थोड़ा-थोड़ा करके पहुंच जाता है। उक्त गूल में इतना अधिक कटाव हुआ है कि गत दो वर्षों में वह एक नाले का रूप ग्रहण कर चुका है जिससे स्थानीय किसानों की काफी क्षति हुई है और उनकी काफी जमीन कट कर खराब हुई है। यह कटाव केवल किसानों की जमीन तक ही सीमित नहीं है अपितु महुआपाटन को भी काटने लगा तो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी सड़क की सुरक्षा हेतु पक्का अवरोध बनवाया गया। परिणाम यह हुआ कि नहर में जब पानी आया तो उसके निकलने का कोई रास्ता न रहा। स्थान-स्थान पर नहर टूट गयी और एक बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। मेरे निरीक्षण के समय भी यत्र-तत्र महुआपाटन रोड के ऊपर से पानी बह रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि निरीक्षण के एक दो दिन पहले लगभग एक मील के क्षेत्र में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा था। चूंकि नहर का पानी रोक दिया गया था इसलिए निरीक्षण के समय दिनांक 26 जुलाई, 1977 को बहाव भी नियन्त्रित हो गया था।

नहर के उपर्युक्त कटाव से निम्नांकित विवरण के अनुसार दस ग्राम में धान की रोपी गई फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची है। यद्यपि समय अभी है और किसान पुनः रोपाई कर सकते हैं और वे फिर से रोपाई का प्रयास कर भी रहे हैं—

प्रभावित ग्रामों के नाम	प्रभावित क्षेत्रफल
	एकड़
1—खजुरिया	20
2—सोहनीपार	40
3—रामपुर तिवारी	10
4—मेहरोना	160
5—चकबन्दी उर्फ परापुर	100
6—किसुनपाली	45
7—मानिकपुर उर्फ नागभार	35

प्रभावित ग्रामों के नाम	प्रभावित क्षेत्रफल
	एकड़
8—लाहिलपार खास	50
9—गोवराई	10
10—बरियापुर	100
सम्पूर्ण योग ..	570

उपर्युक्त के अतिरिक्त उक्त नहर की एक शाखा पिपरपाती होकर जाती है। उसके द्वारा भी निम्नलिखित विवरण के अनुसार नहर के टूट कर बहने के कारण क्षति हुई है—

ग्राम का नाम	प्रभावित क्षेत्रफल
	एकड़
गरुलपार	85
पिपरपाती	35
चकिया	20
सकरापार	65
योग ..	205

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जब तक उक्त राजबहे के अन्तिम छोर में पानी की निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती तब तक प्रति वर्ष इस तरह की हानि होती रहने की सम्भावना बनी रहेगी। इस राजबहे के निर्माण के सम्बन्ध में आज से 2–3 वर्ष पहले भी एक समस्या खड़ी हुई थी। मूलरूप में नहर की जो योजना थी इसे सोहनीपार और बरियापुर होते हुए छोटी गण्डक में गिरा दिया जाता। इसका परिणाम यह होता कि लगभग 8, 9 सौ एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाती तथा पानी का निकास भी सुगमता से हो जाता। किन्तु इस समय सोहनीपार और बरियापुर ग्रामों के निवासियों के विरोध के कारण वैसा सम्भव न हो सका। कहा यह जाता है कि इन दोनों गांव के कुछ प्रभावाली लोगों ने जिनके चकों से होकर यह नहर जाती और जिनके पास अपनी निजी सिंचन संकर्म हैं उन्होंने साधारण जनता को भड़काने की कार्यवाही की और इस तरह स्थानीय विरोध के कारण नहर की योजना बिना किसी व्यवस्था के यों ही अधूरी छोड़ दी गयी है

इस सम्बन्ध में सुझाव है कि सोहनीपार, बरियापुर होते हुए राजबहे का निर्माण कर के उसे छोटी गण्डक में गिराने की कार्यवाही आवश्यक एवं संगत है। यदि सम्बन्धित विभाग खर्च वहन करें तो यहां फिर से चकबन्दी कराई जा सकती है ताकि किसी एक किसान को हानि न उठानी पड़े अपितु सारे गांव के किसानों की जमीन की कटौती करके उपयोग में लाई गई भूमि को समायोजित किया जा सके।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 940 पर ।)

विवरण

नलकूप निर्माण खण्ड, फतेहपुर

क्रम-संख्या	कूप संख्या	ग्रुप	नाम ग्राम	कूप बन्द होने की तिथि	कूप बन्दी का कारण
1	2	3	4	5	6
1	71वी0जी0	बिन्दकी ग्रुप	भाऊपुर	11-8-77	मोटर जला है ।
2	100	,,	नन्दापुर	26-7-77	तदेव
3	75	,,	रावतपुर(2)	24-5-77	तदेव
4	7	,,	चान्दपुर (2)	7-4-77	सेट गिरा है ।
5	24	,,	बरवा	26-6-77	मोटर जला है ।
6	19	,,	बहिगवां	25-8-77	तदेव
7	28	,,	मेहदिया	2-1-77	सेट गिरा व बोर भरा है ।
8	84	,,	बसकरा (2)	8-8-77	मोटर जला है
9	95	,,	गोहरारी	12-8-77	तदेव
10	80	,,	बैरमपुर	25-7-77	तदेव
11	49	,,	सरहन बुजुर्ग	26-8-77	तदेव
12	8	,,	दफ्सौरा (1)	26-8-77	ट्रान्सफारमर चोरी
13	60	,,	ढुंढवा (2)	4-5-77	11 के0वी0 के तार चोरी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 941 पर।)

सूची

क्रमांक	विद्यालय का नाम
1	आर0 एम0 पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर
2	उजागर लाल इण्टर कालेज, सीतापुर
3	एच0 के0 पी0 इण्टर कालेज, सीतापुर
4	आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर
5	डी0 जे0 इण्टर कालेज, खैराबाद
6	आर0 बी0 एस0 बी0 इण्टर कालेज, कमालपुर
7	गांधी विद्यालय, इण्टर कालेज, सिधौली
8	काल्विन इण्टर कालेज, महमूदाबाद
9	किसान इण्टर कालेज, सरैया
10	एस0 जे0 डी0 इण्टर कालेज, बिस्वां
11	एच0 आर0 डी0 इण्टर कालेज, बिसवां
12	जनता इण्टर कालेज, किशोरगंज
13	खेम करन इण्टर कालेज, लहरपुर
14	राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिधौली
15	कृषक इण्टर कालेज, महोली
16	एम0 डी0 इण्टर कालेज, मिश्रिख
17	भारत इण्टर कालेज, कौराना
18	शम्भूदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लौली
19	जय नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, परसदा
20	सेवाश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काजी कमालपुर
21	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इटारी
22	म्यु0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिसवां
23	कृष्णा देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिसवां
24	बेनीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थैलेपुर
25	गांजर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तम्बौर

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 992 पर।)

विधान सभा के वर्तमान द्वितीय सत्र (1977) के पहले बुधवार के लिए निर्धारित श्री राजेंद्र कुमार द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
13—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओं द्वारा संचालित माध्यमिक तथा उ० मा० विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी तथा 14 लागू न होने का कारण क्या है तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायगा ?	13—नगरपालिकाओं द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में आरम्भ से ही उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधान लागू हैं। चूंकि ये प्राविधान पर्याप्त समझे गए, अतः स्थानीय निकाय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के उपरोक्त शिक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ई की उपधारा (1) के प्राविधान जो शैक्षिक तथा अन्य अर्हताओं के सम्बन्ध में हैं, को छोड़कर अन्य प्राविधान लागू नहीं किए गए। किन्तु एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-जी तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 14 के प्राविधान स्थानीय निकायों के विद्यालयों के उपरोक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

काली चरन,

शिक्षा मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०—एल० 336 वि०सभा—1978—843।

उत्तर प्रदेश विधान सभा